



विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Certified & ISPS Compliant

BIMSTEC CONCLAVE OF PORTS

VISAKHAPATNAM
INDIA



on 7th - 8th November
2019



प्रशासनिक रिपोर्ट
वार्षिक लेखा एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट
2019-20

GREENTECH FOUNDATION[®]

NEW DELHI (INDIA)

Website : www.greentech.org



18th Annual

GREENTECH

Safety

Award 2019

The Most Admired... Top Honour

Certificate

This is to certify that

Visakhapatnam Port Trust

Visakhapatnam

has been declared

WINNER

in **Services Sector**

for outstanding achievements in

Safety Management.

8th December 2019
New Delhi (India)

Rema
Mrs. REMA
General Secretary



विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 certified
& ISPS compliant

दूरदर्शिता

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट
दक्षिण एशिया में
विश्व स्तर की सेवाएं देने वाला
एकमात्र पसंदीदा पोर्ट

हमारा ध्येय

क्षेत्र के
आयातकों, निर्यातकों
की संभारतंत्र संबंधी आवश्यकता
को पूरा करने के लिए
प्रमुख भागीदार बनना

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट न्यासी मंडल

1.	श्री एम.टी.कृष्ण बाबू, भा.प्र.से., (11-05-2019 तक) श्री रिकेश रॉय, आई.आर.टी.एस. (12-05-2019 से 01-11-2019 तक) श्री के. राम मोहन राव, भा.प्र.से., (02-11-2019 से)	अध्यक्ष
2.	श्री पी.एल. हरनाथ, आई.आर.टी.एस.	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमति शिप्रा शर्मा	पोर्ट का निदेशक, शिपिंग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001
4.	श्री अजय जैन, भा.प्र.से., (10-09-2019 तक) श्री रजत भार्गव, भा.प्र.से., (11-09-2019 से)	प्रधान सचिव औद्योगिक, संरचना, निवेश एवं कामर्स विभाग आंध्र प्रदेश सचिवालय, वेलगपूडी, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश
5.	डॉ. डी.के. श्रीनिवास, आई.आर.एस.	प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क विभाग, पोर्ट एरिया, विशाखपट्टणम - 530 003
6.	श्री एस.सत्यनारायण मूर्ती,	सर्वेयर प्रभारी सहित शिपिंग का महा उप निदेशक (तकनीकी) मर्केन्टाइल मेरैन विभाग, 7-8-26/ए, हार्बर पार्क डाऊन आर.के.मिशन के बाजू में विशाखपट्टणम- 530 003
7.	कमडोर संजीव इस्सार	नौसेना अधिकारी प्रभारी (आं.प्र.), नौसेना बाग, प्लीट मेईल कार्यालय पूर्वी नौसेना कमांड विशाखपट्टणम- 530 014
8.	डी आई जी नवदीप राज, (29-04-2019 तक) श्री बी. रंजन (30-04-2019 तक)	कमांडर, कोस्ट गार्ड, (आं.प्र.), जिला मुख्यालय सं.6, मार्फत प्लीट प्रधान कार्यालय, पोर्ट हाई स्कूल के पास, मल्कापुरम, विशाखपट्टणम - 530 014

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट
न्यासी मंडल

9.	श्री संजय कुमार मिश्रा, आई.आर.टी.एस.	चीफ फ्राईट परिवहन प्रबंधक पूर्व तट रेल्वे, रेल्वे सदन मुख्य आवास भवन, प्रचालन विभाग, निचली मंजिल, चंद्रा शेखरपुर भुवनेश्वर – 751 017
10.	श्री एम.आर.जी.रेड्डी, आई एफ एस., (29-12-2019 तक) श्री आर. हेमंत कुमार, आई एफ एस., (30-12-2019 से)	वन के मुख्य उप निदेशक (केंद्रीय) क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, सौत ईस्टर्न ज़ोन, पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं मौसम परिवर्तन, 1 और 2 मंजिल, हेचईपीसी भवन, नं.34, केथ्रडल गार्डन रोड, नूनागंबाकम, चेन्नै – 600 034
11.	श्री वी.वी.रामा राव (18-09-2019 तक) श्री बी.सीएच. मसेन (19-09-2019 से)	माननीय अध्यक्ष महा सचिव विशाखपट्टणम हार्बर एंड पोर्ट वर्कर्स यूनियन डोर नं.26-26-27, हार्बर अप्रोच रोड विशाखपट्टणम – 530 001
12.	श्री डी. के. शर्मा,	महा सचिव, विशाखपट्टणम पोर्ट कर्मचारी यूनियन, डोर नं.26-15-204, धर्म शक्ति भवन, मेईन रोड, विशाखपट्टणम – 530 001
13.	श्री पैडी वेणुगोपालम	प्लॉट नं.13, पहला लेन, पी.पी.एन.कॉलनी, गुजरातीपेटा, श्रीकाकुलम – 532 005, आंध्र प्रदेश
14.	श्री एस.वी.एस.प्रकाश राव	डोर नं.46-7-46/1, पलिकलवारी स्ट्रीट, दोंडपती , विशाखपट्टणम – 530 016
15.	श्री पाका वेंकट सत्यनारायण	डोर नं. 26-8-17, बालुसुमडि, भीमवरम, वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश – 534 202
16.	श्री एम.चक्र वर्ती	पुष्कर नक्शत्रा, एजे-88, 2 स्ट्रीट, 2 मंजिल, शांति कॉलनी, अन्ना नगर, चेन्नै – 600 040

**पोर्ट ट्रस्ट के प्रमुख अधिकारी
(31.03.2020 को)**

1	श्री एम.टी.कृष्णबाबू भा.प्र.से., श्री रिकेश रॉय, आई.आर.टी.एस. श्री के.राम मोहन राव, भा.प्र.से.,	अध्यक्ष (11-05-2019 तक) (12-05-2019 से 01-11-2019 तक) (02-11-2019 से)
2	श्री पी.एल.हरनाथ, आई आर टी एस.	उपाध्यक्ष और वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (सांविधिक अधिकार)
3	श्री वी.वी.सत्य श्रीनिवास,आई.आर.;एस.एम.ई. श्री जे. प्रदीप कुमार, आई.आर.;एस.एम.ई.	मुख्य सर्तकता अधिकारी प्रभारी (26-08-2019 तक) मुख्य सर्तकता अधिकारी (27-08-2019 से)
4	श्री सीएच.हरिचंद्रन	सचिव और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (24-11-2019 तक)(सांविधिक अधिकार)
5	श्री अमल कुमार मेहरा	मुख्य अभियंता (09-02-2020 तक)
6	कप्तान प्रदीप मोहंती	उप संरक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (25-11-2019 से)
7	श्री आर.एन. हरि कृष्णा	मुख्य यांत्रिक अभियंता और यातायात प्रबंधक (सांविधिक अधिकार) (08-05-2019तक) और मुख्य अभियंता (सांविधिक अधिकार) (14-02-2020 से)
8	श्री बी. रत्न शेखर राव	यातायात प्रबंधक (09-05-2019 से)

वर्ष 2019-20 पर एक नज़र

भौतिक संकेतक

विवरण	यूनिट	2019-20	2018-19
विदेशी यातायात	मिलियन टन	56.38	48.47
तटीय यातायात	मिलियन टन	16.34	16.83
पीपीपी घाट	मिलियन टन	37.58	31.82
वीपीटी घाट	मिलियन टन	35.14	33.48
कुल यातायात	मिलियन टन	72.72	65.30
कंटेनर यातायात	टि यू ज	503.630	450.460
जहाज प्रविष्टि – आंतरिक बंदरगाह	संख्या	1,294	1,317
जहाज प्रविष्टि – बाह्य बंदरगाह	संख्या	871	738
जहाज प्रविष्टि – कुल	संख्या	2,165	2,055
औसतन ग्री बर्थिंग अवरोधन	दिन	0.05	0.05
औसतन आवर्तन काल	दिन	2.48	2.51
प्रति शिप घाट दिवस उत्पादन	टन	14,901	13,790
औसतन पार्सल साईज	टन	34,581	32,452
पोर्ट रेल्वे द्वारा संचालित कार्गो	मि.टन	32.13	27.54
ओ एच सी पर लादी गई कार्गो	मि.टन	12.51	9.68
ओ एच सी पर टिपल की गई मात्रा	मि.टन	6.78	3.98
प्रति गैंग शिफ्ट उत्पादन	टन	728	668
31 मार्च को नियोजित व्यक्ति कार्गो संभलाई अनुभाग सहित – पहले वीडिआलबी)	संख्या	3,150	3,348

वर्ष 2019-20 पर एक नज़र

वित्तीय संकेत

(रुपये लाख में)

विवरण	2019-20	2018-19
1. तुलन पत्र		
विवरण		
ए. दायिताएं		
(i) पूँजी आरक्षण	962.98	962.94
(ii) अन्य आरक्षण	1615.08	1340.43
(iii) उधार	0.00	0.00
(iv) पूँजी ऋण	23.39	39.07
(v) प्राप्त अनुदान	20.35	19.53
(vi) चालू देयताएं एंड प्रावधान एंड अन्य देयताएं (भ.नि./पेंशन, उपदान निधि)	2376.12	2205.74
(vii) विलंबित कर देयताएं	0.00	0.00
कुल	4997.93	4567.71
बी. परिसंपत्तियाँ		
(i) स्थिर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध ब्लॉक)	2689.37	2452.38
(ii) घाटा : मूल्यह्रास	-784.23	-740.76
(iii) शुद्ध नियत परिसंपत्तियाँ	1905.15	1711.61
(iv) प्रगति पर रहे पूँजी कार्य	175.94	350.21
(v) निवेश	508.98	123.30
(vi) चालू ऋण परिसंपत्तियाँ और अग्रिम	2253.30	1874.94
(vii) विविध व्यय	0.00	0.00
(viii) विलंबित कर परिसंपत्तियाँ	154.56	117.43
कुल	4997.93	4177.50
सी. कार्यचलन पूँजी	-122.82	-330.81
डी. शुद्ध मूल्य	2578.06	2303.37
ई. नियोजित पूँजी	1782.32	1380.81
एफ. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	15.40	9.02
जी. नियोजित पूँजी (प्रगति पर रहे कार्य सहित)	1958.27	1731.02
च. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत (प्रगति पर रहे कार्य सहित)	14 .01	7.19
आई. प्रचालन अनुपात	47.18	49.19
वर्ष के दौरान पूँजी व्यय	100.28	146.18

वर्ष 2019-20 पर एक नज़र

वित्तीय संकेत

(रूपये लाख में)

विवरण	2019-20	2018-19
2. लाभ एवं हानि खाता :		
II. राजस्व		
ए. आय		
प्रचालन आय	1404.18	1201.39
गैर प्रचालन आय	107.65	99.42
	1511.83	1300.81
बी. व्यय		
प्रचालन व्यय	662.55	591.01
गैर प्रचालन व्यय	543.45	508.89
सी. कर और विनियोजन से पूर्व शुद्ध अधिशेष / कमी या लाभ	305.83	200.91
घाटा : कर के लिए प्रावधान		
पिछले वर्ष	0.00	0.00
फ्रिज लाभ कर	0.00	0.00
चालू वर्ष	68.56	36.27
अस्थगित कर	-37.12	40.13
कर के बाद लाभ	274.40	124.51
डी. घाटा: स्थिर परिसंपत्तियों को निपटाने पर लाभ और पूँजी आरक्षण में स्थानांतरण	0.04	1.60
ई. विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम	274.36	122.92
एफ. घाटा: मैनडेटरी विनियोजन/ आरक्षण निधि में अंतरण (शुद्ध लाभ)	148.36	120.50
जी. सामान्य आरक्षण निधि में स्थानांतरित अधिशेष (शुद्ध लाभ)	125.99	2.42
एच. निम्न के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ का प्रतिशत		
प्रचालन आय	19.54	10.36
शुद्ध नियत परिसंपत्तियां	14.40	7.27
शुद्ध मूल्य	10.64	5.41

अनुपात विश्लेषण के लिए कार्य निम्नानुसार है :

क्र.सं. अनुपात विश्लेषण (तरलता एवं संपन्नता)	2019-20	2018-19
1. चालू दायिताओं से वर्तमान परिसंपत्तियों का प्रतिशत	94.83	85.00
2. चालू दायिताओं से त्वरित परिसंपत्तियों का प्रतिशत	57.01	0.00
3. चालू दायिताओं से तरल परिसंपत्तियों का प्रतिशत	41.55	28.82
4. परिचालन आय से विविध देनदारों का प्रतिशत	26.15	35.40
5. ऋण / पूँजी आरक्षण और अन्य आरक्षकों का प्रतिशत	0.91	1.70
6. चालू परिसंपत्तियों से कुल परिसंपत्तियों का प्रतिशत	45.08	41.05
7. प्रचालन आय से प्रचालन का प्रतिशत	47.18	49.19

न्यासी रिपोर्ट

विशाखपट्टणम पोर्ट का न्यासी मंडल, विशाखपट्टणम पोर्ट की वर्ष 2019–20 से संबंधित 87वीं प्रशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यंत हर्ष का अनुभव करता है।

पोर्ट ने लगातार अनुक्रम में चौथी वर्ष के लिए सीएजीआर की 6% की पंजीकृत प्रक्षेप- पथ वृद्धि जारी रही। 72.72 मिलियन टन मात्रा कार्गो की संभलाई की जबकि वर्ष 2018–19 में 65.30 मिलियन टन था। वर्ष 2019–20 के दौरान 11% की वृद्धि के साथ लगभग 7.42 मिलियन टन वृद्धिशील यातायात प्राप्त किया। महा पत्तन न्यासों के बीच 3वीं स्थान प्राप्त की और पूर्व तट यातायात संभलाई में 2वीं रैंक प्राप्त की।

पोर्ट रेल्वे सिस्टम द्वारा 32.13 मिलियन टन मात्रा की कार्गो संभलाई की जबकि वर्ष 2018–19 में 27.54 मिलियन टन था।

वर्ष 2019–20 के दौरान के महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

मुख्य विशेषताएं :

- वैजाग पोर्ट के इतिहास में पहली बार 72.72 मि.टन एक्विज़म कार्गो की एक रिकार्ड संभलाई किया गया था।
- वीपीटी ने 7 अक्तूबर, 2019 को राष्ट्र के लिए 86 वर्ष की शानदार सेवा की है।
- वर्ष 2018–19 में संभलाई गई 7.96 मि.टन (4.50 लाख ट्यूज) यातायात को पार करते हुए 9% वृद्धि रजिस्टर करते हुए रिकार्ड मात्रा 8.65 मि.टन (5.04 लाख ट्यूज) कंटेनर कार्गो की संभलाई की गयी।
- पिछले वर्ष 2018–19 के दौरान आयात पीओएल कार्गो संभलाई गई 2.93 मिलियन टन को पार करते हुए वर्ष के दौरान 3.86 मिलियन टन रिकार्ड मात्रा की संभलाई की गयी।
- पूँजी योजना स्कीम पर रु. 100.28 करोड़ खर्च किया गया।
- भारत, नेपाल, भूटान, माईमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड सहित 7 देशों की बिमस्टेक बैठक 7 एवं 8 नवंबर, 2019 को आयोजित की गई थी।

प्रारंभ किए गए महत्वपूर्ण परियोजना :

- आंतरिक बंदरगाह में 14.50 मी. ड्राफ्ट वाले जलयानों को ठहराने के लिए रु. 198.46 करोड़ की लागत पर वर्तमान पुराना और शालो घाट ईक्यू-2 से ईक्यू-5 घाटों को प्रतिस्थापित करते हुए बहुपयोगी टर्मिनल का विकास दिनांक 30-09-2019 को समाप्त हुआ।
- रु. 8.66 करोड़ की लागत पर डब्ल्यूक्यू-8 से डब्ल्यूक्यू-6 में सीसी ब्लॉक पेवमेंट, प्रहरी दीवार और ड्राजनेज़ सिस्टम का विकास दिनांक 23-11-2019 को समाप्त हुआ।
- रु. 2.46 करोड़ की लागत पर पोर्ट क्षेत्र में वीजीसीबी गेट पर कंटेनर स्केनर की स्थापना के लिए सिविल कार्यों का विकास दिनांक 25-09-2019 को समाप्त हुआ।
- डब्ल्यूक्यू-5 से डब्ल्यूक्यू-4 और डब्ल्यूक्यू-1 से डब्ल्यूक्यू- रिटर्न इंड तक आरसीसी गार्ड दीवार सहित सीसी ब्लॉक सड़ा का विस्तार और बेक अप क्षेत्र में रु. 1.64 करोड़ की लागत पर पौधारोपण प्लांट के लिए जमीन का प्रबंध दिनांक 19-09-2019 को समाप्त किया गया।
- रु. 97 लाख की लागत पर वाई जंक्शन में अप्रोच सड़क से ईस्सार जंक्शन तक पूर्व गेट और पश्चिमी गेट पर सीसी ब्लाक का ट्रक पार्किंग का प्रावधान दिनांक 30-12-2019 को समाप्त हुआ।

प्रारंभ किए गए महत्वपूर्ण परियोजना :

- विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट के बाह्य बंदरगाह में चैनल घाट क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ टर्मिनल का निर्माण रु. 51.06 करोड़ की लागत पर दिनांक 08-09-2019 को मंजूर किया गया ।
- बाह्य बंदरगाह में वर्तमान एलपीजी घाट पर रु. 5.91 करोड़ की लागत पर मरम्मत और पुर्नवास के लिए दिनांक 23-08-2019 को दिया गया ।
- पोर्ट एरिया में पोर्ट भंडारण यार्ड (पश्चिमी के बी. रॉम्प, ओएचसी के नार्थ) में एम-55 ग्रेड के प्री-कास्ट कांक्रीट ब्लॉकों सहित हार्ड सरफेसिंग का प्रबंध करने रु. 9.93 की अनुमानित लागत पर दिनांक 10-10-2019 को दिया गया ।
- पोर्ट क्षेत्र में सीसी ब्लॉक पेवमेंट के साथ ग्रेड सपरेटर अप्रोच की एंड से एच-7 जंक्शन तक सड़क कनेक्शन का प्रावधान के लिए रु. 2.41 करोड़ की मंजूरी पर दिनांक 24-01-2020 को दिया गया ।
- रु. 1.76 करोड़ की लागत पर डब्ल्यूक्यू-1 से डब्ल्यूक्यू-3 घाटों के बेकप क्षेत्र का री-ग्रेड और मरम्मत के लिए दिनांक 10-03-2020 को मंजूर किया गया ।

प्रगति पर रहे प्रमुख परियोजना :

- मेसर्स वीसीटीपीएल वर्तमान टर्मिनल प्रचालक द्वारा रु. 633.11 की लागत पर वर्तमान कंटेनर टर्मिनल का विस्तार करना ।
- आंतरिक बंदरगाह में ओआर-1 एवं ओआर-2 घाटा की उपयोगित क्षमता की वृद्धि करना ।
- कान्वेंट जंक्शन से जानेवाले एच-7 क्षेत्र से पोर्ट कनक्टिविटी सड़क तक ग्रेड सपरेटर का निर्माण करना ।
- मोबाईल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर की स्थापना करना ।
- बाह्य बंदरगाह में मूरिंग एंड ब्रेस्टिंग सहित एलपीजी घाट का मरम्मत / स्थापना ।
- जमा योजना के अंतर्गत आर एवं डी यार्ड के लिए आरआरआई और पूर्व रेल्वे द्वारा वैयक्तिक केबिन के लिए पेनल इंटर लॉकिंग का प्रबंध करना ।
- पोर्ट क्षेत्र में ओएचसी के पोर्ट खाली भंडारण यार्ड अर्थात नार्थ ईस्ट के बी. रॉम्प के ईस्ट में एम-55 ग्रेड के प्री-कास्ट कांक्रीट ब्लॉकों सहित हार्ड सरफेसिंग का प्रबंध करना ।
- नेशनल एलईडी क कार्यक्रम द्वारा देश को पार करते हुए एलईडी आधारित रेपिड होम लाइट्स और स्ट्रीट लाइट्स को अपनाते हुए – पोर्ट क्षेत्र और वेस्ट्रन सेक्टर क्षेत्रों में वर्तमान एचपीएसवी / एमएच कन्वेंशनल लाइट फिटिंग्स को प्रतिस्थापित करते हुए एलईडी आधारित स्ट्रीट लाइटिंग और हाई मास्ट लाइटिंगों को रखा गया ।
- अनकापल्लि लेविल क्रासिंग पर वर्तमान हाई राईज़ वॉल से ओएचसी प्रहरी दीवार तक धूली अवरोध सिस्टम का प्रावधान ।

प्रारंभ किये गये मार्केटिंग पद्धतियाँ :

वर्ष 2019-20 के दौरान प्रारंभ किये गये मार्केटिंग पद्धतियों के कारण कार्गो संभलाई में 11% वृद्धि रजिस्टर किया गया है विवरण निम्नानुसार है :

- खदानों से बिजली संयंत्र तक कोल की चलन के लिए तांगेडो को एंड टू एंड सोल्यूशन उपलब्ध करना ।
- लोहा अयस्क के लिए टर्मिनल प्रभार में छूट देना ।
- थर्मल कोल वेगन उतारने के लिए लेवी में छूट देना ।
- प्रधान कंटेनर जलयानों के लिए पोर्ट से संबंधित प्रभारों में रियायत ।
- खुले क्षेत्रों में जमीन आबंटन के लिए लाईसेंस शुल्क में छूट ।
- व्यापार विकास में संपर्कित टीम की स्थापना करना ।
- नियोजित कार्गो संभलाई कार्मिकों पर लेवी में छूट ।

ग्रीन इनीशियेटिव्स :

- पोर्ट ने 10 एमडब्ल्यू द्वारा उपयोग स्केल सोलार पॉवर प्लांट को चालू करके आवश्यक ऊर्जा पैदा करने में आत्मनिर्भरता हासिल की जिसके द्वारा प्रति वर्ष 178 लाख यूनिटों की अनुमानित विद्युत उत्पादन होता है ।
- गोल्डन जूबली अस्पताल के रूफटॉप में और अन्य प्रचालन भवनों पर 190 केडब्ल्यू सोलार पॉवर प्लांट की स्थापना की ।
- 1.35 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में यांत्रिक धूली दमन पद्धति (एमडीएसएस) सहित 70 पानी छिड़काव का प्रावधान है और आगे के लिए 2.48 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र सहित 99 पानी छिड़काव को विस्तार करने का प्रस्ताव है ।
- ट्रक टायर धुलाई सिस्टम का प्रचालन दो स्थानों अर्थात इस्सार जंक्शन और 'बी' रॉम्प क्षेत्र में हो रहा है ।
- सड़कों को साफ और सुधार रखने के लिए यांत्रिक सफाई मशीन प्रचालन में रखा गया ।
- 10 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से शुद्ध किया गया पानी धूली धमन के लिए पुनरुपयोग किया गया ।
- अस्पताल के कुल सीवेज को संभालने के लिए 25 केएलडी एफआरपी आधारित पैकेज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अक्टूबर 2019 में गोल्डन जुबली अस्पताल में प्रारंभ किया गया है ।
- सड़क, स्टॉक याड्स और शहर के मुख द्वारों में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन लगातार किया जा रहा है ।

सीएसआर गतिविधियाँ :

- अनुसूचित जन जाति क्षेत्रों में चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए एम्बुलेन्स दान किया गया है ।
- निर्धारित 5 पाठशालाओं में शौचालयों का अनुरक्षण के लिए प्रति वर्ष रु. 1.02 लाख खर्च किया जा रहा है ।
- इंडियन रेड क्रॉस सोसाईटी के साथ नियमित रूप से दो चिकित्सा कैंप और दवाईयों का वितरण निःशुल्क दिया जा रहा है ।
- निर्धारित पाठशालाओं के बच्चों को पुस्तक, बेग और अन्य आवश्यक चीजों की व्यवस्था किए जा रहे हैं ।

पुरस्कार :

- विशाखपट्टणम पोर्ट को पोर्ट सेवा क्षेत्र में ग्रीनटेक फाऊंडेशन द्वारा पर्यावरण प्रबंधन के भाग में 2019 को उत्कृष्ट 19वीं वार्षिक ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार के लिए लगातार तीसरी विजेता घोषित किया गया है ।
- विशाखपट्टणम पोर्ट को पोर्ट सेवा क्षेत्र में ग्रीन टेक फाऊंडेशन द्वारा सुरक्षा प्रबंधन के भाग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 19 वीं वार्षिक ग्रीनटेक सुरक्षा पुरस्कार 2019 घोषित किया गया है ।

वीपीटी ने डॉल्फिन नोस और दक्षिण ब्रेकवॉटर के बीच और विस्तारित पाईपलाइन की माध्यम से शेर पंपिंग द्वारा चार किलोमीटर में इक्कट्टा हुई रेत को कलेक्ट करते हुए बीच नूरिशमेंट प्रारंभ किया ।

विशाखपट्टणम पोर्ट ने व्यावसायिक प्रथाओं, सुविधाओं के आधुनिकीकरण और निरंतर सुधार को पूरा करने के लिए दक्षता को सुधार करने और साथ में पर्याटन, वेयर हाऊसिंग ज़ोन को मुफ्त व्यापार आदि के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास वृद्धि प्राप्त करने के लिए लगातार बेहतर प्रयासरत है ।

हम अपने सभी महत्वपूर्ण ग्राहकों और स्टॉकहोल्डर्स के निरंतर सहयोग एवं प्रोत्साहन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हम सभी संघों के सकारात्मक योगदान की भी प्रशंसा करते हैं। हम अपने पोर्ट कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शित समर्पण एवं निष्ठा की हार्दिक प्रशंसा करते हैं ।

न्यासी मंडल के लिए और उनकी ओर से


अध्यक्ष

पोर्ट की बहुमूल्य सांख्यिकी

2019-20

बर्थों की संख्या	26 +एसपीएम
विद्युत वार्फ क्रैन	4
शिपिंग टर्म्स	8
पोर्ट – 6, प्राइवेट – 2	
भंडारण सुविधाएं (शुष्क)	
पोर्ट का अपना (लाख वर्ग मीटर)	
– अच्छादित	0.48
– सीमाशुल्क के अंतर्गत खुले क्षेत्र	1.97
– सीमाशुल्क के बाहर खुले क्षेत्र	10.47
संभलाई गई यातायात (मिलियन में)	
– निर्यात	24.34
– आयात	46.32
– यानांतरण	2.06
– कुल	72.72
प्रति घाट दिवस उत्पादन (टन)	
– यांत्रिक	20,573
– गैर यांत्रिक	10,513
– कुल	14,901

संभलाये गये ट्यूजों की संख्या	503,630
नौचालित जहाजों की संख्या	2,163
नौचालित जहाजों की जीआरटी (मिलियन में)	68.26
पोर्ट रेल्वे सिस्टम	
– ट्रेक लंबाई (कि.मी.)	180
– साईडिंग की संख्या	14
– खुले टर्मिनल्स	16
पोर्ट रेल्वे द्वारा संचालित कार्गो (मिलियन टनों में)	
– प्राप्ति (लोहा अयस्क)	6.92
– प्राप्ति (सामान्य)	3.75
– प्रेषण (सामान्य)	21.46
– कुल	32.13

आगे का विवरण अनुलग्नक 1 से 5 में दिया गया है ।

परिचालन निष्पादन :

1.0 यातायात

1.1 विशाखपट्टणम पोर्ट में वर्ष 2018-19 में 65.30 मि. टन की कार्गो की संभलाई की जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान 11% की वृद्धि रजिस्टर करते हुए 72.72 मि.टन यातायात की संभलाई की ।

1.2 निर्यात आयात और यानांतरण के विवरण नीचे दिये गये हैं । (मिलियन टन)

विवरण	2019-20	2018-19	2017-18
निर्यात	24.34	20.49	21.74
आयात	46.32	43.73	40.49
यानांतरण	2.06	1.08	1.31
कुल	72.72	65.30	63.54

1.3 कुल यातायात में तटीय यातायात का अनुपात 22% था । (मिलियन टन)

विवरण	विदेशी	तटीय	कुल
निर्यात	12.61	22.73	24.34
आयात	42.76	3.56	46.32
यानांतरण	1.01	1.05	2.06
कुल	56.38	16.34	72.72

1.4 वर्गवार यातायात (मिलियन टन)

विवरण	2019-20	2018-19	2017-18
ड्राई बल्क	42.43	38.26	37.37
तरल बल्क	21.05	18.26	16.87
ब्रेक बल्क एवं कंटेनर	9.24	8.78	9.30
कुल	72.72	65.30	63.54

विवरण अनुलग्नक 6 एवं 7 में दिया गया है ।

1.5 कुल यातायात 65.30 मिलियन टन में से 44.01 मिलियन टन (67%) यांत्रिक साधनों से संभलाया गया । (मिलियन टन)

वस्तु का वर्ग	यांत्रिक	गैर यांत्रिक	कुल
लोहा अयस्क एवं पिल्लेट्स (निर्यात)	12.51	1.88	14.39
अल्युमिना	1.24	0.15	1.39
उर्वरक एफ आर एम (शुष्क)	0.21	2.75	2.96
तरल बल्क	21.05	—	21.05
कोकिंग कोल	2.84	4.60	7.44
स्टीम कोल	5.92	3.35	9.27
कंटेनर कार्गो	8.65	—	8.65
अन्य कार्गो	—	7.57	7.57
कुल	52.42	20.30	72.72

एफ आर एम — उर्वरक कच्ची सामग्री ।

1.6 भारतीय / विदेशी फ्लौग के शिप

कुल यातायात 72.72 मि.टन में से इंडियन बॉटम द्वारा 12.27 मि.टन संभलाया गया जो 17% है ।

1.7 कंटेनर कार्गो

विवरण	निर्यात	आयात	कुल
बाक्सों की संख्या	200,913	208,036	408,949
ट्यूजों की संख्या	246,238	257,392	503,630
टन भार	4,563,952	4,085,269	8,649,221
कार्गो का भार	4,047,856	3,510,826	7,558,682
टेयर का भार	516,300	574,239	1,090,539

विवरण अनुलग्नक 8 में दिया गया है ।

1.8 परिचालित कंटेनर सेवाएं :

कंटेनर टर्मिनल में चार प्रधान लाईन सेवाएं अर्थात एफएमई, एमडीएम, सीएचएक्स और आईईएक्स, दो एक्जिम फीडर सेवाएं सीसीजी अंड एफएसएल और दो तटीय सेवाएं एसईसीओएस और एसबीएफ प्रचालन कर रहे हैं ।

1.9 कंटेनर जहाज विंडो :

सेवा आईडी	प्रचालक	टाईप	सेक्टर
एफएमई,	केएमटीसी / सीएमए.एपीएल / आरसीएल / सीओएस / टीएसएल / फीडरटेक	प्रधान लाईन	विशाखपट्टणम –पोर्ट किलांग – मन्ला – बूसन – क्विगडो – शांगै – शीको – सिंगापुर – चेन्नै – विशाखपट्टणम
एमडीएम	बीटीएल / डब्ल्यूएचएल	प्रधान लाईन	विशाखपट्टणम – सिंगापुर – वेस्ट पोर्ट किलांग – पोर्ट किलांग – सिंगापुर – वेस्ट पोर्ट किलांग – पोर्ट किलांग– चेन्नै – विशाखपट्टणम
सीएचएक्स	एमएसके	प्रधान लाईन	विशाखपट्टणम – टॉनजंग पिल्पिस – एक्सगेंग क्विगडो – बूसन शांगै – नानशा शांगै – नानशा थांजंग – पिल्पिस चेन्नै – कृष्णपट्टणम – विशाखपट्टणम
आईईएक्स	एचएलएल / सीओएस / ओओसीएल / ओएनई / वाईएलएल	प्रधान लाईन	विशाखपट्टणम – कृष्णपट्टणम – चेन्नै – तुत्तुकुडी – कोलंबो – कोच्चिन – डामिटा – पैरीस – रेडरडॉम – लंदन केटवे – हमबर्ग – एंटरेप – ली हेवी – डामिटा – जेड्डा – कोलंबो – वैजाग
सीसीजी	एवरग्रीन / ग्लोबल फीडर्स	एक्जिम फीडर	विशाखपट्टणम – कृष्णपट्टणम – काटूपल्लि – कोलंबो –कोच्चिन – जीबेल अलि – कोच्चिन – कोलंबो – चेन्नै – विशाखपट्टणम
एफएसएल कोलंबो	एफएआर शिपिंग	एक्जिम फीडर	विशाखपट्टणम – कृष्णपट्टणम – कोलंबो विशाखपट्टणम
सीकोस	श्रेयास शिपिंग	तटीय सेवा	विशाखपट्टणम – कृष्णपट्टणम – हाल्लिया – विशाखपट्टणम
एसबीएफ	श्रेयास शिपिंग	तटीय सेवा	विशाखपट्टणम – कोलकत्ता विशाखपट्टणम

1.10 प्रधान वस्तुवार यातायात

(लाख टनों में)

वस्तु	वास्तविक 2019-20	वास्तविक 2018-19	वास्तविक 2017-18
पी ओ एल	189.14	163.21	160.50
लोहा अयस्क एवं पिल्लेट्स	143.86	102.42	106.46
कोकिंग कोल	74.46	57.27	57.64
स्टीम कोल	92.68	90.26	58.35
थर्मल कोल	8.21	18.51	29.48
उर्वरक – फिनिशड	20.59	21.25	19.53
उर्वरक कच्ची सामग्री (शुष्क)	8.99	9.85	9.20
कंटेनर कार्गो	86.49	79.59	68.35
अन्य	102.80	110.65	125.86
कुल	727.22	653.01	635.37

1.11 मुख्य विदेशी भागीदार – निर्यात

देश	वालयूम (लाख टनों में)	हिस्सा (%)
इंडोनेशिया	55.93	13.08
आस्ट्रेलिया	55.11	12.89
यू ए ई	49.42	11.56
सौत आफ्रिका	41.84	9.78
यूएसए	25.61	5.99
नैजीरिया	22.74	5.32
ईराख	22.10	5.17
सौदी अरेबिया	12.94	3.03
मलेशिया	12.68	2.97
खतार	12.00	2.81
सिंगापुर	11.69	2.73
रूस	10.88	2.54
केनडा	9.17	2.14
कोलंबो	8.99	2.10
चैना	8.79	2.05
कोरिया रिपब्लिक	5.73	1.34
ओमान	4.63	1.08
जापान	4.39	1.03
मोराको	4.05	0.95
ईरान	3.88	0.91

देश	वालयूम (लाख टनों में)	हिस्सा (%)
कुवाईट	3.50	0.82
मुजांबिक	3.24	0.76
क्विगंडो	3.13	0.73
टोगो	2.99	0.70
षांगाई	2.73	0.64
ब्रेजिल	2.35	0.55
ईजिप्ट	2.20	0.51

1.12 मुख्य विदेशी भागीदार – निर्यात

देश	वालयूम (लाख टनों में)	हिस्सा (%)
सिंगापुर	31.69	26.13
चैना	18.83	14.94
मलेशिया	15.69	12.44
कोलंबो	13.58	10.27
यू ए ई	13.55	10.75
कोरिया रिपब्लिक	8.65	6.86
जापान	6.40	5.07
टेनजांग पिलिपेस	6.22	4.94
बांग्लादेश	2.32	1.84
ईजिप्ट	1.21	0.96
इंडोनेशिया	1.06	0.84
षांगाई	1.01	0.80
खतार	0.71	0.57
सौदी अरेबिया	0.69	0.54

1.13 मुख्य विशेषताएं

- विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट ने लगातार चौथी वर्ष के लिए भी वृद्धि के पथ में चल रही है । वर्ष 2019–20 के दौरान 72.72 मिलियन टन कार्गो संभलाई की गई जबकि पिछले वर्ष में 65.30 मिलियन टन था तदनुसार 11% वृद्धि के साथ 7.42 मिलियन टन वृद्धिगत यातायात प्राप्त किया गया ।
- विशाखपट्टणम पोर्ट को पूर्व तटीय यातायात संभलाई में दूसरी स्थान मिला ।
- वर्ष 2019–20 के दौरान अभी तक अत्यधिक कंटेनर यातायात की संभलाई की गई है । वर्ष 2018–19 में संभलाई गई पिछले रिकार्ड मात्रा 7.96 मिलियन टन (450,460 टीईयूस) को पार करते हुए 8.65 मिलियन टन (503,630 टीईयूस) की संभलाई की गई इस प्रकार 9% की वृद्धि प्राप्त हुई ।

- वर्ष 2019-20 के दौरान 3.86 मिलियन टन निर्यात पीओएल की रिकार्ड मात्रा की संभलाई किया गया जब कि वर्ष 2018-19 के दौरान 2.93 मिलियन टन संभलाया गया था ।

आगे का विवरण अनुलग्नक - 9 में दिया गया है ।

- 1.14 सेवा क्षेत्र से प्राप्त / सेवा क्षेत्र को प्रेषित । परिवहन की विभिन्न पद्धतियों द्वारा प्राप्त / प्रेषित कार्गो का वस्तुवार विवरण अनुलग्नक 10 एवं 11 में दिया गया है ।

2.0 शिपिंग

- 2.1 आंतरिक बंदरगाह में 14.50 मीटर्स तक ड्राफ्ट वाले पेनामाक्स जलयानों के लिए खोला गया । बाह्य बंदरगाह में 18.10 मीटर्स तक ड्राफ्ट वाले केप साईज़ जलयानों के लिए खोला गया ।

वर्ष के दौरान पोर्ट में 2,165 जहाजों ने प्रवेश किया और 2,163 जहाजों का नौचालन हुआ ।

पोर्ट में आये जहाजों (नौचालन) का विवरण एन आर टी, जी आर टी तथा डी डब्ल्यू टी निम्नानुसार है :

(मिलियन)

वर्ष	जहाज	डीडब्ल्यूटी	जीआरटी	एनआरटी
2019-20	2,163	109.50	68.26	36.55
2018-19	2,054	99.07	61.24	32.89
2017-18	2,015	99.27	60.98	32.92

आगे का विवरण अनुलग्नक 12 में दिया गया है ।

- 2.2 प्रवेश और नौचालित जहाज (विदेशी / तटीय)

वर्ग	प्रविष्ट जहाज		नौचालित जहाज	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
विदेशी	1,534	1,353	1,530	1,358
तटीय	631	702	633	696
कुल	2,165	2,055	2,163	2,054

- 2.3 घाट अधिग्राहिता :

वर्ष 2019-20 के दौरान घाट की अधिग्राहिता 56% थी जबकि पिछले वर्ष 2018-19 में 54% रही ।

अन्य विवरण अनुलग्नक 03 में दिया गया है ।

- 2.4 अधिकतम जहाज संचालन

विवरण	2019-20	2018-19
एक दिन में	30 (19-08-2019)	37 (07-12-2018)
महीने में	1105 (अगस्त, 2019)	938 (सितंबर 2018)

2.5 कार्गो प्रकार के अनुसार नौचालित जहाज

जहाजों का वर्ग	2019-20	2018-19
लोहा अयस्क एवं पिल्लेट्स		
बाह्य बंदरगाह	175	131
आंतरिक बंदरगाह	54	25
पी ओ एल टैंकर्स	554	560
कोकिंग कोल (यांत्रिक + परंपरागत)	146	122
स्टीम कोल (यांत्रिक + परंपरागत)	136	141
थर्मल कोल	22	56
उर्वरक थैली सहित (यांत्रिक + परंपरागत)	63	69
रॉक फास्फेट और गंधक (यांत्रिक + परंपरागत)	36	32
अन्य शुष्क बल्क	255	249
अन्य तरल कार्गो	215	206
खाद्यन्नवाले	1	—
अन्य अयस्क (मैंगनीस ओर आदि)	67	78
अन्य कार्गो (ब्रेक बल्क)	46	51
कंटेनर	329	292
पानी, बंकर आदि के लिए जहाज	64	42
कुल	2,163	2,054

2.6 एक दिन में घाट पर जहाजों की अधिकतम संख्या 9.14 लाख जी आर टी के साथ अधिकतम 31 जहाज दि. 12-01-2020 को पोर्ट में थे ।

2.7 शिप संचालन

विवरण	2019-20	2018-19	2017-18
आगमन	2,165	2,055	2,012
प्रस्थान	2,163	2,054	2,015
शिपिंग	112	81	114
कुल	4,440	4,190	4,141

2.8 अत्यधिक लंबाई, बीम और डी डब्ल्यू टी वाले जहाज

विवरण	2019-20	2018-19
आंतरिक बंदरगाह		
लोवा 195-210 मी	53	64
लोवा 210-225 मी	50	45
लोवा > 225 मी	89	84
बीम > 32.26 मी	7	14
बाह्य बंदरगाह		
वीजीसीबी (>डीडब्ल्यूटी 150,000) में केप साईज़		
जलयान	9	13
लोवा > ओ बी पर 270 मी.	—	01
लोवा > वी सी टी पर 270 मी.	87	52

2.9 अत्यधिक डी डब्ल्यू टी वाले जलयान

जलयान / बर्थ	डी डब्ल्यूटी	लोवा (मीटर्स.)	बीम (मीटर्स.)	ड्राफ्ट (मीटर्स.)
बाह्य बंदरगाह: वीजी सीबी पर एम.वी.मिनिरल एनर्जी	197,509	288.93	45.00	17.77
आंतरिक बंदरगाह: डब्ल्यूक्यू- 7 पर एम.वी.सीएसके लॉगविटि	89,516	224.98	32.24	14.42
एसपीएम पर एम.वी. मारान अरिडन	319,398	336.00	60.00	19.10

अत्यधिक ड्राफ्ट वाले जलयान :

विवरण	2019-20	2018-19
वीजीसीबी पर > 16 मीटर	7	11
आंतरिक बंदरगाह पर > 14 मीटर	111	86

2.10 हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षण

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान पोर्ट के हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कार्य करनेवाले दो सर्वेक्षण यूनिटों का कार्य संतोषजनक रहा । पूर्ण रूप से कंप्यूटराईज्ड सर्वेक्षण लांच "निर्मल" को पोर्ट सीमाओं के अंतर्गत वीओएच सर्वेक्षण, आंतरिक चैनल आर्म्स एवं बर्थ तथा ब्रेक वाटर के बाहर सर्वेक्षण के लिए नियोजित किया गया है । वीओएच यूनिट उत्तर तरंगरोध के उत्तरी ब्रेकवॉटर सागरनगर तक और अन्य क्षेत्रों में समुद्र तट के साथ साथ साऊंडिंग्स एवं लेवल्स लेने के लिए भूमि सर्वेक्षण यूनिट (बीच प्रोफाईल यूनिट) के साथ काम किया ।

आंतरिक बंदरगाह यूनिट ने घाटों के पास और क्षेत्रों के समीप "मसूला बोट" ईको साऊंडर और जीपीएस के साथ फैलाते हुए साऊंडिंग्स लेने के लिए और जहां आवश्यकता है (कीचडधार क्षेत्रों) वहां सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है ।

नक्शा कार्यालय ने उन्हें प्राप्त डॉटा के साथ साऊंडिंग चाटर्स तैयार करने और प्लॉट करने के लिए हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के साथ काम किया ।

वर्ष के दौरान आयोजित सर्वेक्षण के विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	आंतरिक बंदरगाह	बाह्य बंदरगाह	बीच प्रोफाईल	कुल
2019-20	238	223	156	617
2018-19	235	208	168	611

2.11 मौसम

रिपोर्ट के दौरान बाह्य बंदरगाह पर 12-08-2019 में 1.75 मीटर की अधिकतम ऊंची लहर देखी गई, जब कि पिछले वर्ष के दौरान दिनांक 21-08-2018 को देखी गई अधिकतम ऊंचाई वाली लहर 1.70 मीटर थी।

2.12 पायलटेज संचालन :

विवरण	आगमन	प्रस्थान	शिपिंग	कुल
आंतरिक बंदरगाह	945 (1272)	918 (1260)	3086 (2244)	4949 (4776)
बाह्य बंदरगाह	627 (657)	609 (638)	1038 (382)	2274 (1677)
मत्स्य बंदरगाह	13 (8)	10 (8)	65 (31)	88 (47)
हिन्दुस्तान शिपयार्ड	9 (4)	12 (8)	70 (39)	91 (51)
अन्य	90 (114)	71 (92)	2838 (5954)	2999 (6160)
कुल	1684 (2055)	1684 (2006)	7097 (8650)	10401 (12711)

कोष्टक के अंकडे पिछले वर्ष की सूचना देते हैं :

2.13 नौचालन सुविधाएँ : आंतरिक बंदरगाह – दिन में :

(मीटर में)

विवरण	जलयान साईज़	बीम	ड्राफ्ट	ज्वार भाटा
आगमन / प्रस्थान	पैनामैक्स / हेन्डीमैक्स	38.00	14.50	0.5

✓ 195 मी. से अधिक लोवा वाले या 32.0 मी. से अधिक बीम वाले जलयानों की संभलाई दो पायलेटों द्वारा की जा सकती है।

आंतरिक बंदरगाह – रात्री नौचालन :

(मीटर में)

विवरण	जलयान साईज़	बीम	ड्राफ्ट	ज्वार भाटा
आगमन	हेन्डीमैक्स	32.50	14.50	---
प्रस्थान	पैनामैक्स	32.50	14.50	---

✓ 200 मी. लोवा जहाजों को रात्रि के समय में अधिकतम 14.0 मी. ड्राफ्ट में अनुमेष है।

बाह्य बंदरगाह – दिन में :

(मीटर में)

विवरण	लोवा	बीम	ड्राफ्ट	ज्वार भाटा
ओ बी-1 और 2	300	50.00	16.5	---
कंटेनर टर्मिनल (वी सी टी)	320	42.00	14.5	---
वीजीसीबी (200,000 डीडब्ल्यूटी)	300	50.00	18.10	---
एल पी जी बर्थ	230	42.00	14.0	---
10,000 डीडब्ल्यू टी के लिए चैनल बर्थ	150	18.75	8.50	---
मत्स्य बंदरगाह	70	14.00	5.50	0.70
एसपीएम	बर्थिंग दिन के समय में ही किया जा सकता है ।			

270 मी. से अधिक लोवा वाले या 42 मी. से अधिक बीम वाले जलयानों की संभलाई दो पायलेटों द्वारा की जा सकती है ।

बाह्य बंदरगाह – रात्रि नौचालन :

आगमन :

- 1 एल पी जी / ओएसटीटी घाटों पर 220 मी. लोवा के टैंकरों को और इससे अधिक एल पी जी / ओएसटीटी पर दो पायलेटों द्वारा बर्थ किया जाता है ।
- 2 ओ बी -1, ओ बी -2 और वी जी सी बी के पास 75,000 डीडब्ल्यू टी और उससे अधिक वाले जहाज और 270 मी. और उससे अधिक लोवा वाले जलयान कंटेनर टर्मिनल पर 2 पायलेटों के साथ बर्थ किए जाते हैं ।

नोट :

- अधिक ड्राफ्ट वाले जलयानों के साथ मामले से मामले के आधार पर उपयुक्त ज्वार पर विचार करते हुए अनुमति दी जाएगी ।
- मॉ जहाजों के साथ बेटी जहाजों की बर्थिंग / अन- बर्थिंग की संभलाई दो पायलेटों द्वारा की जा सकती है ।

3.0 दक्षता पौरामीटर्स

3.1 वर्ष 2019-20 में प्रति शिप घाट दिवस उत्पादन 14,901 टन है, जहाजों का आवर्तन समय 2.48 दिन और औसतन प्री बर्थिंग अवरोध 0.05 दिन रहा ।

3.2 भौतिक दक्षता पैरामीटर्स

वस्तुओं का वर्ग	ओ एस बी डी (टन)		औसतन पीबीडी (दिन)		औसतन टी आर टी (दिन)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
1. ड्राई बल्क (यांत्रिक.)	26,333	24,034	0.06	0.06	2.64	2.89
2. ड्राई बल्क (परंपरागत)	8,863	8,810	0.06	0.06	3.95	4.01
3. तरल बल्क	16,631	16,698	0.04	0.05	1.79	1.58
4. ब्रेक बल्क	2,354	2,737	0.09	0.05	4.15	4.18
5. कंटेनर्स	30,697	27,728	0.04	0.04	0.97	1.08
6. निवल	14,901	13,790	0.05	0.05	2.48	2.51

पी बी डी : प्री बर्थिंग अवरोध, टी आर टी : आवर्तन काल, ओ एस बी डी : प्रति जहाज घाट दिवस उत्पादन

3.3 प्रति जहाज घाट दिवस अधिकतम उत्पादन के साथ कार्गो (ओ एस बी डी) :

(टनों में)

क्र सं.	वस्तु	2019-20	पिछला उत्तम	वर्ष
1.	गंधक - एफ.बी.	8,999	4,370	2007-08
2.	उर्वरक - क्यू.बी.	7,059	6,989	2018-19
3.	थर्मल कोल	19,254	17,928	2012-13
4.	स्टीम कोल	11,134	10,701	2016-17
5.	निर्यात सी.पी. कोक	6,742	5,623	2013-14
6.	बी.एफ.स्लॉग	17,078	11,401	2006-07
7.	क्रूड ऑयल का यानांतरण	48,047	41,752	2007-08
8.	निर्यात - क्रूड ऑयल ओ.एच.	58,059	47,690	2008-09
9.	एल.पी.जी.	12,338	11,339	2017-18
10.	आयात लोहा अयस्क	12,484	10,850	2016-17

वस्तुवार - ग्रुप

1.	कंटेनर्स	30,697	27,727	2018-19
	कुल योग	14,901	13,791	2018-19

3.4 प्रति जहाज घाट दिवस (ओएसबीडी) के उत्पादन का वस्तुवार विवरण तथा औसतन पार्सल

वस्तु	ओ एस बी डी (टन)		औसतन पार्सल (टन)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
क. ड्राई बल्क (यांत्रिक)				
1. लोहा अयस्क यांत्रिक – विदेशी	27,865	51,697	59,938	69,855
2. लोहा पिल्लेट्स – विदेशी	—	39,319	—	53,790
3. लोहा अयस्क यांत्रिक. – तटीय	27,342	33,462	57,082	60,218
4. लोहा पिल्लेट्स यांत्रिक –तटीय	44,486	46,987	91,649	79,467
5. अल्यूमिना पाऊडर	18,887	20,745	30,265	30,348
6. गंधक – एफबी पर	8,999	3,134	12,468	23,947
7. रॉक फास्फेट एफ बी	4,714	5,787	34,806	35,203
8. एफ बी पर उर्वरक	—	—	—	—
9. कोकिंग कोल	20,061	16,624	52,128	46,368
10. स्टीम कोल	24,210	17,959	80,038	92,881
कुल ड्राई बल्क (यांत्रिक)	26,333	24,034	64,770	64,552
ख. ड्राई बल्क (परंपरागत)				
11. लोहा अयस्क	8,637	8,184	41,981	34,027
12. लोहा पिल्लेट्स	9,020	6,554	22,051	15,871
13. अन्य उर्वरक	6,710	7,072	26,031	22,296
14. क्यू बी पर गंधक	5,187	4,857	18,589	17,262
15. रॉक फास्फेट – क्यू बी	5,755	5,162	25,472	33,725
16. क्यू बी में उर्वरक	7,059	6,989	39,302	39,395
17. कोकिंग कोल	14,300	13,860	49,373	47,223
18. थर्मल कोल	19,254	15,903	37,314	33,049
19. लाईम स्टोन	8,165	8,640	33,355	33,227
20. लौम कोक	4,285	5,482	15,971	14,786
21. बी एफ स्लौग	17,078	6,075	51,470	23,025
22. स्टीम कोल	11,134	9,601	52,410	49,566
23. पेट कोक (आयात)	8,646	8,073	35,754	34,139
24. सी पी कोक (निर्यात)	6,742	4,264	18,789	16,585
25. जिप्सम	9,442	8,716	39,955	44,037
26. मौजी (बल्क)	—	3,360	—	26,250
27. सी.पी.कोक (आयात)	3,399	4,139	20,136	31,950
28. इल्मिनेट सेंड	—	5,958	—	14,333
29. आंत्रासाईट कोल	6,983	6,170	25,677	17,455
30. बाक्साईट	—	10,457	—	57,710
31. लोहा अयस्क (आयात)	12,484	10,774	46,932	54,504
32. येल्लो पीस	—	—	—	—
33. लोहा स्केप	—	—	—	—
34. इंडस्ट्रियल साल्ट	—	—	—	—
35. अन्य ड्राई बल्क	4,021	4,626		10,204
कुल ड्राई बल्क (परंपरागत)	8,863	8,810	33,536	33,820

वस्तु	ओ एस बी डी (टन)		औसतन पार्सल (टन)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
ग. तरल बल्क				
36. निर्यात पी ओ एल उत्पाद्य- आं बं	8,391	5,960	16,522	7,791
37. आयात पी ओ एल उत्पाद्य- आं बं	7,845	6,235	12,914	9,907
38. आयात पी ओ एल उत्पाद्य- बा बं	14,643	15,238	33,949	27,313
39. एल पी गैस	12,338	10,946	24,963	21,810
40. आयात क्रूड ऑयल	59,974	83,484	1,01,085	1,31,980
41. यानांतरण क्रूड ऑयल	48,047	---	2,57,334	---
42. (नि)(ओएच) क्रूड ऑयल का यानांतरण	58,059	---	51,467	---
43. यानांतरण पी ओ एल उत्पाद्य	28,933	34,825	28,509	31,837
44. निर्यात पीओएल का यानांतरण	24,539	24,575	27,119	25,773
45. फास्फारिक एसिड	8,989	9,241	9,182	9,976
46. कार्बिक सोडा	9,134	9,327		13,897
47. तरल अमोनिया	6,769	7,112	6,790	6,656
48. माल्टेन गंधक	8,856	8,996	11,418	12,514
49. स्टेरीन मोनोमार	6,578	6,189	6,167	7,955
50. निर्यात पीओएल बा.बं.	12,404	8,218	19,224	19,704
51. एथिलिनी आल्काहॉल	3,618	4,012	5,722	5,237
52. सल्फ्यूरिक एसिड	9,632	8,815	12,180	9,172
53. बयो डीज़ल	4,539	4,324	6,623	3,906
54. एडिबिल ऑयल	5,388	4,767	9,485	6,498
55. अन्य रसायन	5,162	5,560	5,304	5,216
कुल तरल बल्क	16,631	16,698	27,280	23,821
घ. ब्रेक बल्क				
56. टिंबर लाग्स	---	---	---	---
57. खाद्यान्न (बोरें) - सी	---	---	---	---
58. इस्पात कार्गो (आयात)	2,780	2,905	14,283	14,024
59. पिग आयरन	---	---	6,462	14,000
60. आयात सामान्य कार्गो	639	1,878	686	4,588
61. निर्यात सामान्य कार्गो	2,300	3,294	13,106	44,783
62. उर्वरक (बोरें)	2,356	2,398	14,761	12,051
63. ग्रेनाईट ब्लॉक्स (निर्यात)	2,988	3,112	9,461	7,290
कुल ब्रेक बल्क	2,354	2,737	9,108	11,039
च. कंटेनर कार्गो	30,697	27,728	26,256	27,085
कुल योग	14,901	13,790	34,581	32,452

3.5 वस्तुवार औसतन प्री बर्थिंग अवरोध (पोर्ट लेखा) और औसतन आवर्तन काल

वस्तु	ओ एस बी डी (पोर्ट लेखा) (घंटों में)		औसतन पीबीडी (दिनों में)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
क. ड्राई बल्क (यांत्रिक)				
1. लोहा अयस्क (एफ)	1.20	1.00	2.45	1.46
2. लोहा पिल्लेट्स (एफ)	1.70	0.50	—	1.45
3. लोहा अयस्क (सी)	1.73	3.07	2.24	2.01
4. लोहा पिल्लेट्स (सी)	1.31	1.61	2.19	1.84
5. अल्युमिना	1.28	1.95	1.75	1.64
6. एफ बी पर गंधक	2.25	0.81	1.56	8.20
7. रॉक फास्फेट एफ बी	1.56	0.90	7.82	6.61
8. एफ बी पर उर्वरक	—	—	—	—
9. कोकिंग कोल	1.70	1.02	2.80	2.90
10. स्टीम कोल	0.84	1.15	3.43	5.48
कुल ड्राई बल्क (यांत्रिक)	1.32	1.56	2.64	2.89
ख. ड्राई बल्क (पर)				
11. लोहा अयस्क	1.17	2.59	5.02	4.37
12. लोहा पिल्लेट्स	1.23	1.96	2.57	2.58
13. अन्य अयस्क	0.90	1.10	4.02	3.29
14. क्यू बी पर गंधक	4.25	0.78	3.87	3.71
15. क्यू बी पर रॉक फास्फेट	1.17	1.57	4.58	6.75
16. क्यू बी पर उर्वरक	1.82	1.15	5.75	5.85
17. कोकिंग कोल	1.01	1.24	3.62	3.58
18. थर्मल कोल	1.06	1.73	2.08	2.24
19. स्टीम कोल	1.21	1.36	4.87	5.33
20. लाईम स्टोन	1.89	1.14	4.27	4.00
21. जिप्सम	0.80	0.84	4.37	5.20
22. मौजी बल्क	—	1.00	—	8.61
23. लेम कोक	0.76	1.02	3.86	2.83
24. बी.एफ.स्लाग	1.00	28.50	3.18	5.07
25. पेट कोक (आयात)	1.47	1.06	4.30	4.37
26. सी.पी. कोक (निर्यात)	2.45	1.31	2.99	4.11
27. सी.पी. कोक (आयात)	0.54	0.83	6.02	7.85
28. इलिमिनेट सेंड	—	0.56	—	2.50
29. आंत्रासाईट कोल	0.93	1.37	3.81	2.99
30. बाक्ससाईट	—	0.70	—	5.64
31. येल्लो पीस	—	—	—	—
32. लोहा स्क्रैप	—	—	—	—
33. इंडस्ट्रियल साल्ट	—	—	—	—
34. अन्य ड्राई बल्क	2.65	1.96	2.23	2.35
35. आयात लाहा अयस्क	0.58	1.96	3.92	5.25
कुल ड्राई बल्क (परंपरागत)	1.45	1.40	3.95	4.01

वस्तु	ओ एस बी डी (पोर्ट लेखा) (घंटों में)		औसतन पीबीडी (दिनों में)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
ग. तरल बल्क				
36. निर्यात पी ओ एल उत्पाद्य- आं बं	0.85	0.97	2.10	1.43
37. आयात पी ओ एल उत्पाद्य- आं बं	1.05	1.89	1.79	1.75
38. आयात पी ओ एल उत्पाद्य- ब बं	0.70	0.99	2.50	1.93
39. एल पी गैस	0.70	1.29	2.14	2.13
40. आयात क्रूड ऑयल	1.12	1.00	1.85	1.83
41. यानांतरण क्रूड ऑयल	1.00	---	6.01	---
42. निर्यात क्रूड ऑयल का यानांतरण आं.बं.	1.11	---	1.12	---
43. यानांतरण पीओ एल उत्पाद्य	1.57	1.08	1.16	1.05
44. निर्यात पीओएल का यानांतरण आं.बं.	0.90	0.86	1.22	1.17
45. फास्फारिक एसिड	0.64	0.99	1.15	1.22
46. कार्बिक सोडा	0.94	1.17	1.89	1.63
47. तरल अमोनिया	1.07	0.95	1.15	1.07
48. माल्टेन गंधक	2.15	0.88	1.47	1.51
49. स्टेरीन मोनोमार	1.21	0.97	1.06	1.40
50. सल्फ्यूरिक एसिड	1.93	1.05	1.44	1.17
51. अन्य तरल	1.11	1.07	1.15	1.06
52. बयो डीज़ल	0.97	0.82	1.60	1.02
53. निर्यात पीओएल का यानांतरण बां.बं.	0.61	0.79	1.68	2.53
54. एथिलिनी आल्काहॉल	1.42	0.83	1.77	1.43
55. एडिबिल ऑयल	1.00	2.80	2.44	1.58
कुल तरल बल्क	1.03	1.23	1.79	1.58
घ. ब्रेक बल्क				
56. आयात सामान्य कार्गो	3.90	1.01	1.32	2.57
57. निर्यात सामान्य कार्गो	0.86	3.33	5.86	13.89
58. इस्पात कार्गो (निर्यात)	1.41	0.81	5.29	4.95
59. टिंबर	---	---	---	---
60. खाद्यान्न (बोरे)-सी	---	---	---	---
61. पिग आयरन	---	0.75	---	2.29
62. ग्रानाईट ब्लॉक्स	1.12	0.86	3.31	2.47
63. उर्वरक थैली	1.44	1.99	6.80	5.20
64. आयात इस्पात	---	---	---	---
कुल ब्रेक बल्क	2.04	1.23	4.15	4.18
च. कंटेनर्स	0.98	0.97	0.97	1.08
कुल योग	1.22	1.29	2.48	2.51

अन्य विवरण अनुलग्नक 13,14 एवं 15 में दिए गये हैं ।

3.6 शिफ्ट का प्रति गैंग कार्मिकों का निष्पादन :

वर्ष 2019-20 के दौरान प्रति शिफ्ट गैंग का उत्पादन ।

आगे का विवरण अनुलग्नक 16 में दिये गये हैं ।

4.0 अयस्क संभलाई संकुल

4.1 अयस्क संभलाई संकुल के तीन टिप्पलर्स ने अभिग्राही प्रणाली द्वारा 2019-20 में 1,558 रैकों का टिप्पल किया गया, जबकि वर्ष 2018-19 में 933 रैकों को टिप्पल किया गया था। मैनुअल साईडिंग पर 35 रैकों की उतराई की गई। 67.81 लाख टन का लोहा अयस्क प्राप्त किया गया और यांत्रिकी रूप से टिप्पल किया गया।

4.2 वौगन टिप्पलर्स का निष्पादन :

विवरण	2019-20	2018-19
टिप्पल रैकों की संख्या	1,593	933
— यांत्रिक	1,558	933
— हस्तगत	35	—
टिप्पल वैगनों की संख्या	77,568	52,264
— यांत्रिक	75,421	52,264
— हस्तगत	2,147	—
खाली समय में टिप्पल की गई रैकों की संख्या	888 (57%)	840 (90%)
वेगन को टिप्पल करने में लगा औसत समय (मिनट)		
द्विवन टिप्पलर	2.11	2.31
तीसरा टिप्पलर	1.40	2.17

टिप्पल किये गये रैकों की बारंबारता वितरण

प्रति दिन रैक	वर्ष में दिन	
	2019-20	2018-19
6 तक	327	306
7 से 8	37	4
9	2	—
10	—	—
11	—	—
12 और उससे अधिक	—	—
टिप्पल नहीं किये गये दिन	—	55
कुल	366	365

4.3 बाह्य बंदरगाह में अयस्क संभलाई संकुल के शिपिंग प्रणाली ने 182 लोहा अयस्क जलयानों से 125.06 लाख टनों का लोहा अयस्क तथा पिल्लेटों की संभलाई की, जिसमें 151 जलयानों ने प्रति 50,000 टन से ज्यादा उत्पादकता प्राप्त की।

4.4 लदान दर का बारंबार वितरण (प्रचालन घंटों पर आधारित) : (जलयानों की संख्या)

उत्पादन (टन)	2019-20	2018-19
40,000 टन से कम	9	—
40,000 से 50,000 टन	22	03
50,000 से 60,000 टन	35	12
60,000 से 70,000 टन	39	26
70,000 से 80,000 टन	47	36
80,000 से अधिक	30	55
कुल	182	132

4.5 चालू वित्तीय वर्ष में विशाखपट्टणम पोर्ट द्वारा तेरह निर्यातकों ने लोहा अयस्क और लोहा अयस्क पिल्लेटों का निर्यात किया गया।

5.0 पोर्ट रेल्वे

5.1 वर्ष 2019-20 में पोर्ट रेल्वे द्वारा 32.13 मि.टन यातायात का संचालन किया गया ।

(मिलियन टन)

विवरण	2019-20	2018-19	2017-18
प्राप्त लोहा अयस्क	6.92	3.98	4.36
प्राप्त सामान्य	3.75	4.17	5.49
प्रेषित सामान्य	21.46	19.39	17.75
कुल	32.13	27.54	27.60

5.2 संभलाये गये वेगनों की संख्या – सामान्य यातायात :

पोर्ट रेल्वे ने वर्ष 2019-20 में चार पहियों के मामले में (लोहा अयस्क के अलावा) 18.89 लाख वेगन यूनिट्स की संभलाई की जब कि वर्ष 2018-19 में 17.03 लाख वेगन यूनिट्स की ।

वर्ष	वेगन यूनिटों की संख्या		
	प्राप्त	प्रेषित	कुल
2019-20	944,190	944,368	1,888,558
2018-19	851,628	851,095	1,702,723
2017-18	808,328	807,998	1,616,325
2016-17	770,508	770,825	1,541,333

वेगन यूनिटों की औसतन संख्या (चौपाहियों के संबंध में) (लोहा अयस्क के अलावा)

विवरण	2019-20	2018-19
प्रति दिन प्राप्त वेगन यूनिटों की औसत संख्या	2,580	2,333
प्रति दिन प्रेषित वेगन यूनिटों की औसत संख्या	2,580	2,332

अन्य विवरण अनुलग्नक 17 एवं 18 में दिये गये हैं ।

5.3 संभलाये गए रैक्स की संख्या – लोहा अयस्क (यांत्रिक और हस्तचालित)

विवरण	ओ एच पी	मैनुअल साईडिंग्स	कुल
प्राप्त रैक	1558 (933)	35 (-)	1593(933)
टिप्पल / उतराई रैक	1593(933)	83(-)	1676(933)
टिप्पल / उतराई वेगन	75,421(52,264)	2,147(-)	77,568(52,264)
प्राप्त की गई मात्रा (लाख टनों)	69.23(39.80)	3.43(-)	72-66(39.80)

(कोष्टकों में आंकड़ें 2018-19 से संबंधित है)

अन्य विवरण अनुलग्नक 19 एवं 20 में दिये गये हैं ।

6.0 कार्गो संभलाई उपकरण का उपयोग

विवरण	% उपलब्धता		% उपयोगिता	
	मानक	वास्तविक	मानक	वास्तविक
विद्युत वार्फ क्रैन	67	98	23	8
लोकोमोटिव	95	96	78	77

अन्य विवरण अनुलग्नक 21 में दिये गये हैं ।

7.0 निकर्षण

7.1 मुख्य निकर्षण

वर्ष 2019–20 के दौरान 1.9700 लाख क्यू.मी. आंतरिक बंदरगाह में मूल निकर्षण किया गया ।

7.2 अनुरक्षण और निक्षेप निकर्षण

पोर्ट ड्रेजर :

पोर्ट ड्रेजर जी एच डी सागर दुर्गा को आंतरिक बंदरगाह और बाह्य बंदरगाह तथा मत्स्य बंदरगाह के विविध क्षेत्रों में नियोजित किया गया। वर्ष के दौरान पोर्ट ड्रेजर ने 0.4855 लाख क्यू. मी. मात्रा का अनुरक्षण निकर्षण और 0.1233 लाख क्यू.मी. का जमा निकर्षण किया गया। वर्ष के दौरान पोर्ट ड्रेजर और ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कुल मात्रा ड्रेजिंग किया गया और अनुरक्षण और जमा निकर्षण के अंतर्गत कुल 1.9055 लाख क्यू.मी. मात्रा का निकर्षण किया ।

प्रधान निकर्षण और अनुरक्षण के रूप में 1.9700 लाख क्यूबिक मीटर अन्य कंपनी के ड्रेजरों द्वारा तथा 1.9055 लाख क्यूबिक मीटर की मात्रा में निकर्षण किया गया और वर्ष के दौरान निकर्षित कुल मात्रा 3.8755 लाख क्यूबिक मीटर था ।

विवरण अनुलग्नक – 22 एवं 23 में दर्शाया गया ।

8.0 सामानसूची प्रबंधन

- सामान सूची स्टॉक मद वर्ष 2018–19 में 365 था जबकि 2018–19 में 365 थी ।
- वर्ष 2019–20 के लिए गौर न्यूनतम स्टॉक मदें (एनएमएस) 76 हैं जबकि 2018–19 में 86 थी ।
- वर्ष के दौरान प्राप्त कुल माँग / आवश्यकताओं की संख्या 452 है ।
- वर्ष के दौरान कुल क्रय आदेशों की संख्या 427 हैं ।
- वर्ष में उपभोग्य वस्तुओं का अनुपालन प्रतिशत 89.25% है ।
- सामान्य स्टोर्स डिपों की मालसूची रु. 7.24 करोड़ है ।
- वर्ष के दौरान कुल रु. 3.14 करोड़ मूल्य की मदों का निपटारा किया गया ।

9. पूँजी व्यय :

9.1 वर्ष 2019-20 के दौरान किये गये पूँजी कार्यों का पूर्णयोग रु.100.28 करोड है जबकि 2018-19 रु.146.18 करोड था। 2019-20 के दौरान पूँजी व्यय का विवरण इस प्रकार है :

(रूपये करोड़ों में)

पूँजी व्यय	2019-20	2018-19
योजना कार्य	100.28	146.18

9.2 वर्ष 2019-20 में योजना और गैर योजना कार्यों पर पूँजी व्यय का विवरण अनुलग्नक 26 में हैं ।

(रूपये करोड़ों में)

विवरण	जारी रहे योजनाएँ	नई योजनाएँ	कुल
सिविल			
आऊट ले	71.83	5.27	77.10
वास्तविक	115.08	20.51	135.59
यांत्रिक			
आऊट ले	2.51	18.94	21.45
वास्तविक	1.59	9.00	10.59
कुल			
आऊट ले	74.34	24.21	98.55
वास्तविक	116.67	29.51	100.28

9.3 वर्ष 2018-19 में मंजूर किये गये, पूरा किये गये एवं प्रारंभ किये गये कार्य :

विवरण	मंजूर किया गया		समाप्त एवं प्रारंभ किया गया		पिछले वर्षों में स्वीकृत और प्रगति पर रहे	
	योजनाओं की संख्या	पूँजी लागत (लाख रुपये)	योजनाओं की संख्या	पूँजी लागत (लाख रुपये)	योजनाओं की संख्या	पूँजी लागत (लाख रुपये)
योजना कार्य						
सिविल	10	5,757.08	9	20,552.29	10	30,956.45
यांत्रिक	8	1,088.08	6	156.30	3	3458.85

विवरण अनुलग्नक 27 से 32 में हैं ।

मानव संसाधन विकास :

1.0 औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध संतोषजनक रहा। हालांकि एक अवसर पर कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी मुद्दों पर दिनांक 8 जनवरी, 2020 को अखिल भारतीय औद्योगिक हड़ताल में भाग लिये हैं।

विवरण अनुलग्नक-38 पर दिया गया है।

2.0 स्टाफ की संख्या और मानव संसाधन विकास

स्टाफ की संख्या का विवरण – अनुलग्नक –33 में दिया गया है।

वर्ष के दौरान चुकाये गये वेतन और मजदूरी का विवरण –अनुलग्नक – 34 में दिया गया है।

दि.31.3.2019 तक अ जा / अ ज जा के आरक्षण का विवरण –अनुलग्नक-35 में दिया गया है।

2.1 कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाने की दृष्टि से वर्ष के दौरान मानव संसाधन विकास केन्द्र द्वारा 92 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। 1,793 कर्मचारी प्रशिक्षित किये गये हैं।

विवरण	प्रशिक्षित कर्मचारियाँ
अधिकारी	227
पर्यवेक्षक	345
लिपिक वर्गीय स्टाफ	409
कर्मकार	562
कें.औ.सु.ब.	47
अन्य	203

2.2 इस के अलावा वर्ष में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 तथा संशोधित अधिनियम 1973 के अनुसार मानव संसाधन विकास केन्द्र में निम्न लिखित प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया :

❖ स्नातक प्रशिक्षु	07
❖ अधिनियम प्रशिक्षु	25
❖ तकनीकी प्रशिक्षु	04

3.0 कल्याणकारी गतिविधियां :

3.1 चिकित्सा सुविधाएं :

- पोर्ट कर्मचारियों के लिए रोग निरूपण तथा इलाज के लिए चिकित्सा के संपूर्ण उपकरणों से सज्जित 80 पलंग सहित पोर्ट अस्पताल कार्य कर रहा है।
- मेडिकल, सर्जिकल, गायनिक, आर्थो, इ एन टी, आन्त्रात्मिक, पीडियाट्रिक्स, आन्कोलजी, कार्डियोलजी, नेफ्रोलजी तथा चर्मरोग के लिए विशेषज्ञों का क्लिनिक चल रहा है। अस्पताल में जांच सेवाएं जौसे कि क्लिनिकल तथा बायो केमिकल लेबोरेटरी, 500 एम ए एक्सरे प्लैट के साथ रेडियोलॉजी, आल्ट्रा साउंड स्कैनर तथा ईसीजी डेंटल आदि की व्यवस्था है। डाइट अनुभाग तथा फिजियोथेरेपी युनिट है।
- 11 डॉक्टर और सूपर स्पेशाल्टी जौसे कॉर्डियालजि, यूरोलजी, गॉस्ट्रोएंटरॉलजी, नेफ्रोलजी और आन्कोलजी आदि के 25 विविध विशेषज्ञ विजिटिंग परामर्शक डॉक्टर उपलब्ध है, इसके अलावा अस्पताल में आयुर्वेद तथा होमियोपेथी क्लिनिक भी शुरू किया गया है।

- उपर्युक्त के अलावा बच्चों को पोलियो, डी पी टी, चेचक से बचाव के लिए हर बुधवार और शनिवार को एक स्वस्थ शिशु क्लिनिक कार्य कर रहा है । एईड्स सेल, इंटेंसिव केयर यूनिट, विशेष उपकरणों के साथ छोटे और बड़े सर्जिकल आपरेशन्स करने के लिए व्दिन एयर कंडीशन आपरेशन थियेटर्स अस्पताल में उपलब्ध है ।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति पत्नियों के लिए, कें.औ.सु.ब. तथा पोर्ट स्कूल एवं कॉलेज में कार्य करने वाले स्टाफ उनके आश्रितों के लिए भी चिकित्सा सुविधा विस्तार किया गया ।
- कर्मचारियों को स्पेशलाइज्ड कार्पोरेट अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट दिया जाता है ।
- कर्मचारियों, श्रमिकों, और उनके बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चिनामुशिडिवाडा में एक और डॉक एरिया के पास एक शाखा औषधालय हैं ।

निष्पादन विवरण :

की गई लेबोरेटरी जाँच की संख्या	1.94 लाख
इलाज किये गये बह्य रोगियों की संख्या	2.52 लाख
भुगतान पर इलाज मामलों की संख्या	36
भुगतान मामलों से प्राप्त आमदनी (केबिन प्रभार)	0.03 लाख

औषधालयों में कार्यचालन :

मुख्य अस्पताल / डिस्पेंसरी	इलाज किये गये मरीजों की संख्या
1. जी जे एच मुख्य अस्पताल	2,13,584
2. पोर्ट एरिया डिस्पेंसरी	19,012
3. चिनमुशिडिवाडा डिस्पेंसरी	8,580
कुल	2,41,776

क्लिनिकों का कार्यचालन:

विवरण	2019-20	2018-19
प्रतिरक्षण किये गये मामलों की संख्या	105	112
पोलियो वैक्सीनेशन की संख्या	53	71
हेपाटिटिस-बी वैक्सीनों की संख्या	19	29
बी सी जी	8	12
डी पी टी	20	26
एम एम आर	13	27
मीजल्स	---	---

व्यवसायिक स्वास्थ्य देखभाल क्लिनिक :

वर्ष 2019-20 को क्लिनिक में आये अधिकारी / कर्मचारियों की सं. 1,730 है ।

आंतरिक रोगी सेवायें :

विवरण	2019-20	2018-19
भर्ती किये गये रोगियों की संख्या	2,556	2,763
किये गये आपरेशन्स की सं. (बड़े/छोटे)	4,478	3,697
किये गये प्रसवों की संख्या	9	13

परिवार कल्याण :

विवरण	2019-20	2018-19
किए गए ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन्स की संख्या	03	06
किए गए वेसक्टोमी ऑपरेशन्स की संख्या	04	08

चिकित्सा परीक्षा :

वर्ष 2019-20 के दौरान नये भर्ती/ चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति/ आवधिक दृष्टि परीक्षण आदि के लिए परीक्षा किये गये मामलों की सं.142 है ।

प्रथमोपचार केन्द्र :

वर्ष 2019-20 के दौरान 2,452 प्रथमोपचार मामलों का इलाज किया गया जबकि वर्ष 2018 -19 में 2,872 था ।

डी-एडिक्शन क्लिनिक :

विवरण	2019-20	2018-19
पंजीकृत मामले (संचित)	160	180
शराब की लत छुड़ानेवाले मामलों की संख्या	137	174
इलाज किये जा रहे मामलों की संख्या	17	06

सफाई :

क्वे बर्थ से 3 कि.मी. की परिधि में तथा आवासीय कोलनियों में भी मच्छर नाशक उपाय नियमित और प्रणालीबद्ध रूप से किये गये । आवासीय कोलनियों में नियमित रूप से लाइट डीजल ऑयल और फोगिंग स्प्रे भी किया गया । नियमित रूप से ऐंटी-रोडेंट उपाय किए गए हैं ।

3.2 शिक्षा :

सालिग्रामपुरम पोर्ट आवास कॉलनीयों में एक (VI से X तक कक्षाएं हैं) हाई स्कूल है और एक प्राथमिक विद्यालय (II से V तक कक्षाएं हैं) चल रहे हैं ।

दो स्कूलों में छात्रों की संख्या 511 था। स्कूल में 28 टीचिंग स्टाफ एवं 12 नॉन टीचिंग स्टाफ थे। विवरण निम्नांकित है :

विवरण	शिक्षण स्टाफ	गैर-शिक्षण स्टाफ	विद्यार्थियों की सं.
सालिग्रामपुरम			
प्राइमरी स्कूल गोदावरी	4	2	119
हाई स्कूल गोदावरी	15	6	392
कुल	19	8	511

इसके अतिरिक्त 9 शैक्षणिक कर्मचारी और 4 गैर शैक्षणिक कर्मचारी पोर्ट के कार्यालयों में काम कर रहे हैं ।

3.3 आवास :

दि. 31-03-2020 को पोर्ट एवं सी एच डी के कार्मिकों को आंबटित क्वार्टरों की संख्या क्रमशः 349 एवं 57 है । इसके अलावा पूल खलासी / पूल खलासी सुरक्षा गार्ड (एसजीपीके), कें.औ.सु.बल, कॉलेज स्टॉफ, लाइट हाउस, एम एम डी, लेखापरीक्षा और ए एल सी इत्यदि के लिए विविध आवासीया कोलनियों में क्वार्टरों की व्यवस्था की गयी । आंबटित क्वार्टरों का आगे और विवरण अनुलग्नक-36 एवं 36ए में दिया गया है ।

3.4 खेल-कूद :

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट खेलकूद परिषद (वी.पी.एस.सी) ने वर्ष के दौरान विविध टूरनामेंटों में भाग लिया ।

वी.पी.एस.सी टीमों ने एथलिटिक, हॉकी, केरम्स, शरीर शौष्ठव एवं भारोत्तलन, क्रिकेट, लॉन टेनिस, और टेबिल टेनिस चौम्पियनशिप में भाग लिया और क्रिकेट, लॉन टेनिस, एथलिटिक, शरीर शौष्ठव एवं भारोत्तलन चौम्पियनशिप में उप विजेता थी ।

बाल दिवस समारोह एवं सम्मर कोचिंग कैंप :

वी.पी.एस.सी. ने मेजर पोर्टर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (एम पी एस सी बी) के नेतृत्व में दि.14.11.2019 को जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिन के अवसर पर बाल दिवस समारोह मनाया । पोर्ट और कें.औ.सु.बल कर्मचारियों के बच्चों के बीच विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई ।

49 वीं वार्षिक अंतर्विभागीय खेल-कूद :

वर्ष के दौरान वी पी एस सी ने डायमंड जुबली आऊट डोर स्टेडियम और राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में दिनांक 26.12.2019 से 26.01.2020 तक 49 वीं वार्षिक अंतर्विभागीय खेल-कूद का आयोजन किया ।

3.5 अन्य कल्याणकारी गतिविधियाँ :

पोर्ट ने रु. 25 लाख बजट के साथ कल्याण निधि की व्यवस्था की, इस से निम्न लिखित कल्याण कार्य किए गए हैं :

- ❖ पोर्ट ने कर्मचारी / कर्मचारियों तथा उनके बच्चों को उच्चस्तरीय अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता दी गई ।
- ❖ इंटरमीडियट तक पब्लिक परीक्षा में पहले तीन रैंक हासिल करने पर और इंटरमीडियट के बाद के पाठ्यक्रमों में पहले दो रैंक प्राप्त करने वाले पोर्ट कर्मचारी के बच्चों को मेरिट छात्रवृत्ति ।
- ❖ रोग से पीड़ित कर्मचारियों को वित्तीय सहायता का प्रवाधान दी गई ।
- ❖ पिकनिक आयोजित करने के लिए प्रति कर्मचारी को रु.40/- के हिसाब से वित्तीय सहायता दी गई है और पिकनिक के लिए रु.7,840/- वित्तीय सहायता दी गई ।
- ❖ संरचना के लिए कंटीनों को वित्तीय सहायता दी गई । निःशुल्क विद्युत और पानी आपूर्ति कर रही है ।
- ❖ विभिन्न कार्यस्थलों में लंच-कम-रेस्ट रूम का प्रवाधान दी गई ।
- ❖ वर्ष 2019-20 के दौरान 10 परिवार विवाद मामले प्राप्त किये गये हैं और बेहतर जीवन के लिए उनका काऊंसिलिंग किया गया ।
- ❖ वर्तमान में विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों को शादी के लिए श्री सीतारामा कल्याण मंडपम आंबटित किया जाता है ।
- ❖ विविध स्थलों पर कर्मचारी और उनके परिवारों के लाभ के लिए एक होमियो अस्पताल व्यवस्थित किया गया ।

- ❖ पोर्ट के कर्मचारी और उनके बच्चों के लिए जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद और चेन्नै द्वारा आयोजित के हिंदी परीक्षाओं में उपस्थित होते हैं उन्हें परीक्षा शुल्क के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
- ❖ पोर्ट कर्मचारियों और पोर्ट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी नकद पुरस्कार प्रदान किए गए, जिन्होंने हिन्दी परीक्षा पास होते हैं।
- ❖ देहांत हुई सेवारथ कर्मचारियों को पोर्ट द्वारा प्रदान किए गए गृह निर्माण अग्रिम का भारी शेष रकम की बाधा से मुक्त होने के लिए विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट ने गृह निर्माण अग्रिम परिवार सुरक्षा पारस्परिक निधि योजना नामक एक योजना का निर्माण किया।
- ❖ पोर्ट ने कर्मचारियों की आवश्यकता होने पर कृत्रिम अवयव की व्यवस्था करती है।
- ❖ रु. 1,000/- तक चश्मे की लागत पर और 65 कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति की गई।
- ❖ दिवंगत कर्मचारी के दहन संस्कार के लिए उनके परिवार को अनुकंपा निधि से प्रति परिवार को रु. 10,000/- रकम के हिसाब से कुल 21 परिवारों को दिया गया।
- ❖ पोर्ट कर्मचारियों के बीच खेल-कूद आयोजित करने के लिए कल्याण निधि रु. 4,84,377/- रकम खर्च किया गया।
- ❖ सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए कल्याण निधि से रु. 70,000/- रकम के लिए बजट प्रावधान की गई।
- ❖ पोर्ट कर्मचारी और उनके परिवार सदस्यों को लेज़र सर्जरी कराने के लिए 50% या 15,000/- जो कम होता पुर्नभुगतान करने की व्यवस्था की गई।
- ❖ पोर्ट की राजस्व निधि से 8 मार्च 2020 को आयोजित किया गया महिला दिवस के लिए रु. 1,81,700/- रकम मंजूर किया गया।
- ❖ कल्याण निधि से दी गई वित्तीय सहायता का विवरण अनुलग्नक-37 में दिया गया है।

सुरक्षा उपाय

- ❖ पोर्ट में सुरक्षा प्रचालन के लिए जोखिम / खतरनाक कार्गो की संभलाई के लिए शीघ्र चेतावनी आदि हेतु गैस सेंसर जैसे तकनीकी पद्धतियों की स्थापना की गई है।
- ❖ पोर्ट प्रचालनों में लीगल फ्रेम वर्क का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु डॉक प्रचालनों में आई एम डी जी कोड, संबंधित विनियम सुनिश्चित किये गये हैं।
- ❖ कार्गो संभलाई क्षेत्रों में तकनीकी प्रणाली और सुरक्षा उपकरणों का कार्यचालन का निरीक्षण करने हेतु लोकेशन स्पेसिफिक चेक लिस्टों का विकास किया गया।
- ❖ विभिन्न कार्यस्थलों में जोखिम निर्धारण एवं खतरे से संबंधित विश्लेषण (एचआईआरए) का अद्यतन किया गया और खतरे के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को सुनिश्चित किया गया।
- ❖ पोर्ट प्रचालनों में चौबीस घंटे सुरक्षा की निगरानी के लिए लंबी दूरी की नाइट विज़न सीसीटीवी नेटवर्क की केमरा कार्यस्थलों के स्तर में सुरक्षा मामलों को सुलझाने के लिए शॉप फ्लोर सुरक्षा समिति बैठकें आयोजित हैं।
- ❖ सभी उठाने वाले उपकरण को आवधिक भार परीक्षण के साथ और वैधानिक रूप से प्रमाणित करके एकत्रित किया जाता है।
- ❖ कार्यस्थलों के स्तर में सुरक्षा मामलों को सुलझाने के लिए शॉप फ्लोर सुरक्षा समिति बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- ❖ डॉक एवं औद्योगिक परिचालनों में कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन का मॉनिटरिंग इंस्पेक्टर डॉक सेप्टी, इंस्पेक्टर ऑफ फेक्टरीज़ जैसे प्रवर्तित प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

- ❖ कर्मियों में निपुणता का विकास हेतु कार्य पर सुरक्षा जागरूकता का प्रशिक्षण दिया जाता है ।
- ❖ विभिन्न सुरक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु पोर्ट के उपभोक्ता, ठेकेदार एवं कर्मचारियों को शामिल करते हुए दिनांक 4 से 10 मार्च 2020 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया ।
- ❖ कार्य स्थलों में सुरक्षा पद्धतियों पर कर्मकारों को जागृत करने और प्रेरणा देने के लिए विशेष रूप से एक स्ट्रीट प्ले तैयार किया गया और कार्य स्थलों पर प्रदर्शित किया गया ।
- ❖ कर्मचारियों को उत्तर सुरक्षा पद्धतियों में अद्यतन करने के लिए पोर्ट की गृह पत्रिका सागरिका में सुरक्षा से संबंधित लेख प्रकाशित किये गये ।
- ❖ वर्ष 2019 के लिए वि पो ट्र को "ग्रीन" टेक सेफ्टी अवार्ड "विजेता" प्राप्त हुआ ।
- ❖ वर्ष 2019-20 के दौरान दुर्घटना एवं दुर्घटनाओं में घायल कर्मकार आदि का विवरण अनुलग्नक 39 में दिया गया है ।

दुर्घटना प्रबंधन योजना

एक व्यापक दुर्घटना / संकट प्रबंधन योजना विकसित की गई है, मानक प्रचालन पद्धतियों के साथ दुर्घटना / संकट प्रबंधन योजना और जोखिम मूल्यांकन अध्ययन शामिल है ।

वीपीटी के पास किसी भी दुर्घटना / संकट से निपटने के लिए दो समूह हैं अर्थात् दुर्घटना प्रबंधन के लिए जिसमें अध्यक्ष और सभी विभागाध्यक्ष के साथ एक और हार्बर मास्टर, फायर आफिसर, कार्यकारी अभियंता, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, उप यातायात प्रबंधक और उप कमांडेंट भी शामिल करते हुए एक कार्रवाई समूह होते हैं ।

वीपीटी के पास अलग ऑयल स्पिल का संभाव्यता योजना है और पोर्ट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्पित फायर ब्रिगेड हैं । वीपीटी के पास प्राकृतिक विपत्तियों से निपटने के लिए कार्यवाही योजना विकसित की है । वीपीटी के पास 5 फायर टैंडर्स है और आवधिक रूप से उसकी लेखापरीक्षा किया जा रहा है ।

वीपीटी ने आवधिक रूप से सभी परिदृश्यों के लिए मॉक ड्रिल और वही वृद्धि करने के लिए समीक्षा की जा रही हैं ।

सुरक्षा

- ❖ विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट 02-02-2013 से समुद्री सुरक्षा के स्तर-1 में है । आई एस पी एस कार्यकलापों की समीक्षा हेतु जिला समाहर्ता एवं मेजिस्ट्रेट के साथ इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, पुलिस, केंद्र एवं राज्य इंटरलिजेंस, फिशरीज, सीमाशुल्क के सदस्य सहित सुरक्षा समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं ।
- ❖ पोर्ट का अपना डाग स्क्वेड है और आटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन प्रणाली सहित रॉडार स्थापित किया और वीटीएमएस तक उन्नयन किया है ।
- ❖ वीपीटी द्वारा बम खोज उपस्कर प्राप्त किया गया और डीफ्यूजिंग स्क्वेड तैयार करने के लिए कार्रवाई की गयी है ।
- ❖ आंतरिक एवं बाह्य बंदरगाह को संपूर्ण रूप से कवर करने के लिए क्लोज्ड सर्क्यूट टेलिविजन (सीसीटीवी) जैसी आधुनिक गेजेट्स लगाया गया ।
- ❖ पोर्ट के सभी व्यक्तियों को बयो मेट्रिक / आरएफआईडी कार्ड्स जारी किये गये हैं । जीसीबी गेट क्षेत्र, डब्ल्यूक्यू -8 क्षेत्र के अंत, डॉक प्रधान क्षेत्र, डब्ल्यूक्यू - 7 गेट और डब्ल्यूक्यू - 5 गेट में आरएफआईडी गेट की स्थापना किया गया ।
- ❖ एंकरेज पर चौबीस घंटे निगरानी करने के लिए के. औ. सु. बल कार्मिकों के साथ एक हाईस्पीड पेट्रोल बोट फरवरी 2010 से किराये पर लिया गया है ।

- ❖ रेडियो एक्टिव डिटेक्शन उपस्कर प्राप्त किया गया, और पूर्व क्वे -7 गेट पर स्थापित किया गया ।
- ❖ आई एस पी एस कोड के अनुसार डी जी शिपिंग ने वर्ष 2014 के लिए आई एस पी एस नवीकरण सत्यापन लेखापरीक्षा का आयोजन किया और वि पो ट्र को अनुपालन स्टेटमेंट प्रमाण पत्र (एसओसी) दिया, जो दिनांक 19-05-2024 तक वैध है ।
- ❖ आई एस पी एस कोड के अनुसार डी जी शिपिंग द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा किया गया ।
- ❖ मोबाईल एक्स-रे कंटेनर स्केनर की स्थापना कार्य समाप्त हुआ है ।

पर्यावरण प्रबंधन

- ❖ पर्यावरण एसए, इंडिया प्रा. लि., द्वारा तीन स्थानों पर ए ए क्यू का लगातार मॉनीटरिंग किया जाता है ।
- ❖ उप मुख्य अभियंता के नेतृत्व में एक अधीक्षक अभियंता (पर्या), कार्यकारी अभियंता (पर्या), एक प्रबंधक (पर्या) और कर्तव्य निष्ठा स्टॉफ के साथ अलग पर्यावरण कक्ष है ।
- ❖ वीपीटी एवं पीपीपी टर्मिनल्स पर ईएमएस का कार्यान्वयन पर मॉनीटरिंग करने के लिए वीपीटी ने आंतरिक टास्क फोर्स टीम को गठित किया और सी.सी. केमेराओं की माध्यम से सभी प्रचालन क्षेत्रों से पर्यावरण मॉनिटरिंग के लिए कमांड नियंत्रण केंद्र है ।
- ❖ पर्यावरण मॉनीटरिंग समिति (एपीपीसीबी, वरिष्ठ नागरिक, वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ, एनजीओस, पोर्ट उपभोक्ता, जीवीएमसी के अधिकारी, नेवी, सेईल एवं पाठशालाओं के प्रतिनिधियों) हर दो महीने में एक बार मिलते हैं ।
- ❖ वायु एवं जल अधिनियमों के अंतर्गत एपीपीसीबी का सहमति प्राप्त किया गया और दिनांक 31-12-2021 तक वैध है ।
- ❖ आई एस ओ 14001 के लिए बाह्य एजेंसियों द्वारा (आई आर क्यू एस) वार्षिक लेखापरीक्षा ।
- ❖ वर्ष 2002 में जी सी बी के पास कोल भंडारण यार्ड, डब्ल्यूओबी, एस-4 कन्वेयर की उत्तरी एवं दक्षिण दिशा में 4,75,000 एम² को कवर करने वाले यांत्रिक धूलि दमन प्रणाली को रु. 8.00 करोड़ की लागत पर खरीदा और प्रारंभ किया गया तथा वह प्रभावी है तथा चौबीस घंटे लगातार पानी छिड़काव का कार्यक्रम किया जाता है ।
- ❖ आर-4 एवं आर-10 के कार्गो भंडारण के पास वाटर टैंकर द्वारा तथा यांत्रिक धूलि दमन पद्धति द्वारा सड़कों पर पानी को छिड़कने का कार्यक्रम चौबीस घंटे लगातार किया जाता है ।
- ❖ वाहनों के संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाली धूलि को दूर करने के लिए पानी के टैंकरों द्वारा लगातार चौबीस घंटे सड़कों को गीला किया जाता है । प्रति दिन टैंकरों द्वारा जल 275 ट्रिप्स लगभग (4.0 एमएलडी) का पानी छिड़काव किया जाता है और यांत्रिक धूलि दमन पद्धति द्वारा भंडारण क्षेत्रों में 3.0 एमएलडी पानी का छिड़काव किया जाता है ।
- ❖ ट्रकों को टारपालिन्स से ढकाते हैं ।
- ❖ घाट तथा स्टॉक यार्डों पर कार्गो का लदान / उतराई के समय उत्पन्न होने वाली धूलि का दमन करने के लिए रु. 0.90 करोड़ की लागत पर दो ट्रक माऊंटेड फॉग केनन नियोजित किया गया ।
- ❖ पोर्ट के अंतरापृष्ठ तथा सिटी ट्राफिक के पास, अयस्क संभलाई संकुल के पास, पोर्ट कनक्टिविटी रोड प्लाई ओवर के नीचे रु. 2.00 करोड़ की लागत पर लग भग 800 मी. लंबी धूलि निरोधक का निर्माण ।
- ❖ सड़कों को साफ रखने के लिए नियमित रूप से मैनुअल स्वीपिंग ।
- ❖ भंडारण की ऊंचाई केवल छः मीटरों तक सीमित किया गया ।

- ❖ धूली दमन प्रणाली, हाई-राईज़ एनक्लोजर्स, स्क्रीन आदि सहित आवश्यक पर्यावरण उपाय लिया गया ।
- अ सड़क द्वारा कार्गो चालन में महत्वपूर्ण धूली प्रदूषण कमी का नियंत्रण ।
- ❖ शहर में मिलने वाली पोर्ट सड़कों के पास अर्थात बी रैंप और इस्सार जंक्शन तक शहर के अंतरापृष्ठ सड़कों को साफ रखने के लिए रु. 85,00,000/- की लागत पर यांत्रिक ट्रक टायर सफाई सुविधा, इसमें तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण शामिल है ।
- ❖ उचित पर्यावरण उपाय अर्थात भंडारण क्षेत्रों के चारों ओर आर सी सी केर्ब दीवार की व्यवस्था, नाली सुविधा, एम डी एस एस तथा पौधारोपण करते हुए वर्तमान परिधी से अंदर को कोल स्टेकों को स्थानांतरित करते हुए स्टॉक यार्डों का पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया ।
- ❖ विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट, अस्पताल को शामिल करते हुए कुल गोल्डेन जूबली अस्पताल के सीवेज 25 केएलडी को आपूर्ति, स्थापना और टेस्टिंग और प्रारंभ करने के लिए एफआरपी के आधार पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को संभलाई करने को दिया । (आपूर्ति, स्थापना और टेस्टिंग और प्रारंभ) प्रचालन और अनुरक्षण के लिए 5 वर्षों की लक्ष्य अक्टूबर, 2019 को प्रारंभ किया और ओएवंएम प्रगति पर है ।
- ❖ विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) के कच्चा सीवेज / ट्रीटेड 10 एमएलडी पानी को 3 वर्षों की अवधि के लिए सेंपिंग, एनालिसिस और टेस्टिंग करने मेसर्स प्रगति लेब्स एंड कन्सल्टेंट्स (प्रा.) लि., को दिनांक 02-08-2021 तक सौंपा गया ।

कोल भंडारण यार्ड (ईस्ट यार्ड) का इन्सुलेशन

- ❖ शहर के अंतरापृष्ठ में रु. 2.0 करोड़ की लागत पर ईस्ट यार्ड के पूर्वी दिशा तथा उत्तरी दिशा के कुछ भाग में 4 मीटर ऊँचाई वाली धूली निरोधक के साथ साथ 7.5 मीटर ऊँचाई वाली हाई राईज़ दीवार का निर्माण किया गया (कुल ऊँचाई 11.5 मी.) ।
- ❖ ज्ञानापुरम के पास आर-11 क्षेत्र पर 4 मीटर ऊँचाई वाली धूली निरोधक के साथ साथ 7.5 मीटर ऊँचाई वाली हाई राईज़ दीवार का निर्माण किया गया ।
- ❖ शहर के अंतरापृष्ठ में सीहार्स जंक्शन से कान्वेंट जंक्शन तक रु. 10 करोड़ की लागत पर 7.5 मीटर ऊँचाई वाली हाई राईज़ दीवार का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया ।

वी पी टी के कुछ निर्धारित क्षेत्रों में व्यापक वायु गुणवत्ता का मॉनिटरिंग

- ❖ मेसर्स एन्विरोनमेंट एसए, इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा पोर्ट के आवासीय कॉलनी तथा परिचालन क्षेत्रों में, वीजीसीबी, आर एवं डी यार्ड, जीवीएमसी स्टेडियम में लगातार व्यापक वायु गुणवत्ता का मॉनिटरिंग किया जाता है ।

जल प्रदूषण निवारक उपाय :

- ❖ हार्बर बेसिन में बिल्ज या बल्लास्ट वाटर छोड़ने से रोकने के लिए जहाजों पर नियमों को कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य किया ।
- ❖ मेसर्स ए यू डी सी द्वारा 9 स्थानों में तिमाही के आधार पर सैंको - केमिकल पैरामीटर्स के लिए बंदरगाह जल का विश्लेषण ।
- ❖ मेसर्स एस.वी. एन्विरो लेब्स एंड कन्सल्टेंट्स द्वारा अर्ध वार्षिक के आधार पर बेड सेंपिल्स प्राप्त करना ।
- ❖ तेल संभलाई प्रचालन के दौरान गिरने वाले तेल को हटाने के लिए फ्लोटिंग ऑयल बूम का प्रावधान किया गया ।
- ❖ फ्लोटिंग क्राफ्ट द्वारा मलवा और बहता कूड़ा कचड़ा इकट्ठा करना ।

- ❖ सी डब्ल्यू पी आर एस द्वारा निर्धारित समुद्र के एक स्थल में निकर्षित मिट्टी का निपटारा ।
- ❖ उद्योगों को सख्त अनुदेश दिया गया कि व्यर्थ जल को पोर्ट जल में छोड़ने से पहले कूड़ा निकाल दे ।
- ❖ शहर से पोर्ट जल में आनेवाले सीवेज और सुल्लेज को संसाधित करने के लिए एक 10 एम एल डी सवीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कार्यरत है । नारियल का खोपरा, प्लास्टिक बैग्स और अन्य ठोस बेकार चीजें आदि को नगर निगम डंपिंग यार्ड में भेजा जाता है ।
- ❖ प्लावीयानों से आनेवाले तेलीय गंदगी से जल प्रदूषण को रोकने के लिए गंदे जल को अलग "रिसेप्शन टैंक" में इकट्ठा किया जाता है ।
- ❖ सभी कार्मिकों को पानी में तेलीय पदार्थ नहीं फेंकने के लिए अनुदेश दिया गया है ।
- ❖ जल में किसी प्रकार के दुर्घटनात्मक छिड़काव से बचने के लिए ऑयल बेरल्स को रखने के लिए ट्रे की व्यवस्था की गयी है ।
- ❖ ऑयल ट्रान्सफर करते समय सावधानी बरती गयी है (जैसे कि सेव ऑयल ट्रे को ड्रिपिंग प्वाइंट्स के पास रखना) ।
- ❖ ऑयल ट्रान्सफर के लिए प्रयोग करने वाले होसेस बिगडने से बचने के लिए दबाव का आवधिक परीक्षण करना ताकि दबाव के कारण फटने से रोका जा सके ।

ध्वनि प्रदूषण निवारक उपाय :

- ❖ भारी कार्गो वाहकों के आने जाने के लिए सडकों को चौड़ा करना और कार्पेटिंग करना ।
- ❖ ध्वनि स्तर को मापा गया तथा मॉनिटर किया गया ।
- ❖ टाउनशिप से जाने वाले कन्वेयर को आच्छादित किया गया ।

भूमि प्रदूषण निवारक उपाय :

- ❖ अनुरक्षण कार्य करते समय जमीन पर तेल गिरने से रोकने के लिए ड्रिप ट्रेस और सेव-ऑयल ट्रेस का प्रयोग किया गया ।
- ❖ बेकार तथा रद्ध सामग्री को समय समय पर निपटारा किया गया ।

तरल अवशिष्ट का निपटारा :

- ❖ एकत्रित तरल अवशिष्ट का निपटारा करने से पहले उसे सोडियम हाईड्रो क्लोराईड मिश्रण और ब्लीचिंग पौडर द्वारा संसाधित किया गया है । पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, कैटीन्स में एकत्रित अवशिष्ट को पद्धति पूर्ण तरीके से पानी से अलग करके केवल पानी को नाले में जाने दिया गया है ।

खतरनाक अवशिष्ट का निपटारा :

- ❖ रेडियोलॉजी अनुभाग के अवशिष्ट को सुरक्षित निपटारे के लिए पृथक कंटेनर में इकट्ठा किया गया ।
- ❖ खतरनाक अवशिष्ट जैसे कि तेलीय रूई को लुहार की दुकान में उर्जा संरक्षण के लिए पुनः उपयोग किया जाता है ।
- ❖ उपयोग किया गया तेल और खराब बैटरी जैसे खतरनाक अवशिष्ट का निपटारा खतरनाक अवशिष्ट प्रबंधन एवं बैटरी प्रबंधन नियमों के अनुसार किया जाता है ।
- ❖ बैटरी एसिड्स सेडिमेंट्स को 6 से 8 के बीच पी एच वेल्यु प्राप्त करने के लिए घोल बनाकर निपटारा करते हैं ।

ठोस अवशिष्ट का निपटारा :

- ❖ पोर्ट एरिया और इसके आसपास के क्षेत्र के ठोस अवशिष्ट को बायोडीग्रेडबुल और नॉन-बायोडीग्रेडबुल तथा खतरनाक अवशिष्ट वर्ग के रूप में अलग किया जाता है और अलग कलर कोटेड डस्टबिन्स में एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार से एकत्रित किये गये कूड़ा कर्कट को स्थानीय नगर निगम द्वारा निपटारा किया जाता है।
- ❖ ठोस अवशिष्ट जैसे कोरोडेड स्टील प्लेट्स, रबड के टुकड़े, छांटे गये अतिरिक्तों/उपकरणों आदि का निपटारा नियमित रूप से किया जाता है।

बायो-मेडिकल अवशिष्ट का निपटारा :

- ❖ स्पतालों और औषधालयों में एकत्रित बायो केमिकल अवशिष्ट का निपटारा अलग कलर कोटेड डस्टबिन्स में किया जाता है और यह डस्टबिन्स सरकारी प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा विशेष रूप से बनाये गये वाहनों के द्वारा एकत्रित किया जाता है और विशाखपट्टणम नगर निगम प्राधिकारी द्वारा नगर के बाहरी प्रदेश में व्यवस्थित की गयी आग भस्मक में भस्म होने के लिए डाल दिया जाता है।
- ❖ सभी इंजेक्शन्स और सिरंजी नीडिल्स को फिर से प्रयुक्त करने से बचने के लिए मानक के अनुसार एलक्ट्रीकल नीडिल टर्मिनेटर्स द्वारा टर्मिनेट करके फेंक दिया जाता है।

वी पी टी में प्रभावी पर्यावरण प्रबंधन का अनुपालन के लिए प्रगति पर रहे और प्रस्तावित अध्ययन/कार्य :

- ❖ वि पो ट्र के लिए पर्यावरण प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग योजना तैयार करने कार्य ए एस सी आई, हैदराबाद को दिया गया और वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रम पर कार्रवाई शुरू की गई और मार्च 2017 तक समय सीमा के अंदर समाप्त होगा।
- ❖ पर्यावरण प्रदूषण कम करनेवाले उपायों की प्रभावी अनुपालन हेतु मेसर्स ए एस सी आई से सलाहों का मदद लिया गया।
- ❖ सड़क साफ करना, नालियों से तैरने वाला पदार्थ तथा कूड़ा कचड़ा निकालना और सड़क तथा स्टॉक यार्डों में पानी का छिडकाव आदि सहित विस्तृत पर्यावरण प्रबंधन पद्धति रु. 6.94 करोड़ की लागत पर दो वर्ष की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया जो प्रगति पर है।
- ❖ सड़को का रखरखाव तथा उचित हाऊस कीपिंग सुनिश्चित करने के लिए "अऊटपुट पेरफार्मन्स ऑफ रोड कांट्राक्ट" का कार्य रु. 43 करोड़ की लागत पर परिचय किया जाता है।

वी पी टी द्वारा योजनाबद्ध ग्रीन बेल्ट :

- ❖ स्टॉक यार्डों के चारों ओर ग्रीन बेल्ट का विकास किया गया। लगातार वृद्धि के लिए पिछले 2 दशकों से वी पी टी द्वारा पौधारोपण और पोर्ट क्षेत्र के चारों ओर अतिरिक्त ग्रीन बेल्ट कार्यक्रम किया जाता है।
- ❖ 1990 से, 630 एकड़ क्षेत्र मिलाकर पोर्ट प्रचालन क्षेत्र, आवास और पट्टण क्षेत्रों को शामिल करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 4,30,000 पौधारोपण किया जाता है।
- ❖ दिनांक 12.10.2014 को हुई हुदहुद तूफान के कारण हरियाली क्षतिग्रस्त हुआ। खोया हुआ हरियाली को पुनः स्थापित करने के लिए 2,40,000 पौधों का 2014-15 पहले ही पौधारोपण किया गया।
- ❖ वर्ष 2020-21 के दौरान वीपीटी ने 1.02 पौधारोपण कार्य को लिया गया और रु. 3.87 करोड़ के लागत पर आंध्र प्रदेश वन विभाग द्वारा एक लाख शेल्टर बेल्ट पौधारोपण किया गया।

व्यर्थ पानी का रीसाईकिलिंग और पुनः उपयोग :

- ❖ बंदरगाह के जल में शहर के गंदा पानी प्रवेश होने से पहले उसे इकट्ठा करके साफ करने हेतु एक 10 एमएलडी एसटीपी प्रचालन में है और इससे बंदरगाह जल की गुणवत्ता का रखरखाव किया जाता है ।
- ❖ इस प्रकार शुद्ध किया गया जल धूली दमन के लिए उपयोग किया जाता है अतः स्वच्छ जल संसाधन सुरक्षित रहता है ।

ग्रीन एनर्जी :

- ❖ विशाखपट्टणम पोर्ट ने रु. 52.00 करोड़ की लागत पर 10 एम डब्ल्यू सोलार पावर प्लांट स्थापित करने के साथ ग्रीन इनीशियेटिव्स के अंतर्गत सोलार पावर जेनरेशन का पालन में मार्गदर्शन किया ।
- ❖ सोलार पावर का उत्पादन हेतु छत पर मिलने वाले जगहों का प्रभावि रूप में उपयोग किया । पोर्ट ने रु. 70 लाख की लागत पर गोल्डन जूब्ली अस्पताल में रूफ टॉप पर 100 केडब्ल्यू सोलार पावर प्लांट की स्थापना की और रु. 49.50 लाख की लागत पर प्रचालन भवन के रूफ टॉप पर 190 केडब्ल्यू सोलार पावर प्लांट की स्थापना की ।
- ❖ रु. 5,09,940/- की लागत पर पोर्ट के कुछ क्षेत्रों में रोशनी के लिए प्रयोग के आधार पर सोलार एनर्जी का उपयोग किया जाता है ।
- ❖ विभिन्न कैंटीन तथा पोर्ट अतिथि गृह में रु. 9.02 निवेश करते हुए सोलार पावर वाटर हीटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है ।

ग्रीन हाऊस गेसेस की गति के खिलाफ ग्रीन तकनीकी की क्रांति :

- ❖ डीजल इंजनों के स्थान पर विद्युत रेल इंजनों का विकास के लिए प्रस्ताव करते हुए फॉसिल प्यूल खपत को यथासंभव कम करना उसके द्वारा क्लीन प्यूल तकनीकी का विकास में सहयोग देना ।

प्रदूषण के खिलाफ रोक के रूप में ग्रीन बेल्ट का विकास :

- ❖ संसदीय स्थाई समिति के सिफारिशों के अनुसार विश्व स्तर पर प्राथमिकता प्राप्त ग्रीन बेल्ट विकास कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी ।

स्वच्छ भारत अभियान :

- ❖ सड़कों का नियम रूप से साफ करना और डॉक क्षेत्र की सफाई के लिए यांत्रिक सफाई मशीनों का उपयोग किया जाता है ।
- ❖ दक्षिण सेक्टर और उत्तर सेक्टर के सभी साईनेज एवं बोर्ड को यूनिफॉम कलर कोड के साथ (पोर्ट का विलक्षण – हरा और सफेद) कार्य रु. 44.00 लाख लागत पर लिया गया ।
- ❖ सभी सेक्टरों में सड़क साईन का पेइंटिंग, फुटपात के अंत जीब्रा क्रसिंग आदि रु. 14.33 लाख की लागत पर लिया गया ।
- ❖ दक्षिण सेक्टर और उत्तर सेक्टर में विभिन्न क्षेत्रों में सुन्दरीकरण और लैंडस्केपिंग का कार्य के लिए रु. 59.73 लाख लिया गया ।
- ❖ रु. 8.00 लाख की लागत पर खुले क्षेत्रों, रास्ते और कोनों में पौधारोपण किया जा रहा है ।
- ❖ विभिन्न क्षेत्रों में सौचालयों का अनुरक्षण कार्य मेसर्स सुलभ इंटरनेशनल को रु. 28.50 लाख की लागत पर सौंपा गया ।
- ❖ सभी नालियों की लगातार सफाई / कूड़ा कचड़ा हटाना और मरम्मत करना ।

निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) :

वीपीटी में अध्यक्ष / वीपीटी की अध्यक्षता में एक उपसमिति कार्य कर रहे हैं और सीमाशुल्क विंग से एक न्यासी, एक कार्मिक न्यासी, मुख्य अभियंता संयोजक, वि.स. एवं मु.ले.अ. और सचिव सदस्य है ।

समिति ने सी.एस.आर. प्रस्तावों को आवधिक रूप से समीक्षा करती है, अभी नई प्रस्ताव, यदि कोई पाईपलाईन में प्रस्तावों का मॉनिटरिंग और सीएसआर समिति की माध्यम से निरीक्षण करता है ।

शिक्षा :

- ❖ वर्ष 2019-20 के दौरान वीपीटी ने रु. 25.95 लाख की लागत पर 38 पाठशालाओं में छात्रों को 1,16,425 नोट बुक्स वितरित किया गया ।
- ❖ युवा अनुसूचित जन जाति की लाभ के लिए अनंतगिरि जूनियर कॉलेज की संरचना के लिए रु. 5.82 लाख की व्यवस्था किया गया ।

स्वास्थ्य :

- ❖ ओल्ड टाऊन क्षेत्र के और अच्चियम्मा पेटा, मनोरमा थियेटर के पास के लोगों के लाभ के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा परीक्षण और दवाईयों का वितरण पर प्रति वर्ष रु. 34.20 लाख रुपये व्यय करते हुए वीपीटी ने दो नियमित मुफ्त स्वास्थ्य क्लीनिक चला रहा है ।
- ❖ ट्राईबल क्षेत्रों में चिकित्सा जरूरतों के लिए रु. 12.74 लाख की लागत पर एक एम्बुलेंस प्रदान किए जाते हैं ।
- ❖ वीपीटी ने 5 पाठशालाओं में नियमित रूप से शौचालयों के अनुरक्षण के लिए प्रति वर्ष रु. 1.02 लाख की खर्च कर रहा है ।

निपुणता का विकास :

बेरोज़गार युवजन तथा महिलाओं को रोज़गार / स्वयं रोज़गार अवकाश सृजन करने की उद्देश्य से वीपीटी ने निपुणता विकास कार्यक्रम का डिज़ाइन किया । इसके लिए सिस्टामेटिक सांईटफिक मेथडॉलजी के साथ घर घर में सर्वे करते हुए अभ्यर्थियों का निर्धारण करने का कार्य एक प्रीमियर एड्युकेशन इंस्टिट्यूट को दिया गया और पहचानित अभ्यर्थियों को निम्न लिखित में प्रशिक्षण दिया गया :

- वेल्डिंग टेक्नॉलजी
- फिट्टर टेक्नॉलजी
- सिलाई मशीन
- कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग एवं एम एस आफिस

अन्य घटनाएं :

1. ड्राई डॉकिंग

विवरण	पोर्ट ड्राई डॉक		
	2019-20	2018-19	2017-18
ड्राई डॉक नियोजित करने की दिनों की संख्या	329	132	180
पोर्ट क्राफ्टों की संख्या	9	4	9
बाहरी क्राफ्टों की संख्या	6	9	3
ड्राई डॉक से कुल आमदनी (रुपया लाखों में)	170.23	230.45	265.83

2. कार्यशालाएं :

विवरण	पोर्ट कार्यशाला		ड्राई डॉक		ओ.आर.एस.	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
प्राप्त कार्यों की संख्या	283	280	381	210	653	579
पूरा किये गये कार्यों की संख्या	274	271	381	210	653	579

3. बंकर्स

(टनों में)

विवरण	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
आपूर्ति किये गये बंकर्स	69,361	76,893	76,903	66,574	26,001	26,458	26,243	41,850

4. जलापूर्ति :

(लाख किलो लीटरों में)

जल के स्रोत	निम्न को आपूर्ति		पोर्ट की खपत	कुल
	जहाज	अन्य		
विशाखपट्टणम नगर निगम	—	3.85	7.84	11.69
वि.पो.ट्र. के अपने साधन				
संतमेढ्रा रिजर्वायर	2.08	1.00	0.24	3.32
लोवा गार्डन्स	—	—	1.12	1.12
सालग्रामपुरम आवासीय कालोनी के.ओ.सु.बल कालोनी,खेल एवं सांस्कृतिक कांप्लेक्स में खुले कुएं				
कुल	2.95	5.93	9.43	18.31

5. विद्युतशक्ति की खपत :

उपभोक्ता	वर्ष में खपत की गयी विद्युत (लाख युनिट)				
	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
पोर्ट (सरकारी विभाग और पोर्ट से संबंधित प्राइवेट फर्म शामिल है)	82.44	89.90	177.72	263.94	224.49
पोर्ट के आवासीय भवन	31.00	25.16	27.82	31.06	38.38
कुल	113.44	115.06	205.54	295.00	262.87

6. राजभाषा कार्यान्वयन :

- ❖ वर्ष के दौरान हिन्दी शिक्षण योजना के तहत हिन्दी में प्रशिक्षण 1976 में शुरू किया गया जो संतोषजनक रहा है। वर्ष के दौरान सभी सचिवीय स्टाफ को समाप्त हुआ, 2 गैर सचिवीय कर्मचारी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और विविध हिन्दी परीक्षाओं के लिए योग्य बन गये।
- ❖ हिन्दी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ के साथ साथ हिन्दी आशुलिपि एवं टंकण परीक्षाएँ सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।
- ❖ वि पो ट्र के वेबसाइट हिन्दी में भी तैयार किया गया।
- ❖ पोर्ट में हर तिमाही में प्रकाशित पोर्ट की गृह पत्रिका के अलावा सिर्फ हिन्दी में पत्रिका, सागरिका, प्रकाशित किया जाता है। इसमें पोर्ट के कर्मचारियों से लिखा गया विविध विषयों से संबंधित लेख, निबंध आदि मुद्रित किए जाते हैं।
- ❖ अधिकारियों/कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थलों पर लगाए गए बोर्डों पर 'आज का हिन्दी शब्द' और उसके समानार्थक अंग्रेजी शब्द और हिंदी वाक्य में इसका प्रयोग लिखे गये।
- ❖ 14 सितंबर से अक्तूबर 13, तक हिन्दी माह का आयोजन एक उत्सव के रूप में मनाया गया। हिन्दी के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए अधिकारी / कर्मचारियों को विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को तीन उत्तम विभागों को पुरस्कार दिया गया।
- ❖ पोर्ट अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभिन्न विषयों पर हिन्दी पुस्तकों की खरीद की गई और हिन्दी पढ़ने की आदत बनाने के लिए हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ एवं समाचार पत्र हर माह खरीदे गये। पोर्ट के ग्रंथालय में दैनिक हिंदी समाचारपत्र भी उपलब्ध करवाये गये हैं।
- ❖ एक दिन का राजभाषा जागरूकता कार्यक्रम जारी रहा और वर्ष के दौरान 74 कर्मचारियों को राजभाषा नीति, नियम एवं अधिनियम के संबंध में जानकारी दी गई है।
- ❖ विशाखपट्टणम पोर्ट में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया उसमें अध्यक्ष ही समिति के अध्यक्ष है, सचिव राजभाषा अधिकारी होंगे और सभी विभागाध्यक्ष सदस्य वर्ष के दौरान इस समिति का कार्य संतोषजनक है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठकों में राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है और पोर्ट में हिन्दी कार्यान्वयन प्रभावपूर्ण ढंग से चलाने के लिए ठोस प्रयत्न किये गये।

- ❖ राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए धारा 3(3) में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों अर्थात् अनुमति लाइसेंस, निविदा पत्र के नियम व शर्तें, सामान्य आदेश, परिपत्र आदि द्विभाषा में जारी किये गये और उनकी समीक्षा अध्यक्ष द्वारा हर माह में होने वाली विभागाध्यक्षीय बैठक में की गयी ।
- ❖ हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिन्दी में दिया गया । मंत्रालय को हिन्दी में पत्र भेजे गये । वर्ष में वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्विभाषा में मुद्रित करके मंत्रालय को भेजा गया ।
- ❖ वर्ष के दौरान कर्मचारियों को कंप्यूटरों पर दैनंदिन कार्यालय कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने के लिए व्यवस्थित ऑन लाईन सेवा जारी रहा ।
- ❖ राजभाषा का उपयोग करने के लिए सभी अनुभागों के नेमी फार्मेट एवं फार्मों को द्विभाषा में व्यवस्था की गई और पोर्ट ट्रस्ट में हिन्दी की स्थिति जानने के लिए निरीक्षण की जाती है ।
- ❖ राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति पर मूल्यांकन करने के लिए हर विभाग में हिन्दी समीक्षा बैठकों का आयोजन जारी रहा ।
- ❖ राष्ट्रीय समुद्री दिवस, डॉक सुरक्षा दिवस, अग्नि शमन दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि के अवसर पर हिन्दी में भी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है ।
- ❖ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पोर्ट नराकास के साथ समन्वय करता है ।

7. अन्य पिछड़े जाती एवं शारीरिक रूप से अपंग

दिनांक 31-03-2020 को ओ बी सी तथा शारीरिक रूप से अपंग वर्गों के अंतर्गत कार्मिकों की संख्या अनुलग्नक 35 में दी गई है ।

8. आर टी आई अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

8. आर टी आई अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

संगठन के कार्यचालन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट में आर टी आई अधिनियम 2005 कार्यान्वयित किया गया । सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत ट्रस्ट ने 12 सीपीआईओ, 10 सीपीआईओ और एक अपील प्राधिकरण को नामित किया गया है ।

वर्ष 2019-20 के दौरान, कुल 267 आरटीआई अनुरोध और 31 पहला अपील प्राप्त हुए हैं, जिसमें 61 अनुरोध और 9 अपीलों को अस्वीकृत कर दी गई ।

आरटीआई मैनुअल और सूचना को वीपीटी वेबसाइट पर रखा जाता है ।

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के तहत विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट के सभी विनियम और आरटीआई अधिनियम, 2005 के धारा 4 (1) (बी) के अंतर्गत सूचना वीपीटी वेबसाइट अर्थात् www.vizagport.com पर प्रकाशित हो चुका था । आरटीआई अधिनियम के तहत वीपीटी की तिमाही रिटर्न भी वीपीटी वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है 6ज ।

9. लोक / स्टॉफ शिकायत सुधारने कार्य

प्रशासनिक रिफार्म्स विभाग और लोक शिकायत, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध किये गये कंप्यूटरैज्ड ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण एवं मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा लोक शिकायत ठीक किए जाते हैं ।

10. पोर्ट में प्रतिष्ठित आगंतुक / प्रतिनिधि मंडल

आगंतुकों / प्रतिनिधियों का विवरण	दौरे की तिथि
बांग्लादेश के विदेश व्यापार संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अली अहमद की अध्यक्षता में बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का दौरा ।	20-04-2019
श्री सोमचाई हेमथोंग, श्री तिलेनचाई माथिथिंगरोंग, श्री तनवई विपसाताविच और जिराविच क्लोम्पेरी सहित थाईलैंड के पोर्ट प्राधिकरण और चुलालोंगकोर्न विश्वविद्यालय की टीम का दौरा ।	26-04-2019
रेलवे बोर्ड के प्रधान कार्यकारी निदेशक और ईस्ट कोस्ट रेलवे सीसीएमएम श्री आशीद राव का दौरा ।	19-07-2019
आन्ध्र प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री विश्व भूषण परिचंद्रन का दौरा ।	01-08-2019
यूनियन शिपिंग मंत्रालय के पीएचआरडी के निदेशक एस आर संदीप कुमार गुप्ता के नेतृत्व में स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत अधिकारियों का वीपीटी में दौरा ।	05-08-2019
नौवहन महानिदेशक अमिताब कुमार अपनी टीम के साथ दौरा ।	16-08-2019
श्री अनिल कुमार संयुक्त निदेशक, आई.बी. , श्री नरेंद्र सिंह, उप इंटरिजेंस अधिकारी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा टीम, गृह मंत्रालय का दौरा ।	28-08-2019 और 29-08-2019
तेलंगाना के कृषि मंत्री श्री. निरंजन रेड्डी का दौरा ।	12-09-2019
सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष मनहर वाल्जिबाई झाला का दौरा ।	21-10-2019
वीपीटी द्वारा आतिथ्य बिम्सटेक पोर्ट कॉन्क्लेव, 2019 को सात देशों यानि भारत, नेपाल, भूटान, मयनमार, श्रीलंका की भागीदारी के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय ईवेंट । माननीय यूनियन मंत्री शिपिंग मंत्रालय और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुक मंडावीय मुख्य अतिथि के रूप में दो दिवसीय कॉन्क्लेव के उद्घाटन के अवसर पर ।	07-11-2019 और 08-11-2019
हैदराबाद में आरएसओ और युनाइटेड स्टेट्स नेवी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा जिसमें अमेरिका अटैच, जर्मन इवांस, एनसीआईएस सुरक्षा जेफरी युवा, अमेरिका राजदूता लॉरेन्स डेस का दौरा ।	11-11-2019
श्री विनोद एस शेनॉ, निदेशक रिफाइनरी, एच.पी.सी.एल मुंबई की दौरा ।	10-12-2019
नेपाल के कामर्स सचिव द्वारा उच्च स्थरीय प्रतिनिधि दौरा ।	16-12-2019
अनुसूचित जन जाति के लिए राष्ट्रीय समिति के माननीय अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साई के साथ अन्य अधिकारी का दौरा ।	28-12-2019
अध्ययन के लिए राज्य सभा के संसद सदस्य एवं परिवहन पर्यटन और सांस्कृति पर संसदीय स्थाई समिति का अध्यक्ष श्री टी.जी.वेंकटेश द्वारा अध्ययन दौरा ।	08-01-2020
स्टील बरोन लक्ष्मी मिट्टल के पुत्र श्री आदित्य मिट्टल, अध्यक्ष, आर्कलर निप्पन स्टील इंडिया लि., (एएमएनएस), उनके टीम के साथ दौरा ।	26-02-2020
श्री टी.एस.बालासुब्रह्मण्यम, अध्यक्ष प्रभारी, दो अधिकारी के साथ महा पत्तन न्यास की टॉरिफ अथॉरिटी (टॉम्प) मुंबई का दौरा ।	26-02-2020
अन्य समिति सदस्यों के साथ आंध्र प्रदेश विधान सभा समिति अनुसूचित जन जाति समिति के अध्यक्ष , पोलवरम विधान सभा के सदस्य श्री टी.बालाराजू के नेतृत्व में दौरा ।	03-03-2020

वार्षिक लेखा 2019—20

वार्षिक लेखा

31 मार्च 2020 को तुलनपत्र की अनुसूची		31 मार्च 2020 को समाप्त राजस्व लेखा की अनुसूची	
अनुसूची 1.1	आरक्षण एवं अधिशेष	अनुसूची आर 1	कार्गो संभलाई और भंडारण प्रभार
अनुसूची 1.2	ऋण निधि	अनुसूची आर 2	पोर्ट एवं डाक प्रभार
अनुसूची 1.3	ग्रांट की प्राप्ति	अनुसूची आर 3	रेल्वे आमदनी
अनुसूची 1.4	आस्थगित कर	अनुसूची आर 4	संपदा किराया
अनुसूची 2.1	नियत पूँजी परिसंपत्तियाँ	अनुसूची आर 5	कार्गो संभलाई और भंडारण
अनुसूची 2.2	निवेश	अनुसूची आर 6	पोर्ट एवं डाक सुविधाएं
अनुसूची 2.3	चालू परिसंपत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम	अनुसूची आर 7	रेल्वे कार्यचालन
अनुसूची 2.4	चालू देयतायों एवं प्रावधान	अनुसूची आर 8	किराये योग्य भूमि और भवन
अनुसूची 2.5	विविध व्यय	अनुसूची आर 9	प्रबंधन और सामान्य प्रशासन
		अनुसूची आर 10	वित्त और विविध आय
		अनुसूची आर 11	वित्त और विविध व्यय

तुलन पत्र

(रूपयों में)

	अनु	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
निधियों का स्रोत : आरक्षण और अधिशेष :	1.1		9,62,98,32,707		9,62,94,08,653
क. पूँजी आरक्षण				1,00,67,70,803	
ख. राजस्व आरक्षण				0	
क) सामान्य आरक्षण निधि		2,26,38,91,338		7,41,08,907	
ख) कर्मचारी कल्याण निधि		0		0	
ग) कर्मचारी परिवार सुरक्षा निधि		7,98,88,743		0	
घ) उपस्कर संरक्षा निधि		0		0	
इ) देयताओं का आरक्षण निधि		0		0	
ग. सांविधिक आरक्षण			2,34,37,80,081		1,08,08,79,710
क) पूँजी परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन, पुनर्वास और अधुनिकीकरण के लिए आरक्षण		6,92,49,61,665		6,39,02,64,848	
ख) ऋण एवं आकस्मिकताओं का पुनर्गतान, विकास के लिए आरक्षण		6,88,20,59,877		5,93,31,21,202	
			13,80,70,21,542		12,32,33,86,050
अनुदान प्राप्ति	1.3				23,03,36,74,413
ऋण निधियों :	1.2				19,52,72,750
क. सुरक्षा ऋण			0		0
ख. सरकारी ऋण			23,39,29,590		39,06,66,190
ग. असुरक्षित ऋण			0		0
आस्थागित कर दायिताएं :			23,39,29,590		39,06,66,190
			0		0
निधियों के कुल संसाधन			26,21,80,22,733		23,61,96,13,353

तुलन पत्र

(रूपयों में)

	अनु	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
निधियों की प्रयुक्ति :					
क. नियत पूँजी परिसंपत्तियाँ: (शुद्ध ब्लाक)	2.1				
क) जमीन		34,84,37,415	39,12,18,245		
ख) पट्टा का जमीन		73,881	73,881		
ग) पूँजी निकर्षण		4,93,14,54,950	4,98,75,10,336		
घ) भवन, शेड्स एवं अन्य संरचना		62,06,52,513	55,64,64,301		
ट) गोदाम, सडकें, सीमाएं		1,87,82,61,071	1,88,82,71,837		
ठ) स्लावीयान		67,69,51,501	77,50,87,545		
ड) रेल्वे तथा रोलिंग स्टॉक		1,08,02,72,878	1,10,35,33,114		
ढ) डॉक, समुद्र दीवार, पीयर्स एवं नौचालन सहयोग		8,31,44,46,305	6,29,57,91,840		
च) क्रेन एवं वाहन		6,77,90,615	9,40,46,735		
छ) संयंत्र और मशीनरी		80,23,42,967	71,38,75,712		
ज) जल, विद्युत, दूर संचार तथा अग्निशमन की संस्थापना		33,07,75,330	31,02,66,482		
ख. प्रगति पर रहे पूँजी कार्य				17,11,61,40,028	
				3,50,21,12,447	
					20,61,82,52,475
निवेश :	2.2				
क. सामान्य आरक्षण निधि का निवेश		79,40,00,000	79,40,00,000		
ख. सांविधिक आरक्षण का निवेश					
1. सरकारी अथवा न्यासी प्रतिभूतियां		3,97,03,444	3,97,03,444		
2. शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स		2,93,03,72,100	3,06,83,72,100		
3. अन्य निवेश		0	0		
ग. नकद अधिशेष निधि का निवेश					
1. अन्य निवेश		1,32,57,26,318	1,23,30,41,197		
					5,13,51,16,741

तुलन पत्र

(रुपयों में)

अनु	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम : क. चालू परिसंपत्तियाँ i. निवेशों पर प्रोदभूत ब्याज ii. वस्तु सूची iii. फुटकर देनदार क) सरकारी देय ख) अंतर पोर्ट देय ग) गैर सरकारी देय iv. नकद और बैंक शेष क) हस्त नगद शेष ख) शेड्यूल्ड बैंक के साथ बैंक शेष ग) अन्य बैंकों के साथ बैंक शेष	43,30,21,644 28,11,25,963 79,87,20,641 0 2,87,30,66,376 16,17,971 9,87,20,58,868 0 9,87,36,76,839 14,25,96,11,463	42,09,38,849 27,77,03,643 89,63,00,000 0 3,35,66,39,786 15,31,206 6,35,52,61,794 0 6,35,67,93,000 11,30,83,75,278
ख. ऋण और अग्रिम क) सब्सिडरी / पोर्ट / न्यास के लिए अग्रिम और ऋण ख) प्राप्त करनेवाले मूल्य के लिए नगद अथवा वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम ग) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर आदि के साथ शेष घ) जमा	12,80,00,000 62,76,14,662 7,40,66,88,965 11,10,82,644 8,27,33,86,270	12,80,00,000 62,23,45,955 6,58,28,82,223 10,77,56,440 7,44,09,84,618
घाटा: चालू दायित्वाएँ और प्रावधान : क. चालू दायित्वाएँ : i. भविष्य निधि, पेंशन एवं उपदान निधियाँ क) भविष्य निधि ख) पेंशन निधि ग) उपदान निधि	22,53,29,97,733 4,76,40,327 5,25,07,00,070 31,79,388 5,30,15,19,785	18,74,93,59,896 7,44,09,84,618 4,66,55,50,940 -4,49,14,552 4,69,20,18,252

तुलन पत्र

(रूपयों में)

	अनु	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
ii. विविध लेनदार					
क) स्टोर्स के लिए लेनदार		3,28,49,632		1,11,41,621	
ख) गैर दावा वस्तुओं की असमायोजित बिक्री से आय		0		0	
ग) अधिशेष सामग्री का गैर समायोजित बिक्री से आय		0	3,28,49,632	0	1,11,41,621
iii. विविध लेनदार और ऋण शेष					
क) रेल्वे को देय विलंब / वैगन भाड़ा प्रभार		18,35,62,424		16,48,62,523	
ख) साविधिक भुगतान		1,01,00,32,711		78,19,03,065	
ग) पूँजी व्यय के प्रति दायित्वाएं		2,12,72,455		2,12,72,455	
घ) अन्य		59,95,86,343		69,84,81,900	
इ) व्यापारी, ठेकेदार और अन्य से जमा		2,50,64,17,389	4,32,08,71,322	2,34,47,73,788	4,01,12,93,731
iv. अग्रिम भुगतान तथा असमान रियायतें					
अभी भी दिये जानेवाले हिस्से के लिए मूल्य			5,18,41,43,062		5,36,05,64,211
v. अन्य दायित्वाएं			4,02,86,19,637		3,77,63,14,300
vi. ब्याज प्रोदभूत किया गया परंतु ऋण पर देय नहीं			36,81,41,168		36,65,73,733
			19,23,61,44,606		18,21,79,05,848
ख. प्रावधान :					
क) कर के लिए प्रावधान		4,52,50,85,309		3,83,95,32,141	
ख) आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान		0		0	
ग) अन्य प्रावधान		0		0	
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां			23,76,12,29,915		22,05,74,37,989
विविध व्यय :	2.5				
(जिस हद तक लिखित या समायोजित नहीं किया गया है)			-1,22,82,32,182		-3,30,80,78,093
आस्थागित कर परिसंपत्तियां :			0		0
निधियों की कुल प्रयुक्ति	1.4		1,54,55,62,012		1,17,43,22,230
			26,21,80,22,733		23,61,96,13,353

ह/-
वि.स.एवं.मु.ले.अ.

ह/-
अध्यक्ष

आरक्षण और अधिशेष

	पूँजी आरक्षण	राजस्व आरक्षण		कर्मचारी कल्याणकारी योजना	सांविधिक आरक्षण	
		सामान्य आरक्षण निधि	कर्मचारी परिवार सुरक्षा योजना		पूँजी परिसंपत्ति प्रतिस्थापना आरक्षण	विकास, ऋण तथा आकस्मिकताओं की अदायगी के लिए आरक्षण
	₹	₹	₹	₹	₹	₹
01-04-2019 को आदि शेष	9,62,94,08,653	1,00,67,70,803	7,41,08,907	0	6,39,02,64,848	5,93,31,21,202
जोड़ :						
1. (क) राजस्व लेखा से योगदान	0	0	76,24,443	31,51,267	53,46,96,817	94,89,38,675
(ख) अतिरिक्त मूल्यहास	0	0	0	0	0	0
2. राजस्व लेखा से अंतरण	4,24,054	1,25,99,20,535	0	0	0	0
3. (क) अन्य आरक्षणों से अंतरण	0	0	0	0	0	0
(ख) सामान्य आरक्षण निधि		0	0	0	0	0
4. अन्य अंतरण	0	0	0	0	0	0
	9,62,98,32,707	2,26,66,91,338	8,17,33,350	31,51,267	6,92,49,61,665	6,88,20,59,877
घाटा :						
1. आरक्षणों से अंतरण						
क) शुद्ध घाटा	0	0	0	0	0	0
ख) पूँजी आरक्षण से अंतरण	0	0	0	0	0	0
ग) ऋणों की पुर्न अदायगी	0	0	0	0	0	0
घ) सांविधिक आरक्षणों में अंतरण	0	0	0	0	0	0
2. अन्य अंतरण						
क) राजस्व खाते से अंतरण	0	28,00,000	0		0	0
3. वर्ष के दौरान व्यय	0	0	18,44,607	31,51,267	0	0
31-03-2020 तक अंत शेष	9,62,98,32,707	2,26,38,91,338	7,98,88,743	0	6,92,49,61,665	6,88,20,59,877

ह/-
अध्यक्षह/-
वि.स.एवं.मु.ले.अ.

ऋण निधियाँ

	सुरक्षित ऋण	
	ऋण और अग्रिम	भारत सरकार से व्यवस्थिति निधियाँ
	रु.	रु.
01-04-2019 तक शेष		39,06,66,190
वर्ष के दौरान प्राप्त		0
वर्ष के दौरान भुगतान		15,67,36,600
31-03-2020 तक शेष		23,39,29,590

ग्रांट की प्राप्ति

01-04-2019 तक शेष	19,52,72,750
वर्ष के दौरान प्राप्त (अक्षय अनुदान पर प्राप्त ब्याज)	81,86,063
वर्ष के दौरान भुगतान	0
31-03-2020 तक शेष	20,34,58,813

आस्थगित कर

	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
आस्थगित कर दायिताएं – आदिशेष		
मूल्यह्रास के कारण समय में भिन्नता	41,93,09,570	37,52,85,895
घाटा/जोड़ : अपफ्रंट ऋण चुकाना डीटीए	63,26,27,908	2,67,57,764
घाटा : आइ.टी. अधिनियम 1961 की धारा 43 (बी) के तहत नियोक्ता के रूप में चुकाई जानेवाली रकम के कारण समय में भिन्नता	2,22,62,59,708	1,92,41,80,479
आस्थगित कर दायिताएं / (परिसंपत्तियां)	-1,17,43,22,230	-1,57,56,52,348
लेखा पर मूल्यह्रास के कारण समय में भिन्नता डीटीएल	38,93,07,752	41,93,09,570
घाटा/जोड़ : अपफ्रंट ऋण चुकाना डीटीए	60,56,23,341	63,26,27,908
घाटा : आई टी अधिनियम 1961 की धारा 43 (ख) के तहत नियोक्ता के रूप में चुकाई जानेवाली रकम के कारण समय में भिन्नता डीटीए	2,54,04,93,105	2,22,62,59,708
आस्थगित कर परिसंपत्तियों – अंत शेष	-1,54,55,62,012	-1,17,43,22,230
पी एवं एल खाते से शुद्ध आस्थगित कर देयता प्रभार	-37,12,39,782	40,13,30,118

ह/-
वि.स.एवं.मु.ले.अ.

नियत पूँजी परिसंपत्तियाँ

परिसंपत्तियों की श्रेणी	कुल ब्लॉक			मूल्यद्वारा				शुद्ध ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2019 से	जोड़	विलोपन	31 मार्च 2020 से	1 अप्रैल 2019 से	वर्ष के दौरान मूल्यद्वारा	मूल्यद्वारा समायोजन	1 अप्रैल 2019 को	1 अप्रैल 2020 को
	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
1 जमीन	39,12,18,245	41,48,151	4,69,28,981	34,84,37,415	0	21,77,780	21,77,780	39,12,18,245	34,84,37,415
पट्टे का जमीन	73,881	0	0	73,881	0	0	0	73,881	73,881
2 पूँजी निकर्षण	5,57,96,26,847	0	3,02,185	5,57,93,24,662	59,21,16,511	5,60,55,386	3,02,185	4,98,75,10,336	4,93,14,54,950
3 भवन, शेड एवं अन्य संरचनाएं	95,34,16,252	9,57,67,270	1,22,57,574	1,03,69,25,948	39,69,51,951	2,44,00,771	50,79,288	55,64,64,301	62,06,52,513
4 वाहनों, सड़क सीमाएं	2,45,80,79,689	10,07,00,236	83,17,799	2,55,04,62,125	50,98,07,852	12,03,04,395	1,79,11,192	1,88,82,71,837	1,87,82,61,071
5 व्यावसायिक	2,25,35,74,907	66,51,005	4,18,07,727	2,21,84,18,185	1,47,84,87,362	10,32,36,502	4,02,57,180	77,50,87,545	67,69,51,501
6 रेलवे तथा रोलिंग स्टॉक	1,89,77,59,548	1,99,75,930	4,10,18,837	1,87,67,16,641	79,42,26,434	4,32,36,166	4,10,18,837	1,10,35,33,114	1,08,02,72,878
7 डॉक, समुद्र दीवार, पीयरस एवं नौवहन सहायता	7,35,47,82,678	2,24,51,29,149	1,54,66,825	9,58,44,45,002	1,05,89,90,838	24,55,39,832	3,45,30,973	6,29,57,91,840	8,31,44,46,305
8 क्रेन और वाहन	63,82,42,518	35,71,556	16,55,07,904	47,63,06,169	54,41,95,783	2,23,56,567	15,80,36,786	9,40,46,735	6,77,90,615
9 संग्रह और मशीनरी	1,61,65,37,284	29,76,23,551	15,62,80,997	1,75,78,79,839	90,26,61,572	6,79,36,053	1,50,60,753	71,38,75,712	80,23,42,967
10 जल विद्युत, दूरसंचार तथा अभियन्तन की संस्थापना	1,38,04,40,377	9,94,66,232	1,51,62,873	1,46,47,43,735	1,07,01,73,895	7,37,06,354	99,11,843	31,02,66,482	33,07,75,330
कुल	24,52,37,52,226	2,87,30,33,080	50,30,51,703	26,89,37,33,603	7,40,76,12,198	75,89,48,796	32,42,86,817	17,11,61,40,028	19,05,14,59,426
11 प्राप्ति पर रहे पूँजी कार्य	3,50,21,12,447	1,00,28,45,378	2,74,55,26,210	1,75,94,31,615				3,50,21,12,447	1,75,94,31,615
कुल पूँजी परिसंपत्तियाँ	28,02,58,64,673	3,87,58,78,459	3,24,85,77,913	28,65,31,65,218	7,40,76,12,198			20,61,82,52,475	20,81,08,91,041

र/-
वि.स.एव.मु.ले.अ.

निवेश

	31 मार्च 2020 तक		31 मार्च 2019 तक	
	लागत मूल्य	अंकित मूल्य	लागत मूल्य	अंकित मूल्य
	₹	₹	₹	₹
गैर व्यापार योग्य निवेश				
क. सामान्य आरक्षण				
चालू निवेश				
दीर्घकालिक निवेश :				
1. सरकारी या न्यासी प्रतिभूतियां एनटी				
2. शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉण्ड्स (एन.टी.)	79,40,00,000	79,40,00,000	79,40,00,000	79,40,00,000
	79,40,00,000	79,40,00,000	79,40,00,000	79,40,00,000
3. अन्य निवेश	0	0	0	0
कुल (क)	79,40,00,000	79,40,00,000	79,40,00,000	79,40,00,000
ख. सांविधिक आरक्षण				
चालू निवेश	--	--	--	--
दीर्घकालिक निवेश :				
1. सरकारी या न्यासी प्रतिभूतियां				
सीजी 2034 / 7.50% (एन.टी.)	2,01,70,333	2,00,00,000	2,01,70,333	2,00,00,000
सीजी 2035 / 7.40% (एन.टी.)	1,95,33,111	2,00,00,000	1,95,33,111	2,00,00,000
	3,97,03,444	4,00,00,000	3,97,03,444	4,00,00,000
2. शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉण्ड्स				
ए पी पी एफ सी लिमिटेड पावर बांड्स (एन.टी.)				
बैंक ऑफ महाराष्ट्रा बॉण्ड्स (एन.टी.)	0	0	10,00,00,000	10,00,00,000
केनरा बैंक बॉण्ड्स (एन.टी.)	0	0	3,00,00,000	3,00,00,000
केनरा बैंक बॉण्ड्स (एन.टी.)	5,00,00,000	5,00,00,000	5,00,00,000	5,00,00,000
तमिलनाडु विद्युत बोर्ड बॉण्ड्स (एन.टी.)	0	0	80,00,000	80,00,000
यू बी आई बॉण्ड्स ईस्यू (एन.टी.)	0	0	0	0
डी सी आई कर छूट बॉण्ड्स - 2013 (एन.टी.)	10,00,00,000	10,00,00,000	10,00,00,000	10,00,00,000
डीसीआई शेयर्स (@ रु. 10/- प्रति शेयर 5451710 शेयर्स अंकित मूल्य) (टी.)	2,78,03,72,100	5,45,17,100	2,78,03,72,100	5,45,17,100
	2,93,03,72,100	20,45,17,100	3,06,83,72,100	34,25,17,100

निवेश

	31 मार्च 2020 तक		31 मार्च 2019 तक	
	लागत मूल्य	अंकित मूल्य	लागत मूल्य	अंकित मूल्य
	₹	₹	₹	₹
3. अन्य निवेश	0	0	0	0
कुल (ख) (1+2)	2,97,00,75,544	24,45,17,100	3,10,80,75,544	38,25,17,100
ग. नगद अधिशेष निधियां				
एलआईसी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ग्रुप अर्जित छुट्टी योजना	1,15,60,89,933	1,15,48,46,973	1,07,63,24,777	1,07,62,87,523
बजाज एलियन्ज के अंतर्गत ग्रुप अर्जित छुट्टी योजना	4,54,78,340	4,27,36,924	4,21,75,644	4,21,75,644
बजाज एलियन्ज के अंतर्गत परिवार सुरक्षा योजना	8,12,55,042	7,91,97,513	7,47,05,119	7,47,05,119
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (लाईफ) के अंतर्गत ग्रुप अर्जित छुट्टी योजना	4,29,03,003	4,99,89,482	3,98,35,657	3,98,35,657
कुल (ग)	1,32,57,26,318	1,32,67,70,892	1,23,30,41,197	1,23,30,03,943
कुल निवेश : (क+ख+ग)	5,08,98,01,862	2,36,52,87,992	5,13,51,16,741	2,40,95,21,043

एन.टी. - गैर व्यापार योग्य

टी - व्यापार योग्य: 31-03-2020 से प्रति शेयर का मूल्य रु. 45.00 है ।

ह/-

	31 मार्च 2020 तक		31 मार्च 2019 तक	
	₹	₹	₹	₹
चालू परिसंपत्तियां				
i. निवेशों पर संचित ब्याज		43,30,21,644		42,09,38,849
ii. संपत्ती सूची				
सर्वीस स्टॉक एवं स्पेयर्स				
2 वर्ष से कम की सामान सूची	27,74,76,078		27,33,87,171	
2 वर्ष से अधिक 3 वर्ष से कम की सामान सूची	10,06,271		3,67,188	
3 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम की सामान सूची	28,66,983		41,64,060	
10 वर्ष से अधिक परंतु 15 वर्ष से कम की सामान सूची	42,405		3,32,625	
15 वर्ष से अधिक की सामान सूची	20		20	
	28,13,91,757		27,82,51,064	
घाटा: नॉन मूविंग संपत्ति सूची पर मूल्यह्रास	2,65,794	28,11,25,963	5,47,421	27,77,03,643
iii. विविध देनदार				
क) शोध समझे जानेवाला अशोध्य ऋण :				
क. कार्गो संबंधी देय	62,51,17,876		35,76,85,689	
ख. जहाज संबंधी देय	63,79,458		23,81,543	
ग. संपदा देय	2,79,03,61,925		3,53,12,82,958	
घ. रेल्वे देय	16,96,01,720		15,68,38,496	
च. मत्स्य बंदरगाह देय	4,29,40,285		16,73,84,229	
छ. अन्य विविध देय	3,73,85,753		3,73,66,871	
		3,67,17,87,017		4,25,29,39,786
ख) संदिग्ध या अशोध्य समझे जानेवाले ऋण :				
क. कार्गो संबंधी देय	2,29,27,786		2,29,27,786	
ख. जहाज संबंधी देय	2,377		2,377	
ग. संपदा देय	42,59,566		42,59,566	
घ. रेल्वे देय	4,08,79,049		4,08,79,049	
च. मत्स्य बंदरगाह देय	50,26,643	7,30,95,421	50,26,643	7,30,95,421
		3,74,48,82,438		4,32,60,35,207
घाटा : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		7,30,95,421		7,30,95,421
		3,67,17,87,017		4,25,29,39,786
iv. रोकड और बैंक शेष				
क. हस्तगत रोकड		16,17,971		15,31,206
ख. बैंकों में शेष :				
ग. चालु / बचत बैंक खातों में :				
आंध्रा बैंक - पोर्ट शाखा	21,41,29,869		65,16,788	

	31 मार्च 2020 तक		31 मार्च 2019 तक	
	₹	₹	₹	₹
एक्सिस बैंक	4,15,06,637		1,84,646	
बैंक ऑफ बरोड़ा	58,188		58,648	
केनरा बैंक	7,627		7,982	
विजया बैंक	0		0	
इंडियन ओवरसीस बैंक	8,725		9,559	
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई)	1,76,623		1,76,623	
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	11,08,696		11,08,696	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - सूर्याबाग शाखा	51,76,710		27,60,330	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - मुख्य शाखा	6,55,337		6,55,337	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - मुख्य शाखा (ऐस्को खाता)	16,40,584		15,39,465	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पोर्ट शाखा	25,10,93,100		11,28,67,617	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - आरटीजीएस एसबी खाता 133641	98,91,907		49,91,625	
एसबीआई अग्रदाय	6,03,538		84,566	
एसबीआई-पीबी-पीसीएस खाता (पे)-31	1,00,000		1,00,000	
आईडीबीआई- पीसीएस(0) - 15010300	61,602		1,01,529	
एचडीएफसी- पीसीएस खाता (0) -5003	4,09,42,934		1,88,789	
एसबीआई - आरएफआईडी	3,76,38,049		3,38,09,594	
आईसीआईसीआई-पीसीएस खाता-(1)-600	74,13,648		0	
विविध बैंक	84,58,115		0	
		62,06,71,889		16,51,61,794
घ. जमा खाते में (टीडीआर खाता एवं सीएलटीडी खाता) :				
आंध्रा बैंक	1,55,99,00,000		39,01,00,000	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,25,00,00,000		2,00,00,000	
केनरा बैंक	85,00,00,000		0	
आईडीबीआई	0		1,88,00,00,000	
एलआईसी ऑफ इंडिया	3,89,89,86,980		3,26,00,00,000	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पोर्ट शाखा	7,25,00,000		12,00,00,000	
कार्पोरेशन बैंक	15,00,00,000		0	
अलहाबाद बैंक	1,99,99,999		0	
इंडियन ओवरसीस बैंक	1,15,00,00,000		52,00,00,000	
इंडियन बैंक	30,00,00,000		0	
	9,25,13,86,979	9,25,13,86,979	6,19,01,00,000	6,19,01,00,000
		9,87,36,76,838		6,35,67,92,999
कुल चालू परिसंपत्तियां		14,25,96,11,463		11,30,83,75,277

	31 मार्च 2020 तक		31 मार्च 2019 तक	
	₹	₹	₹	₹
ऋण एवं अग्रिम				
1. सबसिडरी / पोर्ट / न्यासियों को ऋण एवं अग्रिम				
कार्गो संभलाई प्रभाग द्वारा लिया गया भंडार	0		0	
इंटरकार्पोरेट ऋण	1,00,00,000		1,00,00,000	
पेंशन निधि ट्रस्ट को अग्रिम				
उपदान निधि ट्रस्ट को अग्रिम				
विशाखपट्टणम पोर्ट सड़क कंपनी लि. को अधीनस्थ ऋण .	11,80,00,000		11,80,00,000	
		12,80,00,000		12,80,00,000
2. नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल्य में वसूली योग्य अग्रिम				
ठेके कार्यों के लिए अग्रिम	28,77,60,670		28,18,30,906	
भंडार के खरीद के लिए अग्रिम	5,82,08,118		5,09,89,982	
कंप्यूटर अग्रिम	28,25,862		30,55,917	
गृह निर्माण अग्रिम	41,21,747		43,83,730	
मोटर कार्र / साईकिल अग्रिम	14,82,761		18,12,981	
यात्रा / छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	59,91,724		56,93,212	
अन्य	26,78,28,179		27,51,83,627	
		62,82,19,061		62,29,50,354
घाटा : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		6,04,399		6,04,399
		62,76,14,662		62,23,45,955
3. सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर आदि के पास शेष				
संचार निगम विभाग के पास स्वैच्छिक जमा	30,550		30,550	
आयकर - टीडीएस, अग्रिम कर एवं सेवा कर	7,40,66,58,415		6,58,28,51,673	
		7,40,66,88,965		6,58,28,82,223
4. जमा				
एपीट्रान्को के साथ जमा	5,75,88,984		5,42,62,780	
जीवीएमसी के साथ जमा	5,34,93,660		5,34,93,660	
		11,10,82,644		10,77,56,440
ऋण एवं अग्रिम उपयोगी और असुरक्षित समझा गया				
कुल ऋण एवं अग्रिम		8,27,33,86,271		7,44,09,84,618

ह/-

वि.स.एवं मु.ले.अ.

	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	₹	₹	₹	₹
ए. भविष्य निधि, पेंशन निधि एवं उपदान निधियां				
क) भविष्य निधि	4,76,40,327		7,13,81,864	
ख) पेंशन निधि	5,25,07,00,070		4,66,55,50,940	
ग) उपदान निधि	31,79,388		-4,49,14,552	
		5,30,15,19,785		4,69,20,18,252
ए. विविध लेनदार				
क) भंडार के लिए लेनदार	3,28,49,632		1,11,41,621	
ख) अदाया वस्तुओं की असमायोजित बिक्री से लाभ	0		0	
ग) अधिशेष सामग्री की असमायोजित बिक्री से लाभ	0		0	
		3,28,49,632		1,11,41,621
ए. फुटकर लेनदार एवं जमा शेष				
क) रेल्वे को देय विलंब शुल्क / वैगन भाड़ा प्रभार	18,35,62,424		16,48,62,523	
ख) सांविधिक भुगमान	1,01,00,32,711		78,19,03,065	
ग) पूँजी व्यय के लिए दायितार्यें	2,12,72,455		2,12,72,455	
घ) अन्य	59,95,86,343		69,84,81,900	
च) व्यापारी, ठेकेदार और अन्य से जमा	2,50,64,17,389		2,34,47,73,788	
		4,32,08,71,322		4,01,12,93,731
ए. अग्रिम भुगतान एवं असमापन छूट				
उस भाग के लिए अभी भी मूल्य दिया जाना है				
क) पहले चुकायी गयी आय	15,53,78,056		11,41,32,355	
ख) परिशोध्य किये जानेवाले अपफ्रंट प्रीमियम	5,02,87,65,006		5,24,64,31,856	
		5,18,41,43,062		5,36,05,64,211
ट. अन्य देयतार्यें		4,02,86,19,637		3,77,63,14,300
ए. प्राप्त ब्याज लेकिन ऋणों पर देय नहीं		36,81,41,168		36,65,73,733
कुल चालू देयतार्यें		19,23,61,44,606		18,21,79,05,848
ख. प्रावधान :				
ए) कर के लिए प्रावधान	4,52,50,85,309		3,83,95,32,141	
ए) आकस्मिताओं के लिए प्रावधान	0		0	
ए) अन्य प्रावधान	0		0	
कुल प्रावधान		4,52,50,85,309		3,83,95,32,141
कुल चालू देयतार्यें एवं प्रावधान		23,76,12,29,915		22,05,74,37,989

ह/-
वि.स.एवं.मु.ले.अ.

लाभ एवं हानि

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आय :		
कार्गो संभलाई एवं भंडारण प्रभार	5,14,43,73,282	4,14,68,18,387
पोर्ट एवं डॉक प्रभार	5,01,27,96,519	3,98,31,82,083
रेल्वे आमदनी	1,76,23,79,831	1,61,18,27,750
संपत्ति किराया	2,12,22,56,377	2,27,20,82,703
कुल परिचालन आय	14,04,18,06,009	12,01,39,10,923
व्यय :		
कार्गो संभलाई एवं भंडारण	1,35,52,07,983	1,13,08,21,950
पोर्ट एवं डॉक सुविधा	1,58,43,74,634	1,33,21,56,208
रेल्वे कार्यचलन	95,15,44,194	1,05,99,43,699
किराये योग्य भूमि एवं भवन	50,99,61,242	40,12,90,065
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासनिक विभाग व्यय	2,22,44,37,766	1,98,58,97,395
कुल परिचालन व्यय	6,62,55,25,819	5,91,01,09,317
प्रचालन अधिशेष :	7,41,62,80,189	6,10,38,01,606
जोड़ : वित्त एवं विविध आय	1,07,65,36,201	99,41,61,756
घाटा : वित्त एवं विविध व्यय	5,43,45,22,924	5,08,88,54,942
कर से पहले लाभ	3,05,82,93,466	2,00,91,08,420
घाटा : टैक्सेशन के लिए प्रावधान :		
पिछले वर्ष	0	0
चालू वर्ष	68,55,53,168	36,26,54,830
अस्थगित कर	(37,12,39,783)	40,13,30,118
कर के बाद लाभ	2,74,39,80,081	1,24,51,23,472
घाटा : पूँजी परिसंपत्ति निपटाने पर लाभ को पूँजी आरक्षण को स्थानांतरण	4,24,054	1,59,66,880
विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम	2,74,35,56,027	1,22,91,56,592
घाटा: विनियोजन		
विकास, ऋणों का पुर्नभुगतान एवं आकस्मिकताओं के लिए निधि	94,89,38,675	39,53,59,788
प्रतिस्थापना, पुर्नवास और आधुनिकीकरण के लिए पूँजी परिसंपत्ति	53,46,96,817	80,96,01,646
कुल विनियोजन	1,48,36,35,493	1,20,49,61,434
सामान्य आरक्षण में स्थानांतरित शेष	1,25,99,20,535	2,41,95,159

ह/-
अध्यक्ष

ह/-
वि.स.एवं.मु.ले.अ.

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अनुसूची - आर. 1	₹	₹
कार्गो संभलाई एवं भंडारण प्रभार :		
सामान्य कार्गो पर संभलाई और भंडारण प्रभार	2,21,93,93,279	1,56,54,79,424
वेयर हाऊसों में सामग्री का भंडारण	3,71,32,631	7,06,64,244
क्रेनेज़	22,92,095	1,04,80,330
लाईटेज़	0	0
पीओएल तेल और लुब्रिकेंट्स की संभलाई	76,08,01,609	77,40,80,159
सामान्य कार्गो पर विलंब शुल्क	2,16,81,949	3,70,97,286
बी ओ टी ठेके से रॉयल्टी	2,06,05,85,269	1,64,83,16,392
विविध प्रभार	4,24,86,450	4,07,00,552
कुल	5,14,43,73,282	4,14,68,18,387
अनुसूची - आर - 2		
पोर्ट एवं डॉक प्रभार :		
टोविंग एवं मूरिंग प्रभार	5,46,87,502	5,99,87,245
डॉक देय	1,02,71,87,409	67,39,63,425
पोर्ट देय	1,36,85,23,006	1,13,73,54,405
पाईलटेज़ शुल्क	2,51,93,64,978	2,07,19,08,204
ड्राई डॉकिंग प्रभार	1,62,09,066	1,99,81,234
जहाजों के लिए जल आपूर्ति	81,12,886	57,93,351
साल्वेज़ और जलगत मरम्मत	28,44,712	2,66,076
विविध प्रभार	1,58,66,960	1,39,28,143
कुल	5,01,27,96,519	3,98,31,82,083
अनुसूची - आर - 3		
रेल्वे आमदनी :		
वैगन भाड़ा एवं दुलाई प्रभार	17,10,15,430	17,98,88,176
साईडिंग प्रभार	58,38,24,895	54,91,76,065
टर्मिनल प्रभार	83,23,44,117	67,30,75,778
विविध प्रभार	17,51,95,389	20,96,87,731
कुल	1,76,23,79,831	1,61,18,27,750

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
	₹	₹
अनुसूची - आर - 4		
संपदा किराया :		
भूमि से किराया	2,02,93,64,403	2,10,77,61,839
भंडारण शेडों पर किराया	0	0
बाहरी कार्यालयों के लिए व्यवस्थित आवास से किराया	1,15,74,781	1,42,09,002
कलावाणी ऑडिटोरियम	90,07,555	73,00,000
पोर्ट ट्रस्ट क्वार्टरों से किराया	30,19,927	22,39,103
वसूली योग्य प्रभार	5,23,40,848	11,79,83,493
विविध आय	1,69,48,863	2,25,89,266
कुल	2,12,22,56,377	2,27,20,82,703
अनुसूची - आर - 5		
कार्गो संभलाई एवं भंडारण :		
शेडों और वेयरहाउसों में सामान्य कार्गो की संभलाई और भंडारण	74,69,31,874	69,82,51,953
वेयरहाउसिंग	0	0
अयस्क संभलाई संयंत्र का प्रचालन और अनुरक्षण	1,43,43,964	2,52,11,889
लाईटर्स और बार्जों का परिचालन और अनुरक्षण	1,54,328	2,11,731
वार्फ क्रेन और क्रेन जहाजों का प्रचालन एवं अनुरक्षण	2,06,48,587	3,38,95,997
डॉक में सामान्य सुविधाओं पर व्यय	2,29,03,180	2,66,71,912
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	44,00,91,613	21,96,59,085
नई लघु कार्य	0	0
मूल्यह्रास	11,01,34,437	12,69,19,383
कुल	1,35,52,07,983	1,13,08,21,950

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
	₹	₹
अनुसूची - आर - 6		
पोर्ट एवं डॉक सुविधाएं :		
टोविंग, बर्थिंग एवं मूरिंग	52,48,57,579	47,09,13,144
पायलटेज	29,25,09,384	28,23,78,817
ड्राई डाकिंग व्यय	4,13,68,343	4,24,04,791
नौवहन के लिए जल आपूर्ति	1,07,86,902	1,12,06,489
अग्नि शमन	6,28,91,982	6,80,10,797
निकर्षण एवं समुद्री सर्वेक्षण	21,39,52,078	10,31,37,427
नौचालन सहायताओं का प्रचालन एवं अनुरक्षण	1,61,32,888	1,62,41,929
साल्वेज और जलगत मरम्मत	4,60,181	4,92,926
डॉक और हार्बर दीवारों, समुद्री संरचनाओं आदि का अनुरक्षण	2,00,56,640	2,10,54,295
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	2,95,37,432	2,99,58,595
नए लघु कार्य	0	0
मूल्यह्रास	37,18,21,225	28,63,56,998
कुल	1,58,43,74,634	1,33,21,56,208
अनुसूची - आर - 7		
रेल्वे कार्यचालन :		
लोकोमोटिव, वैगन आदि का प्रचालन एवं अनुरक्षण	34,69,20,993	34,19,99,686
स्थाई वे सिग्नल और इंटर लॉकिंग सिस्टम का अनुरक्षण	11,34,73,269	26,08,43,330
स्टेशन, यार्ड और साईडिंग के प्रचालन अनुरक्षण और प्रशासन संबंधी व्यय	0	2,21,94,920
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	44,72,19,893	38,86,86,265
नए लघु कार्य	0	0
मूल्यह्रास	4,39,30,039	4,62,19,498
कुल	95,15,44,194	1,05,99,43,699
अनुसूची - आर - 8		
किराये योग्य भूमि और भवन :		
संपदा अनुरक्षण	44,06,76,449	32,00,72,747
भूमि मरम्मत और उद्धार	21,98,008	30,85,209
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	13,17,961	13,36,942
नए लघु कार्य	0	0
मूल्यह्रास	6,57,68,824	7,67,95,167
कुल	50,99,61,242	40,12,90,065

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
	₹	₹
अनुसूची – आर – 9		
प्रबंधन और सामान्य प्रशासन :		
प्रबंधन और सचिवालय प्रशासन	14,37,04,081	13,92,70,392
पोर्ट सुरक्षा (कें.औ.सु.ब)	37,00,27,623	34,41,90,377
कानूनी व्यय	1,26,18,628	2,11,96,767
श्रम और कल्याण व्यय	3,85,63,693	14,13,74,074
अनुसंधान एवं योजना एकक	6,23,30,937	6,57,80,842
चिकित्सा व्यय	37,51,98,371	40,42,22,246
भंडार पालन	6,13,69,065	6,48,63,694
लेखाकरण और लेखापरीक्षा	5,20,37,643	12,68,19,220
मुख्य कार्यालय भवन पर व्यय	17,85,911	0
दूरभाष	99,04,443	1,15,52,779
इंजीनियरिंग और कार्याशाला प्रशासन अतिरिक्त खर्च	95,20,10,538	54,44,91,435
विविध व्यय	10,20,22,056	7,46,37,776
मूल्यहास	4,28,64,777	4,74,97,793
कुल	2,22,44,37,766	1,98,58,97,395
अनुसूची – आर – 10		
वृत्ति और विधि आय :		
आवधिक निक्षेप एवं नकद शेष पर ब्याज	65,89,79,358	74,19,12,398
राजस्व लेखा पर ब्याज	5,70,52,871	3,22,17,339
जमा लेखा पर ब्याज	31,65,436	22,45,680
आयकर वापसी पर ब्याज	0	1,53,90,640
कार्गो संभलाई के लिए संयंत्र के अलावा किराया	0	0
विविध आय	22,58,87,229	11,03,46,401
आरएफआईडी आय	2,89,69,786	2,57,72,961
विविध प्राप्तियां	9,26,71,860	3,18,79,429
पूँजी परिसंपत्तियों के निपटारे पर लाभ	12,42,669	1,66,22,768
सेंटेज प्रभार	65,408	1,81,171
निविदा दस्तावेजों की बिक्री	6,79,726	20,42,006
भंडार समायोजन (अधिकता)	95,75,069	34,11,551
पिछले वर्ष से संबंधित मदें	-17,53,211	1,21,39,412
कुल	1,07,65,36,201	99,41,61,756

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
	₹	₹
अनुसूची - आर - 11		
वित्त और विविण व्यय :		
बैंक प्रभार	3,31,056	7,19,663
चुकाए जानेवाले ब्याज :		
i) सरकार से ऋण	74,77,447	46,61,06,248
ii) अन्य एजन्सियों से ऋण	0	0
iii) अन्यो से ब्याज	0	0
सिक्का समायोजना	18,403	-4,874
बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण	0	0
संदिग्ध एवं अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	0	0
निवेश में प्रत्याशित कमी के लिए प्रावधान	0	30,00,00,000
संपत्ति कर	55,78,10,339	46,42,56,919
आयकर अपील आदि पर व्यय	1,000	1,000
पूँजी परिसंपत्तियों के निपटारे पर हानि	6,32,442	14,05,999
भंडार समायोजन	0	45,938
बाहरी उत्पादन मूल्य भिन्नता से हानि	69,86,860	29,30,145
मास्टर लिस्ट अभ्यर्थियों को एक मुश्त भुगतान	0	82,000
i) सेवानिवृत्ति उपदान	23,83,00,000	17,79,00,000
ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में अनुग्रहपूर्वक अदायगी	12,68,36,655	2,89,06,777
iii) क) पेंशन भुगतान	2,81,81,57,453	2,78,26,67,684
ख) नए पेंशन (टाईर-५) योजना के लिए अंशदान	6,15,27,299	4,82,97,182
ग) पेंशन निधि के लिए अंशदान	61,01,00,000	64,58,00,000
घ) पेंशन का कमुटेशन	24,25,70,111	13,03,75,666
ई) पेंशन भुगतान में गिरावट के लिए प्रावधान	50,00,00,000	0
कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि के लिए अंशदान	3,73,53,704	3,91,74,362
भाविष्य निधि में न्यासियों का अंशदान	0	1,26,348
पिछले अवधि से संबंधित व्यय	22,64,20,155	63,885
कुल	5,43,45,22,924	5,08,88,54,942

ह/-
वि.स.एवं.मु.ले.अ.

लाभ और हानि की अतिरिक्त अनुसूची
कुल व्यय (वित्त एवं विविध व्यय शामिल है)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
	₹	₹
क. कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान :		
1. वेतन, मज़दूरी और बोनस आदि		
i. वेतन और मज़दूरी	3,19,08,20,906	3,02,52,15,338
ii. संशोधित वेतन बकाया प्रावधान	0	8,70,45,677
iii. बोनस	4,78,15,469	5,30,51,422
	3,23,86,36,375	3,16,53,12,437
2. भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		
i. भविष्य निधि में न्यासियों के अंशदान	0	1,26,348
ii. पेंशन निधि के अंशदान	61,01,00,000	64,58,00,000
iii. कम्प्यूटेशन सहित पेंशन भुगतान	3,08,65,99,852	2,93,95,71,464
iv. पूल खलासियों को ईपीएफ वीपीटी अंशदान	3,56,55,011	2,17,69,068
	3,73,23,54,863	3,60,72,66,880
3. उपदान	23,83,00,000	17,79,00,000
4. वर्कमेन और स्टॉक कल्याण व्यय		
i. छुट्टी यात्रा रियायत व्यय	10,66,907	19,84,720
ii. चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	15,16,80,286	15,55,11,428
iii. आंतरिक रोगियों को पौष्टिकता	3,71,457	4,43,712
iv. भंडार (चिकित्सा)	6,22,52,679	8,04,80,240
v. भंडार (सर्जिकल)	62,00,637	5,33,169
vi. कामगार काम्पनशेषन अधिनियम के अंतर्गत भुगतान	0	84,260
vii. पासेस एवं पीटीओ	0	0
viii. छात्रवृत्ति, पुरस्कार एवं अवार्ड	84,500	98,700
ix. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में अनुग्रहपूर्वक भुगतान	12,68,36,655	2,89,88,777
	34,84,93,121	26,81,25,006
कुल (क)	7,55,77,84,359	7,21,86,04,323
ख. प्रचालन व्यय :		
1. भंडार और अतिरिक्त पुर्जों आदि का उपभोग	6,63,17,744	6,14,13,624
2. संयंत्र और मशीनरी (यांत्रिक) की खपत	26,33,15,247	27,46,79,840
3. भवन और सिविल संरचनाओं की मरम्मत	22,87,49,845	23,81,37,728
4. अन्य मरम्मत		
i. विशेष मरम्मत	0	0
ii. प्राक्कलन द्वारा पूरित विशेष मरम्मत	2,43,21,298	7,44,94,548
iii. आफीस मशीनों का किराया और सेवा प्रभार	3,97,46,462	3,24,92,117
	6,40,67,760	10,69,86,665
5. उपयुक्त भंडार		
i. सामान्य भंडार	5,04,73,585	3,39,04,161
	5,04,73,585	3,39,04,161

लाभ और हानि की अतिरिक्त अनुसूची
कुल व्यय (वित्त एवं विविध व्यय शामिल है)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
	₹	₹
6. विद्युत, प्यूल, लूब्रिकेंट्स आदि		
i. भंडार (प्रचालन)	33,67,61,206	27,70,88,462
ii. विद्युत शक्ति	9,59,13,227	1,84,76,161
	43,26,74,433	29,55,64,623
7. नए लघु कार्य	0	0
8. अन्य परिचालन व्यय		
i. रेल्वे को क्षति और कमियों के लिए चुकाए जानेवाले भुगतान	64,59,684	5,82,97,666
ii. वैगन किराये प्रभार	0	0
iii. प्लोटिंग क्राफ्ट्स के लिए किराया प्रभार	2,51,17,021	1,24,55,596
iv. वाहन के लिए किराया प्रभार	5,55,87,777	5,32,60,272
v. प्राईवेट टग्स के लिए किराया प्रभार	10,98,59,043	9,92,54,919
vi. अग्नि प्रभार	21,74,78,074	0
vii. फुटकर व्यय परिचालन	70,81,919	35,39,767
viii. फ्राईट तथा संभलाई प्रभार	0	0
ix. सुरक्षा	0	0
x. सुरक्षा प्रभार	36,20,58,623	34,64,19,125
xi. प्राईवेट सुरक्षा	2,28,57,821	70,26,830
xii. निकर्षण प्रभार	15,43,15,099	4,45,20,789
xiii. मूल्यहास	63,45,19,301	58,37,88,838
	1,59,53,34,363	1,20,85,63,802
कुल (ख)	2,70,09,32,977	2,21,92,50,443
ग. सामान्य व्यय :		
i. किराया, दर एवं कर	4,25,070	11,27,358
ii. लेखापरीक्षा शुल्क	78,39,950	54,95,000
iii. जल प्रभार	4,87,15,731	5,51,33,559
iv. संचार व्यय	2,83,530	4,35,597
v. अन्य व्यय	2,03,279	2,03,279
vi. बीमा 4,50,07,748	2,26,64,978	
vii. यात्रा व्यय	97,12,952	1,33,44,192
viii. फर्निचर एवं कार्यालय उपस्कर	1,28,906	8,24,725
ix. विविध व्यय	23,19,28,953	2,85,71,924
x. स्टीवडोरिंग व्यय	0	0
xi. पोर्ट स्वास्थ्य	0	0
xii. विज्ञापन एवं प्रचार	62,75,144	83,61,954
xiii. न्यासियों के शुल्क	72,000	69,000
xiv. मनोरंजन	68,61,252	76,50,313
xv. पुस्तक एवं पीरियाडिकल्स	1,96,883	2,24,449

लाभ और हानि की अतिरिक्त अनुसूची
कुल व्यय (वित्त एवं विविध व्यय शामिल हैं)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
	₹	₹
xvi. विधि एवं व्यवसायिक प्रभार	3,93,26,432	6,40,50,780
xvii. मुद्रण एवं प्रकाशन	11,21,936	21,43,705
xviii. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्ति	11,76,542	18,06,973
xix. लाईसेंस शुल्क	31,53,595	42,17,336
xx. टेलिफोन्स	60,84,657	60,83,526
xxi. अनुसंधान एवं विकास	3,80,26,136	3,71,53,992
xxii. चंदा	4,750	5,714
xxiii. अंशदान	1,77,54,555	2,68,41,856
कुल (ग)	46,43,00,001	28,64,10,207
घ. वित्तीय व्यय :		
1. ब्याज व्यय		
i. बैंक प्रभार	3,31,056	7,19,663
ii. सरकारी ऋणों पर ब्याज	74,77,447	46,61,06,248
iii. अन्य ऋणों पर ब्याज	0	0
	78,08,503	46,68,25,911
2. संपत्ति कर	55,78,10,339	46,42,56,919
कुल (घ)	56,56,18,842	93,10,82,830
च. सामान्यतः पोर्ट द्वारा नहीं किये जानेवाले वस्तु के ट्रान्सेक्शन्स या अपवादी परिस्थितियों में या वापस नहीं होनेवाली स्थिति में किये गये कार्यकलापों से संबंधित लाभ या हानि – अगर सामग्री रकम में हैं तो :		
i. बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण	0	0
ii. ड्रॉप इन पेंशन भुगतान के लिए प्रावधान	50,00,00,000	
iii. अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	0	0
iv. पूँजी परिसंपत्तियों की निपटाने पर हानि	6,32,442	14,05,999
v. भंडार समायोजन	0	45,938
vi. निवेश में प्रत्याशित कमी के लिए प्रावधान	0	30,00,00,000
vii. पिछली अवधि के व्यय	22,64,20,155	63,885
viii. कर अपील पर व्यय	1,000	1,000
ix. कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए अंशदान निधि	3,73,53,704	3,91,74,362
घाटा बाहरी उत्पाद्य मूल्यों से भिन्नता	69,86,860	29,30,145
सिक्का समायोजन	18,403	-4,874
कुल (च)	77,14,12,564	34,36,16,455
कुल व्यय	12,06,00,48,743	10,99,89,64,258

ह/-
वि.स.एवं मु.ले.अ.

2019-20 के वार्षिक लेखा
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखा पर टिप्पणी

(क). लेखा नीतियां :

1. लेखाकरण के मर्केटाईल सिस्टम के अंतर्गत पुस्तकों का अनुरक्षण की गई। मूलभूत लेखा धारण को संबद्ध और सामंजस्य जाने की पालन किया जाता है। वास्तविक के आधार पर राजस्व को निर्धारित किया गया यदि कोई शुद्ध (सेवा कर) / जीएसटी एवं छूट / प्रोत्साहन आदि प्रस्तुत किया गया ।

2. नियत पूँजी परिसंपत्तियां एवं मूल्यह्रास

सभी परिसंपत्तियाँ मूल लागत पर पूँजीकृत किए गए हैं ।

सरकार के वर्तमान निर्देशों के अनुसार 5 वर्ष से कम की अनुमानित अवधि एवं रु.1,00,000 /— लागत से कम की परिसंपत्तियाँ राजस्व परिसंपत्ति समझी गई और राजस्व व्यय में प्रभारित की गयी ।

मूल्यह्रास को सीधी लाईन प्रणाली के तहत उपलब्ध कराया गया ।

सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार 3 माह से कम के लिए प्रयुक्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया और छः माह की अवधि से कम प्रयुक्त परिसंपत्ति के लिए आधा मूल्यह्रास उपलब्ध कराया गया और 6 माह से अधिक के लिए प्रयुक्त परिसंपत्ति के लिए पूरा मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया ।

निपटाने के कारण वित्तीय सारणी में नियत परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं किए गए हैं । महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 96 प्रावधानों के अनुसार परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया गया ।

निर्माणाधीन नियत परिसंपत्तियों को प्रगति पर रहे पूँजी कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

पूँजी परिसंपत्तियों के निपटाने पर लाभ एवं हानि को वित्त एवं विविध आय के अंतर्गत दिखाया गया । बिक्री पर मिलने वाले पूँजी लाभ मूल रूप से अधिहीन लागत से ज्यादा होने के कारण, उसे पूँजी आरक्षण लेखा में स्थानांतरित किया गया ।

3. निवेश

एक वर्ष से अधिकतम के निवेशों को दीर्घकालीन निवेशों के रूप में तथा एक वर्ष या उससे कम अवधि के निवेशों को चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया ।

निवेशों को लागत मूल्य की लेखा पुस्तकों में ले जाया गया । मंडल के यह रॉय को ध्यान में रखते हुए ह्रास स्थाई प्रकार का है, दीर्घ कालीन निवेश के मार्केट मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान किया गया ।

4. माल सूची का मूल्यांकन

स्टॉक मदों की सूची का मूल्यांकन औसत भार प्रणाली पर किया गया ।

5. आय

कार्य समाप्ति की प्रतीक्षा किये बिना, की गई सेवा से प्राप्त राजस्व को सेवा की समाप्ति की अवस्था के अनुपात में स्वीकार किया गया। पोर्ट में प्रविष्ट माल पर, लदाई न करने पर भी, अधिसूचित दरमानों के अनुसार वार्फेज प्रभार लगाये जाएंगे। तदनुसार वार्फेज आय का गणन किया गया । घाट / सुविधाओं के पट्टे पर वसूल किया गया अपफ्रंट शुल्क और जमीनों की पट्टे वसूल किया गया प्रीमियम को अग्रिम आय के रूप में गणन किया गया और बिलमोरिया रिपोर्ट के अनुसार पट्टा अवधि के दौरान चुकाया गया ।

6. उधार लागत

अधिग्रहण, परिसंपत्तियों का निर्माण के लिए सीधा आरोप्य उधार लागत को परिसंपत्ति प्रारंभ करने की तिथि तक पूँजीकृत किया गया। पूँजीकरण के बाद ऋण पर ब्याज को प्रोद्भवन के आधार पर राजस्व में प्रभार्य किया गया।

7. विदेशी मुद्रा कार्य संपादन

पुर्जें तथा प्रधान उपस्कर का आयात के लिए विदेशी मुद्रा कार्य संपादन सौदा करने की तिथि को रहे एक्सचेंज दर पर रिकार्ड की गई। अब तक पोर्ट को पुर्जें तथा प्रधान उपस्कर का आयात से संबंधित न कोई विदेशी मुद्रा का ऋण है न ही कोई आगे के ठेके में हस्ताक्षर किया। जब कभी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, तब संबंधित लेखा मानकों को दृष्टि में रखते हुए नीति का निर्माण किया जाएगा।

पोर्ट को जलयान से संबंधित प्रभार जैसे कुछ आय है, जो यू एस डालरों में डिन्यामिनेट किया जाता है लेकिन भारतीय रुपयों में वसूल किया जाता है। यह वसूली जलयान पोर्ट में प्रवेश करने की तिथि को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इसके सब्सिडरीज़ या अन्य कोई सार्वजनिक बैंक द्वारा अधिसूचित क्रय दर का उपयोग करते हुए किया जाता है।

8. आय पर कर

आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, चालू कर का प्रावधान बनाया गया। ए एस 22 के अनुसार मुख्यतः मूल्हास एवं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43 बी के अंतर्गत आनेवाले मदों के कारण टाईमिंग में भिन्नता के परिणाम रूप में आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं दायित्व हुआ जो लाभ और हानि लेखा में प्रभार्य करते हुए लेखा में पाया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को निर्धारित करते हुए आगे ले जाया गया, क्योंकि पिछले मामलों के रिकार्ड एवं भविष्य के लाभ का प्राक्कलन के आधार पर उन्हें वसूल किया जा सकता है।

9. पेंशन, उपदान एवं छुट्टि नकदीकरण का वास्तविक मूल्यांकन प्रति वर्ष किया जाएगा।

B. लेखा पर टिप्पणी

1. पोत परिवहन मंत्रालय के अनुसार देखे दिनांक 19.11.2018 को पत्र संख्या एस एस -28036/18/2016-डीसीआई -भाग-VI अनुमोदन, वीपीटी मंडल ने भारत सरकार से डीसीआई लिमिटेड के 54,51,710 समान शेयरों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में रु. 278.04 करोड़ की लागत पर अधिग्रहण करने के लिए दिनांक 21.02.2019 को देखें संकल्प सं. 196/2018-19 और उसी को दीर्घकालिक निवेश के तहत शेयर एवं ऋणपत्र के तहत अनुसूची 2.2 में दिखाया गया है।
2. पूँजी राजस्व में वर्ष 1933 से 1964 तक प्रारंभ पूँजी के रूप में भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित निधियाँ भी शामिल है।
3. वर्ष के दौरान पूँजी परिसंपत्ति निपटाने पर लाभ के खाते में रु.4,24,054/- रकम को पूँजी राजस्व को स्थानांतरित किया गया है।
4. इस संबंध में रखा गया नीति और पद्धति के अनुसार स्थिर संपत्तियों की भौतिक सत्यापन की जा रही है। स्थिर संपत्ति का भौतिक सत्यापन के लिए समिति गठित किया, रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट के आधार पर, संबंधित विभागों को पुष्टि के लिए पत्र जारी किये गये थे। विभागों से पुष्टि प्राप्त होने पर, परिसंपत्तियाँ जो पुस्तकों में शून्य / एक पैसे के मूल्य के साथ मौजूद है और समिति द्वारा पहचान किए उन्हें परिसंपत्ति मास्टर से हटा दिया गया था। संबंधित अन्य मदों के लिए जो वर्तमान पुस्तकों में मूल्य, और एक बार सत्यापित करने और विवरण प्रस्तुत करने के लिए विभागों को पत्र जारी किए जा रहे हैं। वहीं प्राप्त होने पर, उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
5. 2018-19 के दौरान मालसूची का भौतिक सत्यापन भी किया गया है और नगण्य मूल्य विनमेय भिन्नता नोटिस किया गया है।

6. मंत्रालय की पत्र सं.15/76, दिनांक 22-09-1976 के अनुसार नकद की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पूँजी परिसंपत्तियों की प्रतिस्थापना के लिए 3% आरक्षण, पूँजी नियोजन पर विकास, ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिकताओं के लिए 3% आरक्षण हर वर्ष किया जाना है । वर्ष 2018-19 के दौरान, विकास के लिए कोई निधि विनियोजन नहीं किया गया था, ऋणों और आकस्मिकताओं का पुनर्भुगतान के लिए कोई पर्याप्त अधिशेष उपलब्ध नहीं है । अब वहीं प्रबंध किया गया है और चालू वर्ष में 3% प्रति दो आरक्षणों के लिए /3% का भी विनियोजन किए गए हैं ।

विवरण	2019-20
पूँजी परिसंपत्तियों की प्रतिस्थापना और आधुनिकीकरण के लिए आरक्षण	53,46,96,817
विकास और ऋणों एवं आकस्मिकताओं के लिए आरक्षण	*94,89,38,675
*अब 2018-19 से संबंधित रु. 41,42,41,858 /- राशि शामिल करने का प्रबंध किया गया है ।	

7. ऑयल बूम उपस्करों की प्राप्ति और प्रारंभ करने के लिए शिपिंग मंत्रालय से प्राप्त रु. 27,72,750 /- रकम का अनुदान । क्रूस बर्थ निर्माण के लिए प्राप्त रु. 19.25 करोड़ रकम का अनुदान ।

जब अनुदान प्राप्त होता है, तो पुस्तकों में प्राप्त अनुदान की सीमा तक देयता सृजन के लिए प्रथा का पालन की जा रही है और ऐसे और कब विशिष्ट कार्य पूरा होने के लिए जिसके लिए अनुदान प्राप्त होता है तो देयता को रद्द कर देता है विधिवत परिसंपत्ति को जमा किया जाता है । अन्य अनुदान की प्राप्ति और समायोजित की स्थिति इस प्रकार है :

प्राप्त अनुदान	आवश्यक परिसंपत्तियों का विवरण	टिप्पणी
रु. 30.00 करोड़	यह रकम ग्रीन चैनल बर्थ के अंतर्गत दो परिसंपत्तियों का सृजन के लिए उपयोग किया जाता है अर्थात; क. वर्ष 2015-16 में रु. 18.45 करोड़ की लागत पर वर्तमान डब्ल्यूक्यू रिटर्न इंड का मज़बूतीकरण किया । ख. वर्ष 2016-17 में रु. 11.54 करोड़ का आरसीसी ले बाई जेट्टी को प्रतिस्थापित करने के लिए डब्ल्यूक्यू रिटर्न इंड का विस्तार किया गया ।	प्राप्त अनुदान संपत्ति के मूल्य को सीमा तक कम किया और परिसंपत्ति की शेष रकम परिसंपत्ति रजिस्टर में दिखाया गया है ।
रु.20.00 करोड़	सागरमाला के अंतर्गत वीपीटी से एनएच 5 चरण 2 कार्य के लिए वर्तमान 2 लेन रोड को 4 लेन रोड निष्पादन के लिए सागरमाला विकास गतिविधि के तहत रकम प्राप्त हुई थी । वीपीटी ने एसपीवी अर्थात वीपीआरसीएल में वीपीटी की समान भागीदारी के रूप में प्राप्त राशि के योगदान के लिए भारत सरकार की अनुमोदन मांगी और वहीं समान निवेश ही दिखाया गया है ।	एनएचएआई द्वारा सागरमाला विकास निगम के नाम पर शेयर प्रमाणपत्र अब तक जारी नहीं किया गया है । ऐसे समय तक, वीपीटी पुस्तकों में निवेश के रूप में दिखाया गया है । जैसे ही एनएचएआई ने सागरमाला के नाम पर शेयर प्रमाणपत्र जारी किया, वीपीटी पुस्तकों में निवेश को वापस लेने के लिए आवश्यक प्रविष्टियां की जाएगी ।

9. विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट को आईटी अधिनियम 1961 के 10 (20) के तहत स्थानीय प्राधिकार के रूप में निर्धारण वर्ष 2002-03 तक छूट दिया गया है (वित्तीय वर्ष 2001-02) । वित्तीय अधिनियम 2002 में संशोधन के साथ निर्धारण वर्ष 2003-04 (वित्तीय वर्ष 2002-03) के बाद पोर्टों को स्थानीय प्राधिकार के रूप में मिलने वाला छूट हटाया गया ।

अतः वीपीटी, निर्धारण वर्ष 2003-04 के बाद से आयकर चुकाना होगा। खैर, आयकर निर्धारण से छूट का दावा करने हेतु वि.पो.ट ने आयकर अधिनियम की धारा 12ए के अंतर्गत दानशील संगठन के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया। निर्धारण वर्ष 2003-04 के बाद से पूर्वव्यापी प्रभाव से धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन किया, देखें आवेदन दि. 20-03-2008ए परिणाम रूप में टीडीएस प्रमाणपत्रों से संबंधित रकम को छोड़कर, निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2008-09 तक चुकाए गए कर वापस किया गया। आयकर विभाग से देय वापस निधि का शेष निर्धारण वर्षवार निम्नानुसार है :

निर्धारण वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
वापसी बकाया (रु. करोड़ों में)	0.19	0.07	0.08	0.04	0.00	5.61

उक्त रकम वीपीटी को वापस देने के लिए आयकर विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए आयकर विभाग ने रु. 16.85 करोड़ ब्याज सहित रु. 43.99 (01-04-2013) करोड़ वापस किया और ब्याज, 2012-13 के पी एंड एल लेखा में जमा किया। आयकर विभाग द्वारा, निर्धारण वर्ष 2008-09 से संबंधित निर्धारण के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधारण पिटीशन फाईल किया गया और शेष भुगतान रु. 5.61 करोड़ सहित यह पिटीशन, पालन के अंतर्गत है।

वित्तीय अधिनियम 2008 की धारा 2 (15) में संशोधन करने के कारण निर्धारण वर्ष 2009-10 के बाद पोर्टर्स, आयकर अधिनियम धारा 11 के अंतर्गत छूट के लिए अनर्हक है और 1 अप्रैल 2008 से वि.पो.ट को अयकर चुकाने वाले संगठनों में शामिल किया। निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक की गई कर भुगतान / दावा किए गए टीडीएस / वीपीटी लेखों में किए गए प्रावधान / कर दायित्व / फाईल किए गए रिटर्न के अनुसार दावा किया गया शुद्ध वापसी और निर्धारण की वर्तमान स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण		समय समय पर निर्धारण की स्थिति
1.	वित्तीय वर्ष	2008—09	ए. मार्च 2010 में संशोधित रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रु. 23.27 करोड़ कर वापस करने का दावा किया । बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में, (दिसंबर 2011) कर दायित्व रु. 70.32 करोड़ के साथ कर लगाने योग्य आय रु. 176.21 करोड़ के रूप में गणन किया, और चुकाया गया कर / टीडीएस / ब्याज / रिफंड्स पर विचार करते हुए आदेश दिया कि वीपीटी को वापस देनेवाले शुद्ध रकम रु. 6.68 करोड़ है । सी. इस से असंतुष्ट होकर, यह आदेश पर कमीशनर, आई टी (सीआईटी) एपीलस विशाखपट्टणम के पास विरोध (30 जनवरी 2012) किया गया और अपील पर अंतिम निर्णय लंबित है । सी आई टी (एपीलस) ने फरवरी 2017 को सुनवाई प्रारंभ की और सुनवाई प्रगति पर है ।
	निर्धारण वर्ष	2009—10	
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	77.72	
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	67.24	
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	54.45	
	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	23.27	

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति												
		डी. वीपीटी ने आयकर अधिनियम (30-12-2016) की धारा 154 के तहत रु. 0.72 करोड़ के टीडीएस का शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया।												
2.	<table><tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2009-10</td></tr><tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2010-11</td></tr><tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>76.41</td></tr><tr><td>वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>37.50</td></tr><tr><td>वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व</td><td>25.09</td></tr><tr><td>आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>51.32</td></tr></table>	वित्तीय वर्ष	2009-10	निर्धारण वर्ष	2010-11	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	76.41	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	37.50	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	25.09	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	51.32	ए. मार्च 2012 में संशोधित रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रु. 51.32 करोड़ कर वापस करने का दावा किया । बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में, (नवंबर, 2012) कर दायित्व रु. 58.90 करोड़ के साथ कर लगाने योग्य आय रु. 190.60 करोड़ के रूप में गणन किया, और चुकाया गया कर / टीडीएस / ब्याज / रिफंड्स पर विचार करते हुए आदेश दिया कि वीपीटी को वापस देने वाले शुद्ध रकम रु; 37.02 करोड़ है । वीपीटी ने सीआईटी-एपील्स, विशाखपट्टणम के पास विरोध किया और उन्होंने (जनवरी 2013) कर योग्य आय को पुर्न गणन करने के लिए निर्धारण अधिकारी को आदेश दिया । सी. पुनः निर्धारण करते समय (27-05-14) कर निर्धारण अधिकारी ने आय को रु. 130.15 करोड़ के रूप में तथा कर दायित्व को रु. 40.22 करोड़ के रूप में संशोधित किया । चुकाया गया कर / टीडीएस / ब्याज / रिफंड्स पर विचार करते हुए वीपीटी को 26.42 करोड़ शुद्ध रकम वापस देने का आदेश दिया । डी. तत्पश्चात आयकर के सहायक आयुक्त (एसीआईटी), सर्कल-1, विशाखपट्टणम ने आय को रु. 135.25 करोड़ के रूप में और कर दायित्व को रु. 41.79 करोड़ के रूप में संशोधित (14 मई 2015) किया और वीपीटी को रु. 22.48 करोड़ शुद्ध रकम वापस देने का आदेश दिया । ई. आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए अतिरिक्त मांग (रु.14.93 करोड़) समायोजित करने के बाद शेष रकम रु. 7.54 करोड़ वापस (6 अप्रैल 2016) किया । एफ. वीपीटी ने अपफ्रंट चुकाने के कारण कुल अय में रु. 0.89 करोड़ घटाने के लिए आयकर अधिनियम (25-04-2016) की धारा 154 के तहत पिटीशन फाईल किया । जी. वीपीटी ने आयकर अधिनियम (30-12-2016) की धारा 154 के तहत रु. 9.53 करोड़ के टीडीएस का शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया ।
वित्तीय वर्ष	2009-10													
निर्धारण वर्ष	2010-11													
चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	76.41													
वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	37.50													
वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	25.09													
आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	51.32													

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति												
		एच.सीआईटी (एपील्स) ने आदेश सीआईटी (ए), वीएसपी, नं. 0266 / 12-13 / एडिशनल.सीआईटी / आर-1 / वीएसपी / 2013-14, दि.28-03-2014 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत एपील को कुछ भाग तक स्वीकार किया और वीपीटी ने आईटीएटी, विशाखपट्टणम बेंच (27-01-2014) के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है । आई. सीआईटी-1, विशाखपट्टणम ने आयकर अधिनियम की धारा 14ए के तहत रु. 5.09 करोड़ को अस्वीकार करने के लिए लेखा अधिकारी को निदेश देते हुए, आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत (21-1-2013) निर्धारण का पुनरीक्षण प्रारंभ किया और वीपीटी ने आईटीएटी, विशाखपट.टणम बेंच (27-01-2014) के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है । जे. आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत वर्ष 2010-11 के लिए (मई 2015) का निर्धारण की अंतिम रूप देते हुए ओदश दिया जिसमें रु. 4.71 करोड़ कर वापसी पर शुद्ध ब्याज शामिल है और इसे 2015-16 की ब्याज आय के रूप में पहचाना गया है । के. आयकर विभाग ने 244ए के तहत 14-05-2015 से 31-03-2016 तक ब्याज (16 जून 2016) रु. 0.37 करोड़ वापसी योग्य में और जून 2017 को प्राप्त वापसी योग्य में दिखाया गया तथा वहीं 2017-18 की आय ब्याज के रूप में पहचाना गया है ।												
3.	<table><tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2010-11</td></tr><tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2011-12</td></tr><tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>85.66</td></tr><tr><td>वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>70.00</td></tr><tr><td>वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व</td><td>65.14</td></tr><tr><td>आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>20.52</td></tr></table>	वित्तीय वर्ष	2010-11	निर्धारण वर्ष	2011-12	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	85.66	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	70.00	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	65.14	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	20.52	ए. सितंबर 2011 में संशोधित रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रु. 20.52 करोड़ कर वापस करने का दावा किया । बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में, (जनवरी, 2013) कर दायित्व रु. 101.95 करोड़ के साथ कर लगाने योग्य आय रु. 329.93 करोड़ के रूप में गणन किया, और चुकाया गया कर / टीडीएस / ब्याज / रिफंड्स पर विचार करते हुए आदेश दिया कि वीपीटी को वापस देने वाले शुद्ध रकम रु; 42.40 करोड़ है । वीपीटी ने सीआईटी-एपील्स, विशाखपट्टणम के पास विरोध किया और उन्होंने (25-2-13) कर योग्य आय को पुर्न गणन करने के लिए निर्धारण अधिकारी को आदेश दिया ।
वित्तीय वर्ष	2010-11													
निर्धारण वर्ष	2011-12													
चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	85.66													
वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	70.00													
वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	65.14													
आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	20.52													

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		सी. तत्पश्चात, कर लगाने योग्य आय (28-02-14) को रु. 338.44 करोड़ के रूप में, कर दायित्व को रु. 104.58 करोड़ में संशोधित किया गया। चुकाया गया कर / टीडीएस / ब्याज / रिफंड्स पर विचार करने पर शेष कर रु. 5.09 करोड़ चुकाने के लिए वीपीटी को आदेश दिया। इससे असंतुष्ट होकर वीपीटी ने दि. 05-03-14 को सीआईटी (ए) के पास अपील फाईल किया। डी. एसीआईटी, सकर्मल1, विशाखपट्टणम ने धारा 154 के अंतर्गत दृ देखें आदेश दि. 14-5-2015 रु. 86.48 करोड़ दायित्व सहित कर लगाने योग्य आय को रु. 279.86 करोड़ के रूप में निर्धारित किया तथा चुकाया गया कर / टीडीएस / रिफंड्स / ब्याज पर विचार करने पर निर्धारण किया कि वीपीटी को पुर्नभुगतान करने वाले शुद्ध रकम रु. 21.14 करोड़ है अंत में पुर्नभुगतान करने वाले रकम को रु.21.42 करोड़ के रूप में संशोधित किया। ई. आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए अतिरिक्त मांग (रु. 13.99 करोड़) समायोजित करने के बाद शेष रकम रु.7.43 करोड़ (6 अप्रैल 2016) वापस किया। एफ. वीपीटी ने अपफ्रंट चुकाने के कारण कुल आय में से रु. 1.35 करोड़ घटाने के लिए आयकर अधिनियम (25-4-2016) की धारा 154 के अंतर्गत पिटीशन फाईल किया। जी. वीपीटी ने आयकर अधिनियम (20-01-2017) की धारा 154 के अंतर्गत रु. 1.06 करोड़ टीडीएस का शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया। एच. सीआईटी (एपील्स) ने आदेश सीआईटी (ए), वीएसपी नं. 0362 / 12-13 / एसीआईटी / सी-1 / वीएसपी / 2013-14, दिनांक 28-03-2014 द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के अंतर्गत एपील को कुछ भाग तक स्वीकार किया और वीपीटी ने आईटीएटी, विशाखपट्टणम बेंच (22-12-2014) के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है। आई.सीआईटी-1, विशाखपट्टणम ने आयकर अधिनियम की धारा 14ए के अंतर्गत रु. 8.51 करोड़ को अस्वीकार करने के लिए लेखा अधिकारी को निदेश देते हुए, आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत (21-11-2013) निर्धारण का पुनरीक्षण प्रारंभ किया और वीपीटी ने आईटीएटी, विशाखपट्टणम बेंच के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है।

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति												
		जे. आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत वर्ष 2011-12 के लिए (मई 2015) का निर्धारण की अंतिम रूप देते हुए ओदश दिया जिसमें रु. 0.29 करोड़ कर वापसी पर शुद्ध ब्याज शामिल है और इसे 2015-16 की ब्याज आय के रूप में पहचाना गया है । के. आयकर विभाग ने 244ए के तहत 14-05-2015 से 31-03-2016 तक ब्याज (16 जून 2016) रु. 0.37 करोड़ वापसी योग्य में और जून 2017 को प्राप्त वापसी योग्य में दिखाया गया तथा वहीं 2017-18 की आय ब्याज के रूप में पहचाना गया है ।												
4.	<table><tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2011-12</td></tr><tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2012-13</td></tr><tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>81.37</td></tr><tr><td>वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>53.00</td></tr><tr><td>वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व</td><td>14.12</td></tr><tr><td>आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>67.25</td></tr></table>	वित्तीय वर्ष	2011-12	निर्धारण वर्ष	2012-13	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	81.37	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	53.00	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	14.12	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	67.25	ए. सितंबर 2012 में रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रु. 67.25 करोड़ कर वापस करने का दावा किया । बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, कर निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में दिनांक 23-03-2015 कर दायित्व रु. 41.50 करोड़ के साथ कर लगाने योग्य आय. 134.30 करोड़ के रूप में गणन किया । चुकाया गया कर / टीडीएस / ब्याज / रिफंड्स पर विचार करने पर वीपीटी द्वारा चुकाए जानेवाले शेष शुद्ध कर रु. 0.75 करोड़ के लिए मांग नोटिस जारी किया । सी. इससे असंतुष्ट होकर वीपीटी ने (दि. 15-4-15) सीआईटी (एपील्स) के पास अपील फाईल किया । डी. एसीआईटी, सर्किल -1, विशाखपट्टणम ने उपदान के लिए किया गया रु. 30.17 करोड़ प्रावधान को इनकार करते हुए, कर लगाने योग्य आय को रु. 164.47 करोड़ के रूप में और कर दायित्व को रु. 50.82 करोड़ सहित ब्याज मांग रु. 3.92 करोड़ के रूप में संशोधित (25-6-15) किया । चुकाया गया अग्रिम कर / टीडीएस / ब्याज / रिफंड्स पर विचार करने पर वीपीटी को आदेश दिया कि शेष कर रु. 13.99 करोड़ चुका । वीपीटी ने (दि. 16-7-15) सीआईटीह (एपील्स), विशाखपट्टणम के पास अपील किया । अपील अंतिम निर्णय के लिए लंबित है । ई. इस बीच में, आयकर विभाग ने रु. 13.99 करोड़ शेष कर मांग को समायोजित (6-4-2016) किया और निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए करने वाले रु. 21.42 करोड़ पुनर्भुगतान आदेश में से रु. 7.43 करोड़, वीपीटी को रिलीज़ किया ।
वित्तीय वर्ष	2011-12													
निर्धारण वर्ष	2012-13													
चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	81.37													
वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	53.00													
वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	14.12													
आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	67.25													

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		एफ. उपर्युक्त (ग) के लिए, सीआईटी (एनील्स), अपीलयेट आर्डर में और निर्णय के ग्रऊंड्स (30-03-2017) ने कुछ हद तक अपील को स्वीकार किया और वीपीटी द्वारा आईटीएटी में एक पिटीशन फाईल किया गया है । जी. उपर्युक्त (घ) के लिए, सीआईटी (एपील्स), अपीलयेट आर्डर में और निर्णय के ग्रऊंड्स (13-03-2017) ने कुछ हद तक अपील को स्वीकार किया और वीपीटी द्वारा आईटीएटी में एक पिटीशन फाईल किया गया है । एच.उपर्युक्त (च) (छ) के लिए आईटीएटी सुनवाई प्रगति पर है । आई. सीआईटी (ए)-1 के दिनांक 30-03-2017 आदेश को लागू करते हुए देखें दिनांक 09-05-2017 के एसीआईटी पत्र के माध्यम से कुल आय संशोधित रूप से 160.34 करोड़ से बढ़कर रु. 164.47 करोड़ हो गये और . 32.62 करोड़ की वापसी योग्य है जिसमें आयकर अधिनियम 244ए के अंतर्गत रु. 8.41 करोड़ की ब्याज शामिल थे । . जे. वीपीटी को दिनांक 05-01-2018 को वापसी योग्य रु. 32.62 करोड़ और 244ए के अंतर्गत रु. 8.41 करोड़ ब्याज के रूप में जारी किया गया था, वर्ष 2017-18 ब्याज आय के रूप में पहचाना गया था । के. निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए, वापसी योग्य रु. 21.42 करोड़ रकम के साथ दिनांक 31-03-2016 को आनुषंगिक आदेश जारी किया गया था। कुल वापसी योग्य रकम में से, वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए जो कि बकाया मांग के लिए रु. 13.99 करोड़ समायोजित किया गया था और वीपीटी को बाकी रकम जारी किया। बाद में निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए दिनांक 09-05-2017 को आनुषंगिक आदेश जारी करते हुए, वीपीटी को रु. 13.99 करोड़ का जमा नहीं दिया गया । एल. उप सीआईटी (1)-1 विशाखपट्टणम ने आयकर अधिनियम 154 के अंतर्गत दिनांक 101-03-2019 को धारा 244 ए के अंतर्गत ब्याज सहित वापसी योग्य रकम रु. 13.99 करोड़ (कुल रकम रु. 15.53) और निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए बकाया मांग के विरुद्ध वापसी योग्य .रु. 15.53 करोड़ रकम समायोजित (कुल मांग रु. 46.92 करोड़) किया गया । एम. धारा 244ए के तहत निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए रु. 1.54 करोड़ ब्याज को वर्ष 2018-19 का आय के रूप में मान्यता दी गई थी ।

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति												
5.	<table><tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2012-13</td></tr><tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2013-14</td></tr><tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>82.69</td></tr><tr><td>वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>15.00</td></tr><tr><td>वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व</td><td>0.00</td></tr><tr><td>आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>82.69</td></tr></table>	वित्तीय वर्ष	2012-13	निर्धारण वर्ष	2013-14	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	82.69	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	15.00	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	82.69	ए. सितंबर 2013 में रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रु. 53.65 करोड़ तक व्यापार में हानि को निर्धारण किया और रु. 69.48 करोड़ वापस देने का दावा किया। मार्च 2015 में रु. 8269 करोड़ वापस देने के लिए संशोधित रिटर्न फाईल किया गया। बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, एसीआईटी, सर्किल-1(1), विशाखपट्टणम ने उनका प्राथमिक निर्धारण आदेश दिनांक 31-03-2016 में य. 356.64 करोड़ को इनकार करने के बाद निर्धारण किया कि वीपीटी द्वारा फाईल किया गया रिटर्न के अनुसार, रु. 53.65 करोड़ हानि को कम करने के बाद कर लगाने योग्य आ रु. 302.98 करोड़ रहा और कुल कर दायित्व को रु. 97.57 करोड़ के रूप में निर्धारण किया सी. कर निर्धारण के लिए वर्ष 2010-11 के लिए रु. 22.48 करोड़ का पुनर्भुगतान आदेश पर कार्रवाई करते समय (6 अप्रैल 2016), प्राप्त किया गया अग्रिम कर, दावा किए गए टीडीएस के लिए रु. 82.64 करोड़ समायोजित करने के बाद, शेष कर रु. 14.93 करोड़ वसूल किया गया और शेष रु. 7.54 करोड़ वापस किया गया। डी. इससे असंतुष्ट होकर, वीपीटी ने (18 अप्रैल, 2016) सीआईटी (एनहज), विशाखपट्टणम के पास अपील किया। अपील सीआईटी (एपील) के साथ लंबित है और सीआईटी (एपीलस) के साथ सुनवाई प्रारंभ नहीं किया गया। ई. वीपीटी ने अपफ्रंट चुकाने के कारण कुल आय में रु. 3.53 करोड़ घटाने के लिए आयकर अधिनियम (25-4-2016) की धारा 154 के तहत पिटीशन फाईल किया और रु. 0.05 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया।
	वित्तीय वर्ष	2012-13												
	निर्धारण वर्ष	2013-14												
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	82.69												
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	15.00												
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00												
	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	82.69												

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
6.	वित्तीय वर्ष	2013-14
	निर्धारण वर्ष	2014-15
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	56.33
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	7.29
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00
	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	56.33
		ए. मार्च 2016 में संशोधित रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रु. 35.40 करोड़ तक व्यापार में हानि को निर्धारण किया और रु. 56.33 करोड़ कर वापस देने का दावा किया । बी. संवीक्षा करने एवं कई प्रश्न पूछे जाने के बाद एसीआईटी, सर्कल-1 (1), विशाखपट्टणम ने दिनांक 31-12-2016 को उनके प्रारंभिक निर्धारण आदेश में, रु; 169.49 करोड़ अस्वीकार करने के बाद, वीपीटी द्वारा फाईल किया गया रिटर्न के अनुसार रु. 35.40 करोड़ हानि घटाते हुए कर योग्य आय को रु. 134.09 करोड़ के रूप में निर्धारण किया और निर्धारित कर योग्य कुल दायित्व रु. 41.43 करोड़ रहा । सी. प्राप्त किया गया अग्रिम कर एवं दावा किया गया टीडीएस रु. 56.08 करोड़ समायोजन करने के बाद, 244ए के अंतर्गत ब्याज सहित रु. 14.64 करोड़ को स्वीकार किया और आयकर विभाग द्वारा वापस किये जाने वाले कुल रकम रु; 17.06 करोड़ रहा । डी. आयकर अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत आयकर विभाग ने (04-02-2017) रु. 17.06 करोड़ रकम वापस किया, जिसमें रु;2.42 करोड़ ब्याज भी शामिल है और वही वर्ष 2016-17 के आय ब्याज के रूप में पहचाना गया । ई. उपर्युक्त (ख) में रु. 169.49 करोड़¹ अस्वीकार करने पर असंतुष्ट होकर वीपीटी ने सीआईटी (एपील्स), विशाखपट्टणम के साथ (08-02-2017) एक ई-पिटीशन फाईल किया । सीआईटी (एपील्स) के साथ अपील लंबित है और सुनवाई प्रारंभ नहीं हुआ । एफ. आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत (08-02-2017) वीपीटी ने रु. 0.25 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट देने हेतु पिटीशन फाईल किया । जी. आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत (02-03-2017) रु. 0.25 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट देने हेतु तथा धारा 244ए के तहत ब्याज देने हेतु वीपीटी ने पिटीशन फाईल किया, रिफंड प्राप्त करने की तिथि फरवरी, 2017 तक ब्याज चुकाने के बावजूद केवल रु. 2.42 करोड़ के लिए दिनांक 31-12-2016 तक स्वीकार किया । एच. दिनांक 31-12-2016 को धारा 143 (3) को पास किया गया आदेश पर 10% की दर पर सरचार्ज लगाने के लिए

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति												
		आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम धारा 154 / 155 टी के तहत नोटिस जारी किया । आई. उपर्युक्त (झ) में रु. 6.73 करोड़ की माँग को निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए वापस जारी करते हुए समायोजित किया गया और निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए शेष रकम रु. 1.90 करोड़ को वापस कर दी गई थी ।												
7.	<table><tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2014-15</td></tr><tr><td>निर्धारण वर्ष</td><td>2015-16</td></tr><tr><td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td><td>48.11</td></tr><tr><td>वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान</td><td>25.18</td></tr><tr><td>वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व</td><td>0.00</td></tr><tr><td>आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td><td>48.11</td></tr></table>	वित्तीय वर्ष	2014-15	निर्धारण वर्ष	2015-16	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	48.11	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	25.18	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	48.11	ए. मार्च 2017 में रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रु. 48.11 करोड़ कर वापस देने का दावा किया । बी. संवीक्षा करने एवं कई प्रश्न पूछे जाने के बाद एसीआईटी, सर्कल-1(1), विशाखपट्टणम ने दिनांक 31-12-2017 को उनके प्रारंभिक निर्धारण आदेश में रु. 37.70 करोड़ अस्वीकार करने के बाद, वीपीटी द्वारा फाईल किया गया रिटर्न के अनुसार रु. 123.34 करोड़ व्यापार कर योग्य आय के रूप में निर्धारण किया और निर्धारित कर योग्य कुल दायित्व रु. 41.92 करोड़ रहा। सी. रु. 5.00 करोड़ समायोजित करने के बाद अग्रिम कर प्राप्त किया गया और 244ए के अंतर्गत ब्याज सहित रु. 42.70 करोड़ टीडीएस क्रेडिट की अनुमति दी तथा आयकर विभाग द्वारा कुल वापसी योग्य रु. 6.73 करोड़ रहा । डी. वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारण आदेश जारी करते समय गैर लेवी के / 10% सरचार्ज के लिए आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए रु. 4.82 मांग को समायोजित करते हुए दिनांक 19-01-2018 को रु. 6.73 करोड़ की रकम वापस किया गया और आयकर अधिनियम 244ए के तहत जिसमें ब्याज सहित वापसी योग्य रु. 0.95 करोड़ लगाया गया था । ई. उपर्युक्त (ख) में रु. 37.70 करोड़ अस्वीकार करने पर असंतुष्ट होकर वीपीटी ने सीआईटी (एपील्स), विशाखपट्टणम के साथ (02-02-2018) को ई-पिटीशन फाईल किया । सीआईटी (एपील्स) के साथ अपील लंबित है और सुनवाई प्रारंभ नहीं हुआ । एफ. आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत (02-02-2018) को वीपीटी ने रु. 0.41 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट अनुदान करने हेतु पिटीशन फाईल किया ।
वित्तीय वर्ष	2014-15													
निर्धारण वर्ष	2015-16													
चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	48.11													
वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	25.18													
वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00													
आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	48.11													

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
8.	वित्तीय वर्ष	2015-16
	निर्धारण वर्ष	2016-17
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	47.01
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	0.00
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00
	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	47.01
		ए. मार्च 2018 में संशोधित रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रु.11.41 करोड़ तक व्यापार में हानि को निर्धारण किया और रु. 47.01 करोड़ कर वापस देने का दावा किया । बी. संवीक्षा और ऑन लाईन की माध्यम से कई बार पूछने के बाद, दिनांक 25-12-2018 को धारा 143 (3) के तहत एसीआईटी, सर्कल-1 (1), विशाखपट्टणम ने अपने प्रारंभिक मूल्यांकन में रु. 351.95 करोड़ का अनुमति न देने का आदेश और व्यापार योग्य आय रु. 237.78 करोड़ के रूप में और रु. 93.93 करोड़ की आयकर देयता पर पहुँचा । सी. अग्रिम कर प्राप्त के संदर्भ में रु. 5.00 करोड़ समायोजित करने के बाद और रु. 42.01 का टीडीएस जमा का अनुमोदित करने तथा अधिनियम धारा 156 के तहत दिनांक 25-12-2018 के आयकर विभाग को वीपीटी द्वारा कुल मांग रु. 46.92 करोड़ चुकाना है । डी. वीपीटी ने (बी) में अपमानित रु. 351.95 करोड़ अस्वीकृत के लिए सीआईटी (अपील) के समक्ष पिटीशन फाईल करने को कहा गया । ई. वीपीटी ने दिनांक 23-01-2019 को सीआईटी (अपील) के समक्ष ई-फाईल का अपील किया । सीआईटी (अपील) के पास अपील लंबित है । सीआईटी अपील पर सुनवाई प्रारंभ नहीं हुई है । एफ. लेखापरीक्षा अधिकारी ने ई-कार्यवाही को दंडात्मक कार्यवाही जारी की और आयकर अधिनियम 156 के तहत रु. 46.92 करोड़ भुगतान के लिए दिनांक 25-12-2018 को डिमांड नोटिस जारी किया । जी. आयकर अधिनियम 156 के तहत डिमांड नोटिस विरुद्ध रु. 46.92 करोड़ की विवादित मांग के वसूली पर रोक लगाने के लिए अपील करने के लिए, वीपीटी को रु. 46.92 करोड़ निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए विवादित मांग 20% होने के लिए रु. 9.38 करोड़ भुगतान करना होगा । एच. निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए, वापसी योग्य रु. 21.42 करोड़ रकम के साथ दिनांक 31-03-2016 को अनुवर्ती आदेश पारित किया । कुल वापसी योग्य रकम में से निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए बकाया मांग के लिए रु. 13.99 करोड़ का समायोजन किया गया और वीपीटी को बाकी रकम जारी किया गया । बाद में, निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए दिनांक 09-05-2017 को अनुवर्ती आदेश पारित किया

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		गया, वीपीटी को रु.13.99 करोड़ जमा नहीं दिया गया । आई. वीपीटी ने आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए मांग वसूली की रोक के लिए दिनांक 24-01-2019 को डीसीआईटी, सर्कल-1 (1), विशाखपट्टणम के समक्ष स्टे पिटिशन दी, और लेखापरीक्षा अधिकारी से अधिनियम की धारा 244ए के तहत रु. 13.99 करोड़ जमा सहित ब्याज के लिए निर्धारण वर्ष 2012-13 वापसी के विरुद्ध 20% मांग को समायोजित करने का अनुरोध किया । जे. आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत को उप सीआईटी, सर्कल -1(1), विशाखपट्टणम ने रु.13.99 करोड़ वापसी योग्य रकम धारा 244 ए के तहत ब्याज के साथ रु. 51.54 करोड़ (कुल रकम 15.53 करोड़) को और निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए बकाया मांग के विरुद्ध रु. 15.52 करोड़ वापसी योग्य रकम (कुल मांग रु. 46.92 करोड़) को समायोजित करने को दिनांक 01-03-2019 के आदेश देखें । के. आयकर -1 के मुख्य आयुक्त, विशाखपट्टण ने निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए विवादित मांग के वसूली का रोक के लिए आवेदन पर आदेश, रु. 10.00 करोड़ की भुगतान दिनांक 22-03-2019 के पहले या करने के लिए दिनांक 18-03-2019 को सूचित आदेश और लेखापरीक्षा अधिकारी को निदेश दिया कि कुछ नियम एवं शर्तों पर सीआईटी (ए) द्वारा 1 अपील निपटाने तक विवादित मांग का शेष वसूली को अस्थगित रखने या दिनांक 31-12-2019 जो पहले हो । एल. वीपीटी ने रु. 46.92 करोड़ का विवादित मांग के विरुद्ध दिनांक 20-03-2019 को रु. 10.00 करोड़ रकम भुगतान किया गया। मांग के विरुद्ध रु. 25.53 करोड़ (उक्त (एच) में रु. 15.53 और रु. 10.00 करोड़) और शेष रु.21.39 करोड़ भुगतान किया जाना है । एम. वीपीटी द्वार विवादित डिमांड के रु. 21.39 करोड़ की शेष देय भुगतान के लिए दिनांक 31-01-2020 को वीपीटी ने आयकर विभाग द्वारा ई- पद्धति में नोटिस जारी किया गया था और वीपीटी ने दिनांक 06-02-2020 को पिटिशन फाईल किया कि विभाग द्वारा निपटाने के लिए वीपीटी के कारण अभी तक लंबित वापसी के लिए मूल्यांकन अधिकारी को अनुरोध किया तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए विवादित डिमांड शेष से अधिक है ।

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
9.	वित्तीय वर्ष	2016-17
	निर्धारण वर्ष	2017-18
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	56.13
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	13.09
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00
	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	56.13
		ए. मार्च 2019 में संशोधित रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रु. 56.13 करोड़ कर वापस करने का दावा किया । बी. प्राथमिक मूल्यांकन शुरू हो गया है और धारा 143 (2) के तहत जारी ई-कार्यवाही नोटिस देखें दिनांक 14-08-2018, 27-09-2018 और 27-09-2019 और धारा 142 (1) के तहत नोटिस दिनांक 19-09-2019 और धारा 143 (3) के तहत नोटिस दिनांक 29-11-2019, 18-12-2019, 21-12-2019 जो जारी शोकांस नोटिस । सी. ऑनलाईन मोड की माध्यम से जाँच और पूछने के बाद धारा 143(3) दिनांक 28-12-2019 के तहत एसीआईटी, सर्कल-1 (1), विशाखपट्टणम के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश में , रु. 169.83 करोड़ की अनुमति नहीं दिया और रु. 169.83 करोड़ को व्यापार कर योग्य आय पर तथा कुल मिलाकर रु. 59.65 करोड़ की देयता आयकर पर पहुंचे । डी. टीडीएस जमा को समायोजित करने के बाद रु.56.12 करोड़ का अनुमति दिया और वीपीटी द्वारा कुल रु.3.52 करोड़ देय का मांग दिया । ई. आयकर अधिनियम धारा 156 के तहत वीपीटी को रु. 3.52 करोड़ भुगतान के लिए दिनांक 28-12-2019 को डिमांड नोटिस जारी किया गया था और वीपीटी ने दिनांक 07-01-2020 के अपने पिटिशन के विरुद्ध मूल्यांकन अधिकारी को अनुरोध किया कि सीआईटी (अपील) के समक्ष वीपीटी अपील फाईल कर रहा है तथा कहा कि वर्ष 2016-17 के लिए आयकर अधिनियम धारा 154 के तहत वीपीटी द्वारा रु. 3.52 करोड़ की विवादित मांग 20% होने के रूप में रु. 0.70 करोड़ रकम वीपीटी द्वारा वापसी प्राप्त करने के विरुद्ध वीपीटी ने पिटिशन फाईल किया गया था । एफ. रु. 3.52 करोड़ की अनुमोदित नहीं देने पर पहुंचा (डी) में वीपीटी का कहना है कि सीआईटी(अपीलर) के समक्ष पिटिशन फाईल किया । जी. वीपीटी ने दिनांक 10-01-2020 को सीआईटी (अपीलर) के समक्ष ई-फाईल अपील किया था । सीआईटी(अपील) के साथ अपील लंबित है । सीआईटी (अपील पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है । एच. जी. वीपीटी द्वारा रु. 3.52 करोड़ की भुगतान के लिए डिमांड आयकर विभाग द्वारा ई-पद्धति में वीपीटी ने दिनांक 31-01-2020 को नोटिस जारी किया गया और वीपीटी ने रु. 3.52 करोड़ की विवादित डिमांड की नियमित मूल्यांकन कर 20% रकम रु. 0.70 करोड़ चुकाया गया था ।

क्र.सं.	विवरण		समय समय पर निर्धारण की स्थिति
10.	वित्तीय वर्ष	2017-18	ए. वीपीटी ने मार्च 2020 में संशोधित रिटर्न फाईल करते रु. 29.17 करोड़ कर वापस करने का दावा किया । बी. प्राथमिक मूल्यांकन शुरू हो गया है और धारा 143 (2) के तहत ई-कार्यवाही दिनांक 22-09-2019 और 29-09-2019 के तहत नोटिस जारी किया गया है ।
	निर्धारण वर्ष	2018-19	
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	56.46	
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	57.77	
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	27.29	
	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	26.17	
	वित्तीय वर्ष	2018-19	ए. वीपीटी ने मार्च 2020 में संशोधित रिटर्न फाईल करते रु. 41.85 करोड़ कर वापस करने का दावा किया । बी. प्राथमिक मूल्यांकन अभी तक शुरू नहीं हुआ ।
	निर्धारण वर्ष	2019-20	
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	65.35	
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	36.26	
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	23.49	
	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	41.85	
	वित्तीय वर्ष 2019-20 (मूल्यांकन वर्ष 2020-21) के लिए, रु. 19.10 करोड़ की अग्रिम कर चुकाया गया और फार्म 26ए के अनुसार रु. 68.99 करोड़ को टीडीएस में जमा किया गया। आयकर संबंधित प्रावधान रु. 68.55 करोड़ की प्रवाधान किया गया है। समय सीमा के अनुसार वापसी कर को फाईल किया जाएगा।		

9. निम्न मदों में आकस्मिक दायित्व शामिल है : (रूपये करोड़ों में)

क)	पोर्ट ट्रस्ट के खिलाफ दावा के लिए अदालतों में लंबित कानूनी मुकदमों	71.31
बी)	एनआईटीआई आयोजन के मार्गदर्शन के अनुसार आकस्मिक देयता खाते पर 75% रकम का भुगतान न करने के कारण मेसर्स एवीआर इंफ्रा पीपीपी प्रचालक द्वारा उत्पदन न होने के कारण आवश्यक कागजात जैसे बीसी और एसक्रो खाता खोला ।	16.23
ग)	वर्ष 86-87 से 98-99 तक विवादास्पद संपत्ति कर दावें	27.98
	कुल :	108.18

उपरोक्त के अतिरिक्त, मेसर्स एसईडब्ल्यू दृ वैजाग कोल टर्मिनल ने रियायत करारनामे समाप्त करने के विरुद्ध रु. 1685.74 करोड़ के लिए दावा फाईल किया और वीपीटी ने भी मेसर्स एसईडब्ल्यू दृ वैजाग कोल टर्मिनल प्रा. लि., के विरुद्ध ईक्यू-1 पूरा नहीं करने के कारण रु. 2951.24 करोड़ राजस्व का घाटा का काउंटर फाईल किया।

10. दिनांक 01-01-2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों को नए पेंशन योजना (टाईर- 1) के अंतर्गत योजना शामिल किया गया (एनपीएस), जिसमें कर्मचारी का मासिक अंशदान के रूप में मूल वेतन 10% + दैनिक भत्ता के साथ नियोक्ता का मैछिंग अंशदान रहेगा । पेंशन निधि नियंत्रण प्राधिकार (पीएफआरडीए) का भेजी हुई कर लंबित होते हुए भी कर्मचारी एवं वीपीटी के अंशदान पेंशन निधि में स्थानांतरित किया गया ।
11. पेंशन निधि आवश्यक स्तर तक पहुँचाने तक, वास्तविक मासिक पेंशन भुगतान, वित्त एवं विविध व्यय को प्रभार्य करते हुए, पेंशन निधि से पूरा किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारण करने के अनुसार, दिनांक 01-04-2018 को पेंशन दायित्व की बीमांकिक मूल्यांकन कार्यरत कर्मचारियों के लिए रु. 1499.97 करोड़ तथा पेंशनरों के लिए रु. 2940.28 करोड़ रहा। अतः दिनांक 31-03-2020 का पेंशन दायित्व का कुल बीमांकिक मूल्यांकन रु. 4440.25 करोड़ रहा। वर्ष के दौरान पेंशन के लिए अंशदान, वेतन भुगतान के / 27% की दर किया गया (मूल एवं दैनिक भत्ता), जो रु. 60.55 करोड़ रहा। वर्ष के दौरान अर्जित रु. 223.17 करोड़ ब्याज, पेंशन निधि में रु. 629.46 करोड़ की कमी है। आगे, बीमांकित मूल्यांकन के विरुद्ध रु. 104.39 करोड़ का कम प्रावधान है। पहले, पेंशन ट्रस्ट निधि का कुछ भाग, तीन इन्स्यूरेन्स एन्यूटीन खरीदने के लिए उपयोग किया जाता था, जिससे एन्यूटीन स्कीम के अंतर्गत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियत मासिक पेंशन चुकाया जाता था, यदि इससे अधिक रकम का निर्धारण होता, तो पोर्ट वहन करता था। एन्यूटी स्कीम के अंतर्गत आनेवाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु होने पर इन्स्यूरेन्स द्वारा भुगतान बंद होगा। उसके बाद वीपीटी के निधियों से नामित व्यक्तियों को मासिक परिवार पेंशन का भुगतान किया जाता है।
12. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारित बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार दिनांक 31-03-2020 को उपदान निधि के लिए दायित्व रु. 248.06 करोड़ है। वर्ष के दौरान, उपदान निधि / 8.33% के लिए रु.18.63 करोड़ का प्रावधान किए गए हैं। निधि से प्राप्त ब्याज और निधि से किए गए भुगतानों पर विचार करने के बाद, उपदान निधि में रु. 73.90 राशि की कमी आती है। इसके अलावा, बीमांकिक मूल्यांकन के विरुद्ध रु. 73.58 करोड़ रुपये का कम प्रावधान है।
13. मेसर्स एल आई सी ऑफ इंडिया के अनुसार 31-03-2019 को कर्मचारी छुट्टी नकदीकरण दायित्व का बीमांकिक मूल्यांकन रु. 97.10 करोड़ है और निधि में रु.124.45 करोड़ निवेश किया गया है।
14. पेंशन निधि, उपदान निधि एवं भविष्य निधि के लिए प्रत्येक ट्रस्ट लेखों का अनुरक्षण किया जाता है। ग्रेप छुट्टी नकदीकरण निधि को लिए कोई प्रत्येक ट्रस्ट नहीं है लेकिन जीएलईएस के लिए प्रत्येक निधि का अनुरक्षण किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान, राजस्व के नाम से छुट्टी नकदीकरण के लिए भुगतान किया गया है।
15. बीमांकिक दायित्व, सृजित / अभी सृजन करने वाले प्रावधान और निधियों की स्थिति नीचे दिया गया है :

दिनांक 31.3.2020 को पेंशन, उपदान एवं जीएलईएस निधियों की स्थिति			
विवरण	पेंशन निधि ट्रस्ट	उपदान निधि ट्रस्ट	जीएलईएस
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार व्यवस्था करने वाले निधियाँ	4440.25	248.06	97.10
दिनांक 31.3.2019 के अंत तक उपलब्ध निधि	3527.42	168.94	115.83
वर्ष 2019-20 के दौरान की गई निवेश	60.55	18.63	0
वर्ष 2019-20 के दौरान अर्जित ब्याज	222.82	13.54	8.72
' वर्ष 2019-20 के दौरान निधियों से की गई भुगतान	शून्य	26.95	शून्य
दिनांक 31.3.2020 के अंत तक की गई कुल निवेश	3810.79	174.16	124.45
निधियों में (शार्टफॉल) / अधिकतम	(629.46)	(73.90)	+22.78

16. पेंशन निधि ट्रस्ट और उपदान निधि ट्रस्ट में कमी को भविष्य में उपलब्ध अधिशेष निधियों के साथ ठीक किया जाएगा। जीएलईएस के मामले में अधिक निधिकरण है। ड्राप इन पेंशन के संबंध में रु. 50.00 करोड़ का प्रावधान है।
17. पेंशन निधि और आयकर के लिए दायिता लेखा में वृद्धि हुए परिणाम स्वरूप चालू परिसंपत्तियों में शेष दिखाया गया।
18. रु. 1607.09 करोड़ के आरक्षण के खिलाफ (सामान्य आरक्षण और सांविधिक आरक्षण) वर्तमान रु. 1301.55 करोड़ की निवेश रहा। निवेश का विवरण अनुसूची 2.2 ए और बी में रु. 376.41 करोड़ + अनुसूची 2.3 डी की रु. 925.14 करोड़ रकम के अनुसार कहा गया है। सरकार के पुनर्भुगतान के कारण, पेंशन के लिए अतिरिक्त योगदान और ठेके भुगतान के कारण भिन्नता है।
19. अनुसूचियों के साथ लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलनपत्र टीसीएस के अधीन होने के कारण सेप द्वारा ट्राईल बेलेन्स और वित्तीय सारणियाँ एक्सल में तैयार किये गये हैं।
20. अक्टूबर 2014 के दौरान विशाखपट्टणम तट को ध्वंस किया हुआ तूफान के कारण वीपीटी के कुछ नियत परिसंपत्तियाँ ओएसटीटी, दक्षिण तरंग रोड आदि का नुकसान हुआ। लगभग रु. 205.00 करोड़ का पुर्नवास लागत के प्राक्कलन करते हुए तथा सरकार से बजटरी सपोर्ट के रूप में व्यवस्थित करने के लिए नोट मंत्रालय को भेजा गया। अभी तक कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ।
21. वेतन पुनरीक्षण बकाया का प्रावधान और बोनस प्रावधान के लिए प्रबंध किया गया।
22. दावे को आय के रूप में गणन किया गया, लेकिन बाद में प्रप्ति के लिए अर्नहक समझा गया, उन्हें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर लेखा पुस्तकों में व्यय के रूप में दिखाया गया।
23. सभी विविध देनदारों को अच्छा समझा जाता है और बुरे ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।
24. वर्तमान अवधि में उत्पन्न होने वाली पूर्व अवधि आय या व्यय एक या अधिक पूर्व अवधि के वित्तीय विवरणों की तैयारी में त्रुटियों या चूक के परिणाम स्वरूप वित्त, और विविध आय या व्यय के अंतर्गत शामिल है।
25. मंत्रालय के पत्र सं.25021/1/2011-पीडी-ए, दिनांक 02-12-2011, के अनुसार वर्ष के दौरान रु. 3.74 करोड़ कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि सृजित किया गया है।
26. बिन काड्स के साथ स्टोर्स प्राइज्ड लेड्जर्स की मात्रा शेष का समाधान किया गया और आवश्यकतानुसार अपेक्षित समायोजन किए गए।
27. वर्ष के दौरान, निर्दिष्ट पट्टा करार द्वारा नियंत्रण कुछ पट्टेदार को छोड़कर अन्यो को शेष की पृष्टि प्राप्त करने के लिए पत्र जारी किये गये।
28. जहाँ चालू वर्ष का वर्गीकरण को पृष्टि करने के लिए आवश्यक है वहाँ पिछले वर्ष के आंकड़ों को पीग्रूप किया गया है।
29. आयु वार विश्लेषण के अनुसार, 6 महीने से कम के विविध देनदार को रु.28.65 करोड़ नकएर और छह महीने से अधिक को रु. 338.52 करोड़ के लिए बकाया हैं।

30. बिलमोरिया रिपोर्ट के अनुसार सामान्य स्पष्टीकरण ।

क्र.सं.	विवरण	2019-20	2018-19	टिप्पणी
1.	निपटाने के लिए रहे सक्रिय उपयोग से अलग किये गये नियत पूँजी परिसंपत्तियों को अलग से दिखाना होगा ।	शून्य	शून्य	जब इसे अनुपयुक्त समझा जाता तब परिसंपत्तियों को निपटान किया जाता था और संबंधित वर्षों में बिक्री पद्धति राजस्व में बुक / चार्ज की जाती है ।
2.	31-03-2018 को समाप्त होने के लिए पूँजी खाते पर निष्पादित होने वाले ठेके की अनुमानित राशि और प्रावधान नहीं की गई ।	शून्य	शून्य	वीपीटी की नीति के अनुसार वास्तविक के आधार पर राजस्व को पहचानते हुए, मार्च 2017-18 के अंत तक प्रकलित पूँजीगत व्यय 31-03-2020 के अंत तक प्रावधान किया गया ।
3.	विवादों के कारण आकस्मिक दायित्व की व्यवस्था नहीं की गयी ।	शून्य	शून्य	वीपीटी में, सभी विवाद / अदालत के मामलों के लिए आकस्मिक देयता का प्रावधान की जाती है । इसलिए, इसे शून्य के रूप में माना जा सकता है ।
4.	वर्ष के दौरान आयात की सीआईएफ मूल्य; भंडारण एवं पुर्जें, पूँजी वस्तु / पुर्जें (रूपये करोड़ों में)	0.90	1.26	
5.	विदेशी मुद्रा में व्यय ।	0.90	1.26	
6.	विदेशी मुद्रा में आमदनी	शून्य	शून्य	
7.	वित्तीय वर्ष के दौरान आयातित एवं देशीय भंडार एवं उपयोग किये गये पुर्जों का % सहित मूल्य	शून्य	शून्य	
8.	अनुसंधान, योजना और विकास कार्यकलापों पर खर्चा किया गया व्यय	4.13	3.72	
9.	वर्ष के दौरान पूँजीकृत उधार लिये गये लागत	शून्य	शून्य	
10.	वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का लाभ / हानि	शून्य	शून्य	
11.	कार्गो जहाजों की संभलाई के लिए टन्नेज में वीपीटी की कुल क्षमता ।	126.89	126.89	

क्र.सं.	विवरण	2019-20	2018-19	टिप्पणी
12.	वर्तमान वर्ष में संभलाई गयी जलयानों की वास्तविक संख्या	2099	2019	
13.	वर्ष के दौरान संभलाई गयी वास्तविक टन्नेज	72.72	65.30	
14.	वास्तव में मंजूर किया गया श्रेणीवार कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :	सीएचडी वीपीटी श्रेणी I 4 126 श्रेणी II 1 88 श्रेणी III 44 1583 श्रेणी IV 581 728 कुल 630 2525	सीएचडी वीपीटी श्रेणी I 3 123 श्रेणी II 1 81 श्रेणी III 51 1523 श्रेणी IV 652 884 कुल 707 2611	

ह/—
एस.शांति
वि.स. एवं मु.ले.अ.
विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट

ह/—
के. राम मोहन राव, भा.प्र.से.
अध्यक्ष
विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखपट्टणम 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट ।

1. महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 102 के साथ पठित यंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सेवा के कर्तव्य अधिकार एवं नियम) अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत हमने विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) के 31 मार्च 2020 तक के संलग्न तुलन पत्र की तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा की लेखापरीक्षा की है । ये वित्तीय विवरण तैयार कराने की जिम्मेदारी पोर्ट प्रबंधन की है । लेखापरीक्षा उपलब्धि के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय / विचार अभिव्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है ।
2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखाकरण के तरीके पर नियंत्रक एवं भारत के महा लेखापरीक्षक (सीएजी) की वर्गीकरण, उक्त लेखाकरण पद्धति के साथ समानरूपता लेखाकरण मानक तथा प्रकटन प्रतिमानक आदि से संबंधित टिप्पणियाँ ही शामिल हैं । विधि के अनुपालन नियम, विनियम (औचित्य और नियमितता) तथा दक्षता सह-निष्पादन पक्ष से संबंधित वित्तीय संचालन पर लेखापरीक्षा आपत्तियाँ, यदि हैं तो, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट / सी ए जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से रिपोर्ट की गई हैं ।
3. हमने अपने लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा मानकों के अनुरूप की है । इन मानकों की अपेक्षानुसार वित्तीय विवरण आर्थिक गलत बयानी से मुक्त है या नहीं इसका उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन करते हैं । लेखापरीक्षा में परीक्षण जांच के आधार पर रकम के समर्थन और वित्तीय विवरण के प्रकटन के साक्ष्य की जाँच आदि शामिल होते हैं । लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किये गये विशिष्ट प्राक्कलन, साथ ही वित्तीय विवरण एवं समस्त प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है । हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी विचार के लिए उचित आधार पर तैयार करता है ।
4. लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :
 - i) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रयोजनार्थ सभी सूचनायें और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो हमारी जानकारी और विवरण के अनुसार आवश्यक है ।
 - ii) इस रिपोर्ट द्वारा बनाया गया तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फार्म में तैयार किया गया है ।
 - iii) हमारी राय में लेखा की उचित पुस्तके और अन्य तर्क संगत रिकार्ड वीपीटी, विशाखपट्टणम द्वारा अनुरक्षित रखे गये हैं जो इस प्रकार की पुस्तकों की जांच से पता चला है ।
 - iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :
- क. लेखा का संशोधन
इस कार्यालय द्वारा जारी लेखापरीक्षा निष्कर्षों से कुछ प्रभाव देने के लिए विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखपट्टणम ने अपने लेखों का संशोधन किया । परिणाम स्वरूप :
 - ए) कर से पूर्व लाभ (पीबीटी) रु. 10.16 करोड़ तक वृद्धि हुई अर्थात् पीबीटी रु. 295.67 करोड़ से रु. 305.83 करोड़ हुई तथा
 - बी) कर के बाद (पीएटी) रु. 6.54 करोड़ तक वृद्धि हुई अर्थात् पीएटी रु. 267.86 करोड़ से रु. 274.40 करोड़ तक हुई ।

ख. लेखों पर टिप्पणी

तुलनपत्र :

ए. चालू परिसंपत्तियां

V. अन्य दायिता : रु. 492.86 करोड़

1. उक्त में रु. 11.34 करोड़ शामिल नहीं की; ताकि वीपीटी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट के रेटिंग एजेंसियों अर्थात आईसीआरए, सीएआरई और इंडिया रेटिंग्स एंड रीसर्च द्वारा डाऊनलोड किए गए निवेश से संबंधित राशि है। प्रधान नियोक्ता होने के नाते, वीपीटी को जीपीएफ ट्रस्ट के कमी को विलीन करना पड़ता है, वर्ष के दौरान, जिसके लिए वीपीटी के पुस्तकों में कोई देयता प्रदान नहीं की गई है। इसके परिणाम स्वरूप अन्य देयताओं के साथ-साथ वित्तीय एवं विविध व्यय में रु. 11.34 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई, जब कि इसके साथ वर्ष के लिए रु. 11.34 करोड़ लाभ की अत्युक्ति है।

निधियों का विनियोग :

पूँजी कार्यों में प्रगति : रु. 175.94 करोड़

2. पूरा कार्य अर्थात पूँजी कार्य में प्रगति के तहत पूर्व तट रेल्वे से पश्चिम में उत्तर की आर एवं डी यार्ड से इस्ट्रन ग्रीड (तीन लाईन) तक डेड इंड लाईन कनेक्शन जारी रखने के कारण उक्त में रु. 15.96 करोड़ की अत्युक्ति हुई। इस प्रकार, उपरोक्त पूर्ण किए गए कार्यों का गैर-पूँजीकरण के परिणाम स्वरूप रेल्वे और रोलिंग स्टॉक में रु. 15.96 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। यह भी मूल्यहास में रु. 0.26 करोड़ की न्यूनोक्ति के परिणाम स्वरूप है, जब कि इसके साथ वर्ष के लिए लाभ के इसी समान राशि का अत्युक्ति हुई।

चालू परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम

चालू परिसंपत्तियाँ

विविध देनदार : रु. 367.18 करोड़

मार्च 2014 तक रु. 7.31 करोड़ की संदिग्ध ऋणा का प्रावधान था। बाद में, वर्ष के बाद वर्ष आश्वसन के बावजूद, वीपीटी ने आगे संदिग्ध बकाय के लिए प्रावधान नहीं किया गया। 31 मार्च, 2020 तक विविध देनदारों की रु.374.40 करोड़ कुल से, पांच वर्ष के लिए रु.132.36 (17.76 प्रतिशत) के लिए बकाया रकम था।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान वीपीटी द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए दिए गए आश्वासनों को दृष्टि में रखते हुए वर्ष 2018-19 के लिए अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इसी तरह की टिप्पणी को शामिल किया गया था। हालांकि, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं किया गया था।

ग. प्रबंधन पत्र

ये गलतियों को इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया, उन्हें 2020-21 में सुधार / सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र की माध्यम से अध्यक्ष, वीपीटी के ध्यान में लाया गया।

- v) पूर्व अनुच्छेदों में व्यक्त हमारे विचारों के आधार पर हम यह अभिलेख करते हैं कि इस रिपोर्ट के द्वारा देखे गये तुलनपत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप है ।
- vi) हमारी राय में और हमारी जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरणियाँ , लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखा पर टिप्पणी के साथ पठित तथा उपरोक्त विशेष मामले तथा यह प्रत्येक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अनुलग्नक-1 में दिये गये अन्य मामलों की शर्त पर, भारत में प्रायः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों को पृष्टता में सही तथा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है ।
- क. वीपीटी, विशाखपट्टणम के 31 मार्च 2020 तक के कार्यकलापों की स्थिति की तुलनपत्र के संबंध में और
- ख. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ / हानि के लाभ लेखा के संबंध में ।
- vii) 31 मार्च, 2020 को समाप्त पिछले तीन वर्षों का पोर्ट के लाभ के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम दिखाने वाली लेखा की समीक्षा अनुलग्नक - II में दी गई है ।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की तरफ से

(एम.एस.सुब्रहमण्यम)

वाणिज्य लेखापरीक्षा का महा निदेशक एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड
हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद

दिनांक 4 दिसंबर, 2020

1. आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की पर्याप्तता :

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) की आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य बाहरी एजेंसी अर्थात् मेसर्स जी.आर. कुमार इंड कंपनी, चार्टरित लेखाकर को दिनांक 01-04-2014 से 30-09-2019 तक और मेसर्स आरएसएम और एसोसियेट्स को दिनांक 01-10-2019 से 31-03-2020 तक दिया गया है। चालू वर्ष 2019-20 के दौरान, संदर्भ नियमों के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा ने अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक के लिए मासिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट्स वीपीटी के वि.स. एवं मु.ले.अ. को प्रस्तुत किया। आंतरिक लेखापरीक्षा अधिदेश ने वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक लेखों के वित्तीय लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा में प्रारूप तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा, अनुसूची आदि में विभिन्न कमियों का सत्यापन सहित विभिन्न जांचों की व्यवस्था सी एंड एजी लेखापरीक्षा से 80 लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले, जिसमें से वीपीटी प्रबंधन ने 62 लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए सुधार प्रविष्टियां पारित किया गया था। आगे आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की उन्नति और प्रभावशीलता की आवश्यकता को सूचित करता है।

2. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता :

वीपीटी के आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त नहीं हैं। निर्धारित क्षेत्र जैसे विविध देनदार को मजबूत / वृद्धि करने की आवश्यकता के लिए, अनुपालन करने के लिए अलग से प्रबंधन पत्र में शामिल किए जाने के साथ अध्यक्ष, वीपीटी के ध्यान में लाया गया है। कुछ आवश्यक क्षेत्रों इस प्रकार हैं :

- ❖ विविध देनदारों के विश्लेषण से पता चलता है कि विविध एजेंसियों के पांच वर्ष से अधिक अवधि से व्यापार बकाया था। उनके वास्तविक वसूली के लिए प्रभावी प्रतिपादन के बिना संचित रु. 374.49 करोड़ में से विविध देनदार, सरकारी पार्टियों से शेष राशि रु. 89.22 करोड़ (23.82%), कार्गो संभलाई प्रभाग को शामिल करते हुए प्राइवेट पार्टियों को रु. 285.27 करोड़ (76.18%) है। वर्ष 2014 में बुरा और संदिग्ध ऋण के लिए रु. 7.31 करोड़ का सृजन किया गया था और अबतक अंतिम रूप देने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई / निपटाने के बिना प्रावधान बनाए रखते हैं। यह बकाया राशि की वसूली के लिए नियमित रूप से लगे रहने और ठोस प्रयासों की अनुपस्थिति सूचित करता है।
- ❖ पहले देनदार से वसूल किया गया रकम बिलवार पुराना बकाया रकम के खिलाफ समायोजित किया जा रहा है, पहले में पहले के आधार पर नहीं। परिणम स्वरूप, पार्टियों से नकारात्मक समायोजन वसूली रकम के साथ बिल-वार बकाया का प्रदर्शन जारी रहा है। इस पद्धति में, बिलों की पहचान करना मुश्किल है जिनके खिलाफ बकाया है। इस स्थिति में अतिरिक्त माड्यूल या सेप में ऐन्विरानमेंट को परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर ग्राहक-वार वसूल को ग्राहक-वार सबसे पुराने बकाया क्रमिक रूप से समायोजित किए जाते हैं।
- ❖ सभी पोर्ट उपभोक्ताओं को अपने रिवाल्विंग जमा लेखों में न्यूनतम रु. 25,000 शेष रखना होगा। कुल 1961 जमा खातों में से, 1011 जमा खातादारों ने उक्त न्यूनतम शेष रकम से आवश्यक रकम का अनुरक्षण नहीं करते हैं। 244 जमा खातादारों से रु. 59.81 (वीपीटी द्वारा प्राप्त) नकारात्मक शेष राशि है और 4 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) ग्राहकों के पास (वीपीटी द्वारा प्राप्त) रु. 52.50 करोड़ नकारात्मक शेष राशि है। यह पोर्ट सेवाओं को प्रदान करने से पहले ग्राहक के खातों में जमा राशियों की अपर्याप्तता को सूचित करता है।
- ❖ आयकर निर्धारण आदेश के विरुद्ध एवाई 2009-10 से एवाई 2019-20 का अपील आयकर के विविध अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है। प्रबंधन को अपील शीघ्र निपटाने के लिए उचित प्रयास सुनिश्चित करना होगा।

- ❖ 2012-13 में सेप एन्विरोनमेंट स्थानांतरण करते समय, विविध खाता बहियों के शेष को पहले समायोजित करने के लिए कोई प्रयास शुरू नहीं किए गए थे, जिन्हें शेष राशि में कटौती खाते के रूप में था । सात वर्ष के अंतराल के बावजूद, 2012-13 से पहले की शेष कटौती, बिना कोई भी समायोजना के साथ 2019-20 की बहियों में प्रदर्शित किया जा रहा है ।

3. नियत परिसंपत्तियों की भौतिक जांच की पद्धति :

वीपीटी की नीति और प्रक्रिया के अनुसार, पांच वर्षों में एक बार स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 2013 मार्च 31 के अंत तक आयोजित किया गया । तदनुसार, मार्च, 2018 तक अगला भौतिक सत्यापन बाकी है, 2018-19 में आयोजित करना है उनके लिए गठित समिति द्वारा किया गया । संबंधित वीपीटी विभागों को रिपोर्ट भेज दी गई है । भौतिक सत्यापन रिपोर्ट ने 788 परिसंपत्तियों को हटाने के लिए सिफारिश की गई जिसमें से 538 परिसंपत्तियां 31 मार्च, 2020 को हटा दी गई और बाकी अन्य परिसंपत्तियों का समाधान प्रगति पर है ।

4. वस्तुसूची की भौतिक जांच की पद्धति :

वीपीटी की नीति और पद्धति के अनुसार, वार्षिक आधार पर भंडारण और सामग्री की सूची का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से करना है । वर्ष 2019-20 के लिए वहीं भौतिक सत्यापन समाप्त किया गया था ।

5. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता :

वीपीटी ने नियत तिथियों के अंदर संबंधित संगठनों को सांविधिक देयों का भुगतान किया ।

(एम.एस.सुब्रह्मण्यम)

महा निदेशक

अनुलग्नक - II

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल लेखापरीक्षा अवलोकन / विचारों पर ध्यान न देते हुए लेखा की समीक्षा की गई है ।

1. परिचय

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) के वित्तीय लेखों की लेखापरीक्षा महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 102 के साथ पठित नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सेवा के कर्तव्य अधिकार एवं नियम) अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत किया गया ।

2. वित्तीय स्थिति :

वर्ष 2019-20 के वीपीटी की पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति प्रति वर्ष के अंत तक बड़े शीर्ष के तहत निम्नानुसार है :

(रूपया करोड़ों में)

	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
1.ए.	दायिताएँ			
	(i) पूँजी आरक्षण	961.34	962.94	962.98
	(ii) अन्य आरक्षण	1261.94	1340.43	1615.08
	(iii) उधार	0.00	0.00	0.00
	(iv) पूँजी ऋण	54.86	39.06	23.35
	(v) प्राप्त किये गये अनुदान	0.28	19.53	20.35
	(vi) चालू दायिताएँ एवं प्रावधान अन्य दायिताएँ (भविष्य निधि / पेंशन, उपदान निधि आदि)	2150.09	2205.74	2376.12
	(vii) अस्थागित कर दायित्व	0.00	0.00	0.00
	कुल	4428.51	4567.70	4997.92
1.ख.	परिसंपत्तियाँ			
	(i) नियत परिसंपत्तियाँ (ग्रास ब्लॉक)	2099.23	2452.37	2689.37
	(ii) घटाईये : मूल्यहास	684.17	740.76	784.23
	(iii) शुद्ध नियत परिसंपत्तियाँ	1415.06	1711.61	1905.14
	(iv) प्रगति पर पूँजी कार्य	576.57	350.21	175.94
	(v) निवेश	226.41	513.51	508.98
	(vi) चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	2052.89	1874.94	2253.30
	(vii) विविध व्यय (डीआरई)	0.00	0.00	0.00
	(viii) अस्थागित कर परिसंपत्तियाँ	157.57	117.43	154.56
	कुल	4428.51	4567.70	4997.92

ग.	कार्यचालन पूँजी ²	-97.20	-330.81	330.81
घ.	शुद्ध मूल्य ³	2223.28	2303.36	2578.06
च.	नियोजित पूँजी ⁴	1317.87	1380.80	1782.33
छ.	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत ⁵	14.86	8.90	15.40
ज.	नियोजित पूँजी (प्रगति पर रहे कार्य सहित)	1894.44	1731.01	1958.27
झ.	नियोजित पूँजी पर पर प्रतिलाभ का प्रतिशत (प्रगति पर रहे कार्य सहित)	10.34	7.10	14.01

² कार्यचालन पूँजी – चालू परिसंपत्तियां माईनेस चालू दायिताओं को दर्शाता है ।

³ शुद्ध मूल्य – पूँजी आरक्षण एवं अन्य आरक्षण तथा संचित अधिशेष, घाटा-संचित कमी को दर्शाता है ।

⁴ पूँजी नियोजन – शुद्ध नियत परिसंपत्ति एवं कार्यचालन पूँजी को दर्शाता है ।

⁵ रेट ऑफ रिटर्न – पूँजी नियोजन के लिए शुद्ध अधिशेष का प्रतिशत (विनियोजन से पहले) को दर्शाता है ।

3. कार्यचालन परिणाम का सारांश :

31 मार्च 2019 को समाप्त वीपीटी के कार्यचालन परिणाम पिछले दो वर्ष 31 मार्च 2017 और 2018 की तुलना के साथ नीचे दिये गये हैं :

(रूपया करोड़ों में)

	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
॥	राजस्व :			
क.	आय			
	परिचालन आय	1063.81	1201.39	1404.18
	गौर परिचालन आय	133.57	99.42	107.65
	कुल	1197.38	1300.81	1511.83
ख.	व्यय			
	परिचालन व्यय	541.70	591.01	662.55
	गैर परिचालन व्यय	396.16	508.89	543.45
	कुल 937.86	1099.90	1206.00	
ग.	विनियोजन से पूर्व शुद्ध अधिशेष/कमी/कर से पूर्व लाभ	259.52	200.91	305.83
	घटाईए : कर के लिए प्रावधान			
	पिछले वर्ष	0.00	0.00	
	चालू वर्ष	57.77	36.27	
	फ्रिज लाभ कर	0.00	0.00	
	आस्थगित कर	5.89	40.13	
	कर के बाद लाभ	195.87	124.51	274.40

घ.	घटाई: स्थिर परिसंपत्तियों को निपाटाने पर लाभ और पूंजी आरक्षण में स्थानांतरण	0.22	1.60	0.04
च.	विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम	195.65	122.91	274.36
छ.	घटाई: मोन्डेरी विनियोजन / आरक्षण निधि में अंतरण (शुद्ध लाभ)	189.49	120.50	148.36
ज.	सामान्य आरक्षण निधि में स्थानांतरित अधिशेष (शुद्ध लाभ)	6.16	2.41	126.00
झ.	निम्न के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ का प्रतिशत			
ट.	परिचालन आय	18.41	10.36	19.54
ठ.	शुद्ध नियत परिसंपत्तियाँ	13.84	7.27	14.40
ड.	शुद्ध मूल्य	8.81	5.41	10.64

4. अनुपात विश्लेषण (परिसमापन और शोध क्षमता) :

- (क) चालू दायिताओं के लिए चालू परिसंपत्तियों का प्रतिशत वर्ष 2018-19 में 85.00 से वृद्धि होकर वर्ष 2019-20 में 94.83 हुआ ।
- (ख) चालू दायिताओं के लिए तत्काल परिसंपत्तियों का प्रतिशत वर्ष 2018-19 में 48.10 से वृद्धि होकर वर्ष 2019-20 में 57.01 हुआ ।
- (ग) चालू दायिताओं के लिए तरल परिसंपत्तियों का प्रतिशत वर्ष 2018-19 में 28.82 से वृद्धि होकर वर्ष 2019-20 में 41.55 हुआ ।
- (घ) परिचालन आय के लिए फुटकर देनदार का प्रतिशत वर्ष 2018-19 को 35.40 घटकर वर्ष 2019-20 26.15 हुई ।
- (च) ऋण/पूँजी आरक्षण एवं अन्य आरक्षण का अनुपात वर्ष 2018-19 को 1.70 से घटकर वर्ष 2019-20 को 0.91 हुई ।
- (छ) कुल परिसंपत्तियों के लिए चालू परिसंपत्तियों का प्रतिशत वर्ष 2018-19 में 41.05 से वृद्धि होकर वर्ष 2019-20 में 45.08 हुई ।
- (ज) परिचालन आय के लिए व्यय का प्रतिशत वर्ष 2018-19 में 49.19 से घटकर वर्ष 2019-20 में 47.18 हुई ।

(एम.एस.सुब्रह्मण्यम)
महा निदेशक

वीपीटी की लेखों पर की गई कार्रवाई पर सीएजी की टिप्पणी

1. चालू दायिताएँ : अन्य दायिताएँ रु. 402.86 करोड़

रेटिंग एजेंसियों अर्थात् आइसीआरए, सीएआरई और इंडिया रेटिंग एंड रीसर्च द्वारा वीपीटी के सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट के कर्मचारियों का निवेश से संबंधित रु. 11.34 करोड़ घटाया गया है। प्रमुख नियोक्ता होने के नाते, वीपीटी को सा.भ.नि. ट्रस्ट के कमी को लेना पड़ता है, जिसके लिए वर्ष के दौरान वीपीटी की पुस्तकों में कोई देयता का प्रावधान नहीं की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप, अन्य देयताओं के साथ-साथ वित्त और विविध व्यय द्वारा रु.11.34 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई, इस वर्ष के लिए रु.11.34 करोड़ के साथ पत्राचार लाभ रु. 11.34 करोड़ की अत्युक्ति है।

इसकी समीक्षा की गई और देखा गया कि, इसके लिए मंत्रालय की मंजूरी और मंडल की अनुमोदन की आवश्यकता है। इसलिए लेखा पुस्तकों में प्रावधान पर विचार नहीं किया गया। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि, अब तक देयता का निश्चित रूप नहीं दिया और यह सा.भ.नि. खातों का भी हिस्सा होगा, जिसका अलग से मूल्यांकन और अनुरक्षण किया जाना चाहिए।

2. निधियों का विनियोग : पूँजी कार्यों में प्रगति : रु. 175.94 करोड़

पूरा कार्य अर्थात् पूँजी कार्य में प्रगति के तहत पूर्व तट रेल्वे से पश्चिम में उत्तर की आर एवं डी यार्ड से इस्टर्न ग्रिड (तीन लाईन) तक डेड इंड लाईन कनेक्शन जारी रखने के कारण उक्त में रु. 15.96 करोड़ की अत्युक्ति हुई। इस प्रकार, उपरोक्त पूर्ण किए गए कार्यों का गैर-पूँजीकरण के परिणाम स्वरूप रेल्वे और रोलिंग स्टॉक में रु. 15.96 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। यह भी मूल्यह्रास में रु. 0.26 करोड़ की न्यूनोक्ति के परिणाम स्वरूप है, जब कि इसके साथ वर्ष के लिए लाभ के इसी समान राशि का अत्युक्ति हुई।

मेसर्स आईपीआरसीएल खाते की समाधान प्रगति पर है और अंतिम बिल अब तक मेसर्स आईपीआरसीएल से प्राप्त किया जाना है। इसलिए इस चालू वित्तीय वर्ष में समाधान पूरी होने के बाद और पूरी परियोजना निर्मित लागत तक पहुँचने के बाद उक्त परिसंपत्ति को पूँजीकृत किया जाएगा।

3. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम, चालू परिसंपत्तियाँ, विविध देनदार : रु. 367.18 करोड़

मार्च 2014 तक रु. 7.31 करोड़ की संदिग्ध ऋणा का प्रावधान था। बाद में, वर्ष के बाद वर्ष आश्वसन के बावजूद, वीपीटी ने आगे संदिग्ध बकाय के लिए प्रावधान नहीं किया गया। 31 मार्च, 2020 तक विविध देनदारों की रु.374.40 करोड़ कुल से, पांच वर्ष के लिए रु.132.36 (17.76 प्रतिशत) के लिए बकाया रकम था।

इस संबंध में मंत्रालय ने विविध देनदार के लिए प्रावधान पर एकसमान नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है। वहीं प्राप्त होने पर, वीपीटी उसी का पालन करेगा और आवश्यक प्रविष्टियों को संसाधित करेगा।

1. आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की पर्याप्तता :

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) की आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य बाहरी एजेंसी अर्थात् मेसर्स जी.आर. कुमार इंड कंपनी, चार्टरित लेखाकर को दिनांक 01-04-2014 से 30-09-2019 तक और मेसर्स आरएसएम और एसोसियेट्स को दिनांक 01-10-2019 से 31-03-2020 तक दिया गया है। चालू वर्ष 2019-20 के दौरान, संदर्भ नियमों के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा ने अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक के लिए मासिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट्स वीपीटी के वि.स. एवं मु.ले.अ. को प्रस्तुत किया। आंतरिक लेखापरीक्षा अधिदेश ने वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक लेखों के वित्तीय लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा में प्रारूप तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा, अनुसूची आदि में विभिन्न कमियों का सत्यापन सहित विभिन्न जांचों की व्यवस्था सी एंड एजी लेखापरीक्षा से 80 लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले, जिसमें से वीपीटी प्रबंधन ने 62 लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए सुधार प्रविष्टियां पारित किया गया था। आगे आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की उन्नति और प्रभावशीलता की आवश्यकता को सूचित करता है।

नोट किया गया।

2. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता :

विविध देनदारों के विश्लेषण से पता चलता है कि विविध एजेंसियों के पांच वर्ष से अधिक अवधि से व्यापार बकाया था। उनके वास्तविक वसूली के लिए प्रभावी प्रतिपादन के बिना संचित रु. 374.49 करोड़ में से विविध देनदार, सरकारी पार्टियों से शेष राशि रु. 89.22 करोड़ (23.82%), कार्गो संभलाई प्रभाग को शामिल करते हुए प्राईवेट पार्टियों को रु. 285.27 करोड़ (76.18%) है। वर्ष 2014 में बुरा और संदिग्ध ऋण के लिए रु. 7.31 करोड़ का सृजन किया गया था और अब तक अंतिम रूप देने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई / निपटाने के बिना प्रावधान बनाए रखते हैं। यह बकाया राशि की वसूली के लिए नियमित रूप से लगे रहने और ठोस प्रयासों की अनुपस्थिति सूचित करता है।

विविध देनदार की वसूली अर्थात् 52.76 करोड़ वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान तैयार की गई, जब 31-03-2019 को 3 वर्ष की अवधि तक बकाया देनदार की तुलना में, जो विविध देनदार से वसूल करने में वीपीटी ने अच्छा प्रयास कर रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान विविध देनदार पर कमी को देखा / विचाराधीन बनाई जाएगी और लेखापरीक्षा द्वारा प्वाइंट आऊट किए गए अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यह कहा जाता है कि यातायात और संपदा विभागों ने वसूलों के लिए लगातार लगे रहते हैं।

पहले देनदार से वसूल किया गया रकम बिलवार पुराना बकाया रकम के खिलाफ समायोजित किया जा रहा है, पहले में पहले के आधार पर नहीं । परिणम स्वरूप, पार्टियों से नकारात्मक समायोजन वसूली रकम के साथ बिल-वार बकाया का प्रदर्शन जारी रहा है । इस पद्धति में, बिलों की पहचान करना मुश्किल है जिनके खिलाफ बकाया है । इस स्थिति में अतिरिक्त माड्यूल या सेप में ऐन्चिरानमेंट को परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर ग्राहक-वार वसूल को ग्राहक-वार सबसे पुराने बकाया क्रमिक रूप से समायोजित किए जाते हैं ।	नवीनतम स्थिति की जांच और पुष्टि की जाएगी । हालांकि, पहले धन की वसूली प्रतिपूर्ति योग्य जमा के आधार पर है और यह उत्पन्न हुआ है कि सेवामें निपटान से नहीं, वहीं समीक्षा की जाएगी और सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी ।
सभी पोर्ट उपभोक्ताओं को अपने रिवाल्विंग जमा लेखों में न्यूनतम रु. 25,000 शेष रखना होगा । कुल 1961 जमा खातों में से, 1011 जमा खातादारों ने उक्त न्यूनतम शेष रकम से आवश्यक रकम का अनुरक्षण नहीं करते हैं । 244 जमा खातादारों से रु. 59.81 (वीपीटी द्वारा प्राप्त) नकारात्मक शेष राशि है और 4 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) ग्राहकों के पास (वीपीटी द्वारा प्राप्त) रु. 52.50 करोड़ नकारात्मक शेष राशि है । यह पोर्ट सेवाओं को प्रदान करने से पहले ग्राहकों के खातों में जमा राशियों की अपर्याप्तता को सूचित करता है ।	पोर्ट ने अन्य पोर्ट्स के समान लेखांकन पद्धति को बदलने की प्रक्रिया में है और आईपीए का निर्देशों के अनुसार पीसीएस 1x का उपयोग करने के लिए जो मामले को संकल्प करेगा ।
आयकर निर्धारण आदेश के विरुद्ध एवाई 2009-10 से एवाई 2019-20 का अपील आयकर के विविध अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है । प्रबंधन को अपील शीघ्र निपटाने के लिए उचित प्रयास सुनिश्चित करना होगा ।	इसकी समीक्षा की जाएगी और आगामी वर्षों में इसका ध्यान रखा जाएगा ।
2012-13 में सेप एन्चिरॉनमेंट स्थानांतरण करते समय, विविध खाता बहियों के शेष को पहले समायोजित करने के लिए कोई प्रयास शुरू नहीं किए गए थे, जिन्हें शेष राशि में कटौती खाते के रूप में था । सात वर्ष के अंतराल के बावजूद, 2012-13 से पहले की शेष कटौती, बिना कोई भी समायोजना के साथ 2019-20 की बहियों में प्रदर्शित किया जा रहा है ।	वीपीटी ने खातों को दिसंबर, 2012 में सेप में स्थानांतरित कर दिया, सेप में स्थानांतरित करते समय जीएल शेषों को कटाव शेष के रूप में अपलोड किया, इसकी समीक्षा की जाएगी और नियत समय में समायोजित किया जाएगा ।

3. नियत परिसंपत्तियों की भौतिक जांच की पद्धति :

वीपीटी की नीति और प्रक्रिया के अनुसार, पांच वर्षों में एक बार स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 2013 मार्च 31 के अंत तक आयोजित किया गया। तदनुसार, मार्च, 2018 तक अगला भौतिक सत्यापन बाकी है, 2018-19 में आयोजित करना है उनके लिए गठित समिति द्वारा किया गया। संबंधित वीपीटी विभागों को रिपोर्ट भेज दी गई है। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट ने 788 परिसंपत्तियों को हटाने के लिए सिफारिश की गई जिसमें से 538 परिसंपत्तियां 31 मार्च, 2020 को हटा दी गई और बाकी अन्य परिसंपत्तियों का समाधान प्रगति पर है।

स्थिर परिसंपत्तियों पर आवश्यक समायोजन प्रगति पर है।

वस्तुसूची की भौतिक जांच की पद्धति :

वीपीटी की नीति और पद्धति के अनुसार, वार्षिक आधार पर भंडारण और सामग्री की सूची का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से करना है। वर्ष 2019-20 के लिए वही भौतिक सत्यापन समाप्त किया गया था।

कोई टिप्पणी नहीं है।

सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता :

वीपीटी ने नियत तिथियों के अंदर संबंधित संगठनों को सांविधिक देयों का भुगतान किया।

कोई टिप्पणी नहीं है।

GREENTECH FOUNDATION®

NEW DELHI (INDIA)

www.greentech.org



Certificate

This is to certify that

Visakhapatnam Port Trust

Visakhapatnam

has been declared

WINNER

in Port Service Sector

for outstanding achievements in

Environment Management.

11 - 12 July 2019
New Delhi (India)

Rema

Ms. Rema
General Secretary





फॉग केनान



यांत्रिक धूली दमन पद्धति

ग्रीन पोर्ट प्रारंभिक



पानी छिड़काव



यांत्रिक सड़क सफाई मशीन



10 एमडबल्यू सोलार प्लाट



विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट

Visakhapatnam - 530 035, Andhra Pradesh, India.
Tel : 91-891-2876000 | Fax : 91-891-2565023
Web : www.vizagport.com | E-mail : e-reg.vpt@gov.in